31

सामाजिक न्याय और अधिकारिता

संबंधी स्थायी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अनुदानों की मांगें

(2022-23)

इकतीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ चैत्र, 1944 (शक)

इकतीसवां प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता

संबंधी स्थायी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अनुदानों की मांगें

(2022-23)

24.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

24.03.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ चैत्र, 1944 (शक)

विषय-सूची		
		पृष्ठ सं.
समिति (2021-22) की संरचना		i-vi
प्राक्कथन		vii
	प्रतिवेदन	
अध्याय एक	प्रस्तावना	1
अध्याय दो	बजटीय आवंटन और उपयोग	4
अध्याय तीन	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी)	17
अध्याय चार	अनुसूचित जाति और अन्य के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	27
अध्याय पांच	प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)	35
अध्याय-छह	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति संबंधी युवा अचीवर्स योजना (श्रेयस)	42
अध्याय-सात	हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार स्कीम (एसआरएमएस)	60
अध्याय-आठ	अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ)	67
अध्याय-नौ	अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीएवाई)	71
अध्याय-दस	विमुक्त, घुमन्तु और अर्ध-घुमन्तु समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसीएस)	84
अध्याय-ग्यारह	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम,1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989	88
अध्याय-बारह	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम युवा एचीवर्स छात्रवृत्ति अवार्ड (पीएस वाईए एसए एसवीआई)	98
अध्याय-तेरह	अनुसूचित जाति और ओबीसी के वंचित इकाई समूह और वर्गों को आर्थिक सहायता (वीआईएसवीएएस) योजना	107

	अनुबंध	
1	***सामाजिक न्याय संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 17.02.2022 को हुई चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश।**	
2	***सामाजिक न्याय संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 22.03.2022 को हुई नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।**	
	परिशिष्ट	
	टिप्पणियों/सिफारिशों का विवरण	**112**

*बाद में संलग्न कीया जाएगा

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2021-22) की संरचना

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दीपक (देव) अधिकारी
3. श्रीमती संगीता आजाद
4. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज'
5. श्रीमती प्रमिला बिसाई
6. श्री थोमस चाजिकाडन
7. श्री छतरसिंह दरबार
8. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
9. श्रीमती मेनका संजय गांधी
10. श्री हंस राज हंस
11. श्री के.षणमुग सुंदरम
12. श्री अब्दुल खालेक
13. श्रीमती रंजीता कोली
14. श्रीमती गीता कोड़ा
15. श्री विजय कुमार
16. श्री अक्षयवर लाल
17. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
18. श्री अर्जुन सिंह
19. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
20. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
21. श्री तोखेहो येपथोमी

राज्य सभा

22. श्रीमती झरना दास बैद्य
23. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
24. श्री अबीर रंजन बिस्वास
25. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
26. श्री एन. चंद्रशेखरन
27. श्री नारायण कोरागप्पा
28. श्रीमती ममता मोहंता
29. श्रीमती छाया वर्मा
30. श्री रामकुमार वर्मा

*31. रिक्त

- -

* श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा 16.03.2022 को त्यागपत्र दिए जाने के कारण।

सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	संयुक्त सचिव
2. श्रीमती ममता केमवाल	-	निदेशक
3. श्री कृषेन्द्र कुमार	-	उप सचिव
4. श्री मार्शल टीटो	-	अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) की सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उसकी ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) से संबंधित 'वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की मांगों' पर यह 31वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

2. समिति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की मांगों पर विचार किया जिसे 09 फरवरी, 2022 को सभा पटल पर रखा गया था। बजट संबंधी दस्तावेजों, व्याख्यात्मक टिप्पण, आदि प्राप्त करने के बाद समिति ने 17 फरवरी, 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का साक्ष्य लिया। समिति ने दिनांक 22 मार्च, 2022 को हुई बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. समिति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के अधिकारियों को 'वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की मांगों' की जांच के संबंध में मौखिक साक्ष्य देने और समिति के समक्ष उसके द्वार मांगी गई विस्तृत लिखित टिप्पण और साक्ष्योत्तर सूचना देने के लिए धन्यवाद देती है।

4. संदर्भ सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
22 मार्च, 2022
1 चैत्र, 1944 (शक)

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति

अध्याय - एक

प्रस्तावना

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का अधिदेश समाज के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों का सशक्तिकरण करना है जिसमें अनुसूचित जातियां, अन्य पिछड़े वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, मद्यपान तथा नशीले पदार्थ दुरुपयोग के पीड़ित, उभयलिंगी व्यक्ति, भिखारी, विमुक्त तथा घुमन्तू जनजातियां (डीएनटी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) शामिल हैं।

1.2 विभाग की नीतियों तथा कार्यक्रमों का उद्देश्य निम्नलिखित है:-

i. अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) तथा विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू जनजातियों (डीएनटी) का शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास;

ii. वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण, कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सक्रिय एवं स्वावलंबी जीवन-यापन के लिए सहायता;

iii. मद्यपान तथा नशीले पदार्थ दुरुपयोग (दवा) की रोकथाम और उपचार;

iv. भिखारियों का पुनर्वास।

1.3 विभाग अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से एक समावेशी समाज बनाने की कोशिश करता है जिसमें लक्षित समूहों के सदस्यों के समृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त सहायता दी जाती है।

1.4 लक्षित समूहों को निम्नवत परिभाषित किया जा सकता है:-

(क) अनुसूचित जाति
(ख) पिछड़ा वर्ग
(ग) वरिष्ठ नागरिक
(घ) नशीले पदार्थ दुरुपयोग के पीड़ित
(ङ) उभयलिंग व्यक्ति
(च) भिखारी

(छ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

1.5 2011 की जनगणना के अनुसार, मुख्य लक्षित समूहों की जनसंख्या निम्नवत है:-

(क) अनुसूचित जातियां : 20.14 करोड़ (16.6%) जनगणना 2011 के अनुसार

(ख) अन्य पिछड़े वर्ग : वर्ष 1931 से जातिगत जनगणना नहीं की गई है। मण्डल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुमान कुल जनसंख्या का 52% लगाया था जबकि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (2009-10) ने 66वें दौर में इस जनसंख्या के 41.7% होने का अनुमान लगाया था।

(ग) वरिष्ठ नागरिक : 10.38 करोड़ (8.57%)

(घ) नशीले पदार्थ दुरूपयोग पीड़ित : नशीले पदार्थ दुरुपयोग की सीमा एवं प्रवृत्ति के संबंध में राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 6.50 करोड़ व्यक्ति नशीले पदार्थ दुरुपयोग से पीड़ित हैं।

(ङ) ट्रांसजेण्डर व्यक्ति : 4,87,803 (वर्ष 2011 के दौरान 'अन्य' की जनसंख्या)।

1.6 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीन दो सांविधिक राष्ट्रीय आयोग, दो गैर-सांविधिक आयोग, एक विकास बोर्ड, दो प्रतिष्ठान और तीन वित्त तथा विकास निगम हैं। ये निम्नलिखित हैं:

आयोग

i. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

ii. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

iii. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

iv. राष्ट्रीय विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू जनजाति आयोग

v. विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसी**)**

प्रतिष्ठान

i. डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

ii. बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान

निगम

i. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)

ii. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)

iii. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

संस्थान

i. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान)एनआईएसडी(

अध्याय - दो

बजटीय आवंटन और उपयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपनी विस्तृत अनुदान मांगे (मांग संख्या 93) 9 फरवरी, 2022 को संसद में प्रस्तुत किया। 2022-23 के बजट अनुमानों के साथ-साथ 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (एई) इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2019-20	8885.00	8885.00	8738.41
2020-21	10103.57	8207.56	8236.84
2021-22	10517.62	10180.00	2873.42 (31.12.2021 तक)
2022-23	11922.51	-	-

2.2. 2022-23 के लिए बजट अनुमान के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना परिव्यय और वास्तविक व्यय के योजना-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	कार्यक्रम/योजना	2019-20			2020-21			2021-22			वर्षवार व्यय में कमी/आधिक्य का %			बजट अनुमान 2022-23
		ब.अ.	सं.अ.	वा. व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वा. व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वा. व्यय	2019-20	2020-21	2021-22	
योजनाएं														
	एससीडी प्रभाग													
1	अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिकोत्तर	2926.82	2690.00	2711.31	2987.33	3815.87	4010.16	3415.62	4196.59	258.13	-0.79	-5.09	93.85	5660.00

	छात्रवृत्ति													
2	प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)							1800.00	1800.00	1293.07			28.16	1950.00
3	अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	1100.00	1100.00	1114.73	1200.00	300.00	387.00	पीएम-अजय के साथ विलय						
4	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	390.00	718.00	717.96	700.00	300.00	216.52							
5	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	107.76	25.00	25.00	30.00	30.00	56.40							
6	अनुसूचित जाति और अन्य के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	355.00	355.00	352.70	700.00	600.00	569.52	725.00	725.00	241.16		5.08	66.74	500.00
7	अस्वास्थ्यकर कार्यों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	5.00	30.00	29.40	25.00	27.00	26.81	एससी और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के साथ विलय						
8	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए मशीनरी का सुदृढ़ीकरण	530.00	630.00	619.64	550.00	600.00	593.39	600.00	600.00	452.09	1.64	1.10	24.65	600.00
9	मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना	110.00	99.93	84.80	110.00	30.00	16.60	100.00	43.31	24.00	15.14	44.67	44.59	70.00
10	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए लक्षित क्षेत्र में हाई स्कूल में आवासीय शिक्षा योजना (अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को पूर्व-सहायता)	70.00	70.00	67.17	100.00	125.00	55.81	200.00	63.21	8.92	4.04	55.35	85.89	89.00
11	अनुसूचित जातियों के लिए युवा अचीवर्स योजना (श्रेयस) के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां													
	11.01 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	360.00	246.66	246.66	300.00	125.00	119.00	300.00	125.00	122.44	0.00	4.80	2.05	173.00
	11.02 अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के	30.00	30.00	13.26	30.00	30.00	11.97	50.00	30.00	6.18	55.80	60.12	79.40	47.00

	लिए मुफ्त कोचिंग													
	11.03 अनुसूचित जाति के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा	40.50	40.50	39.70	40.00	50.00	52.88	70.00	70.00	18.79	1.98	-5.75	73.16	108.00
	11.04 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति	20.00	20.00	32.76	20.00	30.00	33.09	30.00	35.00	24.74	-63.80	-10.29	29.31	36.00
	कुल: अनुसूचित जातियों के लिए युवा अचीवर्स योजना (श्रेयस) के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति	450.50	337.16	332.38	390.00	235.00	216.93	450.00	260.00	172.15	-6.02	48.88	183.92	364.00
12	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता	30.00	20.00	20.00	50.00	20.00	15.86	25.00	0.01		0.00	20.72	100.00	0.01
13	वंचित इकाई समूह और वर्गों की अर्थिक सहायता (विश्वास) योजना (अनुसूचित जातियों के लिए आवंटन)				0.00	32.13	10.00	100.00	10.00			68.88	100.00	50.00
14	अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि (अनुसूचित जातियों हेतु आवंटन)	60.00	60.00	160.00	65.00	40.00	30.00	100.00	70.00		-166.67	25.00	100.00	70.00
15	प्रधानमंत्री दक्षता और कुशल संपनन हितग्राही (पीएम दक्ष) योजना (अनुसूचित जातियों के लिए आवंटन)							60.00	38.94	10.00			74.32	40.00
16	अनुसूचित जातियों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि	0.01	0.01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
17	अनुसूचित जाति के छात्रों की मेरिट का उन्नयन	0.01	0.00	0.00	योजना को बंद कर दिया गया									
	कुल एससीडी प्रभाग	**6135.10**	**6135.10**	**6235.09**	**6908.33**	**6155.00**	**6204.98**	**7575.62**	**7807.06**	**2459.52**	**-1.63**	**-0.81**	**68.50**	**9393.01**
	सामाजिक रक्षा, मीडिया और अनुसंधान													
18	सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा	50.00	16.00	14.00	20.00	5.00	2.78	25.00	25.00	5.02	12.50	44.47	79.92	19.50

	परीक्षा													
19	अटल वायु अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) (पूर्व में वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना)	133.10	143.00	141.81	204.00	153.00	133.31	300.00	150.00	30.13	0.83	12.87	79.91	150.00
	एवीवाईएवाई में एससीडब्ल्यूएफ से समर्थन							50.00	149.48	2.08			98.61	0.00
	एससीडब्ल्यूए से मिली राशि							-50.00	-149.48				100.00	0.00
20	दवाओं की मांग में कमी पर राष्ट्रीय कार्य योजना	265.99	245.00	243.81	260.00	180.00	149.43	260.00	200.00	40.84	0.49	16.98	79.58	200.00
21	आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए समर्थन (स्माइल)													
	भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम	5.00	25.00	21.14	100.00	0.00	0.00	50.00	10.00	0.00	15.44	0.00	100.00	15.00
	उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए योजना	5.00	5.00	4.50	10.00	0.00	0.00	20.00	25.00	0.00	10.00	0.00	100.00	30.00
	कुल: आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए समर्थन (स्माइल)	10.00	30.00	25.64	110.00	0.00	0.00	70.00	35.00	0.00	25.44	0.00	200.00	45.00
22	राष्ट्रीय वयोश्री योजना	0.01	0.01	0.00	1.00	0.00	26.50	योजना को अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के साथ विलय कर दिया गया						
	कुल सामाजिक रक्षा	**459.10**	**434.01**	**425.26**	**595.00**	**338.00**	**312.02**	**655.00**	**410.00**	**78.07**	**2.02**	**7.69**	**80.96**	**414.50**
	पिछड़ा वर्ग प्रभाग													
23	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट इंडिया (पीएम यशस्वी) के लिए पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम-यशस्वी)													
	ओबीसी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1360.00	1397.50	1299.19	1415.00	1100.00	1159.59	1300.00	1300.00	138.22	7.03	-5.42	89.37	1083.00
	ओबीसी को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	220.00	220.00	201.42	250.00	175.00	165.85	250.00	250.00	36.80	8.45	5.23	85.28	478.00

	अन्य पिछडे वर्गों के लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल	30.00	30.00	21.29	50.00	35.00	31.59	30.00	30.00	4.98	29.03	9.76	83.40	20.00
	कुल: ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट इंडिया (पीएम यशस्वी) के लिए पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम-यशस्वी)	1610.00	1647.50	1521.90	1715.00	1310.00	1357.02	1580.00	1580.00	180.00	44.51	9.57	258.05	1581.00
24	ओबीसी, डीएनटी और ईबीसी को कौशल विकास के लिए सहायता	30.00	34.00	34.00	50.00	50.00	47.29	योजना का पीएम-दक्ष के साथ विलय कर दिया गया है						
25	अन-अधिसूचित और खानाबदोश जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए योजना	10.00	10.00	9.00	10.00	10.00	9.00	योजना का पीएम-यशस्वी के साथ विलय कर दिया गया है						
26	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	23.00	13.00	13.99	25.00	25.00	25.00							
27	ओबीसी और ईबीसी की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों हेतु युवा अचीवर्स योजना (श्रेयस)													
	ओबीसी और ईबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	70.00	52.50	52.50	120.00	45.00	33.00	100.00	60.00	40.00	0.00	26.67	33.33	53.00
	ओबीसी के समुद्रपारीय अध्ययन हेतु ब्याज सब्सिडी	15.00	26.09	26.09	35.00	35.00	32.61	30.00	30.00	0.00	0.00	6.83	100.00	27.00
	कुल: ओबीसी और ईबीसी की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों हेतु युवा अचीवर्स योजना (श्रेयस)	85.00	78.59	78.59	155.00	80.00	65.61	130.00	90.00	40.00	0.00	33.49	133.33	80.00
28	वंचित इकाई समूह और वर्गों की अर्थिक सहायता (विश्वास) योजना (अन्य पिछडे वर्गों के लिए आवंटन)				0.00	32.00	10.00	50.00	10.00	0.00		68.75	100.00	30.00
29	प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता							40.00	40.54	12.01			70.37	44.00

	सम्पन हितग्राही (पीएम दक्ष) योजना (ओबीसी के लिए आवंटन)													
30	डीएनटी/एनटी/एस एनटी (सीईईडी) के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना							50.00	40.40	0.00			100.00	28.00
31	अनुसूचित जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि (अन्य पिछडे वर्गों के लिए आबंटन)	50.00	50.00	90.00	60.00	10.00	0.00	20.00	20.00	0.00	-80.00	100.00	100.00	40.00
	कुल पिछड़ा वर्ग प्रभाग	**1808.00**	**1833.09**	**1747.48**	**2015.00**	**1517.00**	**1513.92**	**1870.00**	**1780.94**	**232.01**	**4.67**	**0.20**	**86.97**	**1803.00**
विभाग की सभी योजनाओं का सकल योग		**8402.20**	**8402.20**	**8407.83**	**9518.33**	**8010.00**	**8030.92**	**10100.62**	**9998.00**	**2769.60**	**-0.07**	**-0.26**	**72.30**	**11610.51**

2.3 वर्ष 2021-22 के दौरान आवंटित बजट का केवल 35.03% उपयोग किए जाने के संबंध में, विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने उत्तर में बताया कि:

"कई योजनाओं के शीर्ष में जारी की गई निधि का उपयोग विभिन्न राज्यों द्वारा नहीं किया जा सका और इसलिए, उनके द्वारा कोई उपयोग प्रमाण पत्र तैयार नहीं किया गया था, जिससे निधियों को आगे जारी करने के रास्ते में बाधाएं उत्पन्न हुई थीं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना कुल बजटीय आवंटन के 40% से अधिक है। स्कूलों/कॉलेजों को कोविड के कारण बंद करने के कारण, योजना के आवंटन का 67.93% समय पर वितरित नहीं किया जा सका। दूसरे, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने भी इस प्रयोजनार्थ अपने प्रस्ताव भेजने में देरी की, जिसके कारण बाद में केन्द्रीय स्तर के अंत में विलंब हुआ। 7 प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मंत्रिमंडल द्वारा केवल 1 फरवरी, 2022 को अनुमोदित किया गया था।"

2.4 सचिव ने 2021-22 के दौरान आवंटन के निराशाजनक उपयोग के संबंध में समिति के समक्ष दिए मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया कि:

"केवल तीन कारण हैं। एक, ऐसी कई बड़ी योजनाएं हैं जो अनुसूचित जाति कल्याण के लिए हैं या छात्रवृत्ति के लिए अन्य योजनाएं हैं। हमें समय पर जारी

रखने के आदेश नहीं मिले हैं। हमें 1 फरवरी को इसे जारी रखने के आदेश मिले, जो लगभग वर्ष के अंत में है। तो, यह एक कारण था कि हम पूर्ण उपयोग नहीं कर सकते थे और पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। यह एक कारण है। दूसरा, 90 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकारों के माध्यम से दी जाती है। इसलिए इस बार वित्त मंत्रालय ने बदलाव किया है। यह बदलाव सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि सभी विभागों और सभी योजनाओं के लिए भी है। इसमें, आपके पास वह होना चाहिए जिसे राज्य नोडल एजेंसी कहा जाता है। इसलिए, वे एक नई प्रणाली लाए। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक वह प्रणाली लागू नहीं होती है, तब तक हम राज्य को निधि जारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए, कई राज्यों ने इसे शुरू करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे। फिर हमने उन्हें मना लिया। हमारे बीच काफी बातचीत हुई। हमने लगभग एक सप्ताह की बातचीत की है। हमने लोगों को भेजा है। इसलिए, अब उन्होंने उस आवश्यकता का अनुपालन किया है, और इस प्रक्रिया में, हमने लगभग छह से सात महीने खो दिए हैं। अत:, यह एक और कारण है जिसने हमारी सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को प्रभावित किया है। तीसरा, हमारे बजट का लगभग 40 प्रतिशत केवल एक योजना के लिए है, जिसे अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कहा जाता है। इसमें, हम फिर से एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं जहां सरकार सीधे धन भेजेगी। यह राज्य सरकार के माध्यम से धन नहीं देगा। यह छात्र को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से धन देगा। इसलिए, हमने उस प्रक्रिया को स्थापित किया है। हमने लगभग 15 लाख लोगों को पैसा ट्रांसफर किया है। हम अगले 45 दिनों में 45 लाख रुपये और ट्रांसफर करने जा रहे हैं। हम मूल रूप से उस चीज के साथ काम कर रहे हैं। अत: छात्रवृत्ति योजनाओं में हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि स्कूल और कॉलेज बंद हैं। इसलिए, वे समय पर आवेदनों को पंजीकृत या सत्यापित नहीं कर सके।"

2.5 15.02.2022 तक 10,180.00 करोड़ रुपये (आरई) के संशोधित अनुमानों में से शेष बजट को खर्च करने के लिए विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नानुसार बताया:

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग की छात्रवृत्ति स्कीमों के लिए कुल आवंटन 6300.62 करोड़ रुपए है जबकि कुल आवंटन 10517.62 करोड़ रुपए है।

छात्रवृति स्कीमों में, पीएमएस-एससी, जो विभाग की एक अग्रणी स्कीम है, उसके लिए 4196.59 करोड़ रुपए का बड़ा आवंटन है जो कि आरई आवंटन का 42.22% है। पीएमएस-एससी स्कीम मंत्रिमंडल के अनुमोदन से संशोधित की गई है जिसका केन्द्र तथा राज्य के बीच शेयरिंग पैटर्न 60:40 है। संशोधित पीएमएस-एससी स्कीम के अनुसार, केन्द्रीय सरकार का 60% शेयर राज्य के 40% शेयर के पात्र छात्रों को जारी करने के बाद ही जारी किया जाएगा। वर्तमान वर्ष में, जो कि संशोधित स्कीम का प्रथम वर्ष है, यह देखा गया है कि राज्य सरकारें राज्य के शेयर (40%) जारी नहीं कर रही थी। इसलिए विभाग ने केन्द्रीय हिस्से के अपफ्रंट के वर्तमान वर्ष के लिए जारी करने हेतु व्यय विभाग से छूट की मांग की है। छूट प्राप्त होने पर, एससी छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार द्वारा एनएसपी पोर्टल पर एससी छात्रों के सफल जांच के बाद 60% के केन्द्रीय हिस्से का वितरण शुरू कर दिया है।

संशोधित स्कीम में डीबीटी के प्रावधान है जिसके अंतर्गत छात्रवृत्ति का केन्द्रीय शेयर सीधे ही छात्रों के बैंक खातों में जारी किए जाते हैं। छात्रों के आंकड़े/ब्यौरे एनएसपी पोर्टल तथा पीएफएमएस की जांच के बाद राज्य से प्राप्त किए जाते हैं। तथापि, वर्ष 2021-22 कोविड महामारी का वर्ष रहा है।

इसलिए वर्ष भर के दौरान स्कूल/कालेज/संस्थान बंद रहे थे। अब स्कूल/कालेज/संस्थान धीरे-धीरे खुल रहे हैं तथा विभाग में राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। बीसी, ईबीसी, डीएनटी तथा एनएफएससी से संबंधित अन्य छात्रवृति स्कीम भी कोविड की स्थिति से प्रभावित रही।

इसके अलावा, व्यय विभाग ने राज्यों को निधि जारी करने के लिए एक संशोधित प्रक्रिया (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए) चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से शुरू की है। एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) की अधिसूचना तथा पीएफएमएस के साथ एसएनए खाता तथा इसकी मैपिंग राज्य सरकार द्वारा की जानी होती है। राज्य सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन में समय लगा है। अब एसएनए प्रक्रिया के अनुपालन के बाद राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

कुल मिलाकर, कोविड-19 महामारी तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत निधि जारी करने के स्वरूप में संशोधनों की वजह से निधियां जारी करने के कार्य पर प्रभाव पड़ा है। यह विभाग प्रस्तावों की उचित जांच, बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि के समाधान के बाद निधियां जारी करने के लिए समन्वित प्रयास कर रहा है।

2.6 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत पृष्ठभूमि टिप्पण के अनुसार, 2022-23 के संबंध में प्रस्तावित और आवंटित बजट इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

योजना/गैर-योजना	**विभाग द्वारा प्रस्तावित बजट**	**आवंटित बजट (बजट अनुमान)**
योजनाएं	11,826.09	11,610.51
गैर-योजनाएँ	307.00	312.00
कुल	**12,133.09**	**11,922.51**

2.7. प्रत्येक शीर्ष के तहत बजटीय प्रक्षेपण की गणना के लिए अपनाए गए मानदंडों के साथ-साथ बजटीय अनुमानों और बजटीय आवंटन के बीच के अंतर को भरने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने लिखित उत्तर में बताया कि:

"वित्त मंत्रालय ने वार्षिक योजना प्रस्ताव के 12133.09 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 11922.51 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। विभाग की प्रक्षेपित मांग तथा आवंटित बजट का अंतराल बहुत बड़ा नहीं है तथा यह विभाग वर्ष 2022-23 के दौरान परिकल्पित स्कीमों/गैर-स्कीमों के कार्य आवंटित बजट में करेगा और यदि अपेक्षित हुआ, तो संशोधित अनुमान 2022-23 चरण पर अतिरिक्त निधियों की मांग करेगा। कुल मिलाकर आवंटित बजट का कम से कम 72% बजट अनुसूचित जातियों की स्कीमों के लिए रखा गया है, एससी स्कीमों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के बजटीय प्रावधान का 2% तथा अन्य स्कीमों आवंटनों के लिए 10% रखा गया है।"

2.8 पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में योजनाओं के बीच वित्तीय संसाधनों का इष्टतम आवंटन सुनिश्चित करने के लिए की गई पहलों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने लिखित उत्तर में बताया कि:

"वित्त वर्ष 2021-22 से 60:40 के शेयरिंग पैटर्न की पीएमएस-एससी में डीबीटी के प्रावधान की शुरूआत की गई है। 60% का केन्द्रीय शेयर पीएफएमएस में बैंक खातों की जांच तथा राज्य द्वारा पोर्टल पर छात्रों के ब्यौरों की जांच करने के बाद डीबीटी के माध्यम से सीधा छात्रों के बैंक खातों में वितरित किया जा रहा है। अगले वित्त वर्ष 2022-23 से, एससी तथा अन्य छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृति में डीबीटी तंत्र का अनुपालन किए जाने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के मामले में, व्यय विभाग ने निर्धियों के जारी करने हेतु एसएनए प्रक्रिया को संशोधित किया है ताकि तंत्र को कारगर बनाया जा सके और जिससे राज्य सरकारों द्वारा निधियों के उपयोग को ट्रैक करने में सहायता मिल सके। इस विभाग ने गारंटी निकाय अर्थात् एनजीओ, कोचिंग संस्थाओं, छात्रावासों तथा लाभार्थियों आदि का निरीक्षण करने के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) की स्थापना की है।

मुफ्त कोचिंग स्कीम के अंतर्गत, छात्रों को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपनी पसंद के संस्थान का चुनाव करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। श्रेष्ठ स्कीम के मोड-1 के अंतर्गत बेहतरीन स्कूलों का चयन जिला स्तर पर किया जा रहा है ताकि एससी छात्रों को बेहतरीन शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराया जा सके।

पीएम-दक्ष स्कीम के अंतर्गत, पीएम-दक्ष पोर्टल तथा पीएम-दक्ष मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है ताकि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सके। इस स्कीम को अनेक सुविधाएं यथा (i) ऑनलाइन पंजीकरण, (ii) नौकरी भूमिकाओं का चयन, (iii) प्रशिक्षण संस्थान का चयन, (iv) पीएम-दक्ष पोर्टल पर प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण स्थल उपलब्ध कराके प्रशिक्षु केन्द्रित बनाए गए हैं।

2.9 समिति इस बात से निराश है कि विभाग अपने द्वारा प्रशासित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर वर्ष 2021-22 के दौरान 10,180.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान में से 31 दिसंबर, 2021 तक केवल 2,873.42 करोड़ रुपये ही खर्च कर सका है। समिति व्यय की धीमी गति के लिए विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों को नोट करती है, जैसे कि 1 फरवरी, 2022 तक अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कई बड़ी योजनाओं को जारी रखने संबंधी आदेश प्राप्त करने में देरी, विभिन्न योजनाओं के तहत एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नियुक्त करने के लिए राज्य सरकारों को मनाने के लिए छह महीने का समय, डीबीटी के माध्यम से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के केंद्रीय हिस्से का धन सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया निर्धारित करने में देरी आदि। यद्यपि राज्य सरकारों से सहयोग लेने की प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगता है, समिति का मानना है कि विभाग को विभिन्न योजनाओं को जारी रखने के लिए आदेश प्राप्त करने के लिए अधिक सक्रिय होना चाहिए था। फिर भी यह मानते हुए कि अब कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, समिति को आशा है कि विभाग द्वारा की गई पहल निश्चित रूप से प्रणाली को सुव्यवस्थित करेगी और योजनाओं के जरूरतमंद लाभार्थियों को समय पर जारी की गई निधियों से अधिकतम लाभ प्रदान करेगी और उसके दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं होगी। हालांकि समिति आशंकित है क्योंकि विभाग विशेषरूप से छात्रवृत्ति योजना घटक पर आबंटित निधियों का एक बड़ा हिस्सा सामान्यत: वर्ष के अंत में खर्च करता है। इसलिए, समिति विभाग को इतनी मेहनत से विकसित नई प्रणाली को लागू करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कदम उठाने पर जोर देती है। समिति को यह भी आशा है कि विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा एकल नोडल एजेंसी की नियुक्ति समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी और उसे विभाग की प्रत्येक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसियों की राज्य-वार स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।

2.10 समिति यह देखकर निराश है कि पिछले 2 वर्षों में विभाग के बजट को आरई स्तर पर कम कर दिया गया था, क्योंकि 2020-21 और 2021-22 के दौरान संशोधित चरण में क्रमशः 10103.57 करोड़ रुपये और 10517.62 करोड़ रुपये के बीई को घटाकर

क्रमशः 8207.56 करोड़ रुपये और 10180 करोड़ रुपये कर दिया गया था। समिति इस बात को लेकर चिंतित है कि कम बजट का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया। समिति वार्षिक बजट तैयारियों के समय उच्च अनुमान प्रस्तुत करने के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है और इस प्रकार मंत्रालय संशोधित अनुमानों को पूरी तरह से खर्च करने में भी विफल रहते हैं। 2022-23 में भी, वित्त मंत्रालय द्वारा विभाग के अनुमानों को कम कर दिया गया है और अनुमानित 12133.09 करोड़ रुपये के बजाय 11,922.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। समिति को आश्वासन दिया गया है कि मंत्रालय पूर्ण आबंटन को खर्च करने में सक्षम होगा और यदि कोई अंतर होता है तो संशोधित चरण में अतिरिक्त निधियों की मांग की जाएगी। समिति का मानना है कि समाज के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से हाशिए वाले वर्गों के कल्याण के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित और समय पर निर्णय लिए जाने चाहिए ताकि कोविड-19 महामारी जैसी अप्रत्याशित स्थिति भी लक्षित व्यक्तियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में बाधा न बन सके। समिति 2021-22 के आवंटन के समग्र उपयोग की स्थिति से भी अवगत होना चाहेगी।

2.11 समिति ने विभाग के बजट दस्तावेजों की जांच के बाद पाया कि विभिन्न योजनाओं की संरचना में बदलाव किया गया है क्योंकि 2021-22 से एक ही उद्देश्य के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं का एक योजना में विलय कर दिया गया था, जैसे कि प्रधान मंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय), अटल वायो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई), युवा अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस), प्रधान मंत्री दक्षता या कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम दक्ष), डीएनटी/एनटी/एसएनटीएस (सीड) के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना और वाइब्रेंट इंडिया के लिए यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम-वाई एएसएएसवीआई)। समिति इन स्कीमों के पुनरुद्धार के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए यह चाहती है कि इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया/पद्धति को समुचित रूप से समन्वित

किया जाना चाहिए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य हितधारकों को सूचित किया जाना चाहिए। समिति इस संबंध में अवगत होना चाहेगी।

अध्याय - तीन

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी)

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी) मैट्रिकोत्तर अथवा पश्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें, के लिए मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है और यह 1944 से प्रचालनरत है। भारतीय नागरिकों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है, केवल भारत में अध्ययन करने वाले छात्रों जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उन आवेदकों को सम्बंधित राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते आवेदन आमंत्रित करती है और विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र आवेदकों का चयन करती है।

3.2 इस योजना को हाल ही में कैबिनेट द्वारा दिसंबर, 2020 में 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और बेहतर निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं:

i. संशोधित स्कीम के अंतर्गत वर्तमान प्रतिबद्धदेयता प्रणाली को केंद्र और राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य जहां वर्ष के लिए अध्ययन हेतु पंजीकृत सभी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 'वर्ष के लिए मांग' को निधियों की कुल आवश्यकता) केंद्रीय और राज्य शेयर सहित (के रूप में स्पष्ट किया गया है, वहां वर्ष के लिए मांग को) 60:40पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में (90:10के नियत शेयरिंग अनुपात से परिवर्तित किया जाएगा।

ii. लक्षित समूह के नामांकन में वृद्धि पर बल दिया जाएगा और इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ग्राम पंचायत नोटिस बोर्डों, स्कूल समितियों, माता-पिता, शिक्षक संघ बैठकों में विचार-विमर्शों के माध्यम से

किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को कम करने के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। जो किसी प्रकार के दुरूपयोग को भी न्यूनतम करेगा।

iii. एससी परिवारों के सबसे गरीब छात्रों को स्कीम के अंतर्गत कवरेज के लिए उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकारें इन्हें प्राथमिकता देंगी-)i (एसईसीसी 2011-के अनुसार तीन अथवा अधिक अभावों वाले एससी परिवारों के छात्र; (ii) ऐसे परिवारों के छात्र जहां माता-पिता में से एक अथवा दोनों निरक्षर हों; (iii) राज्य सरकार/नगर निगम/स्थानीय निकाय स्कूलों से उत्तीर्ण 10वीं कक्षा के छात्र।

iv. स्कीम के अंतर्गत केवल ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों को ही कवर किया जाएगा जो बनाए गए अकादमिक मानकों का ख्याल रखते हैं। ऐसे सभी भागीदार संस्थानों के लिए 2024से पहले एनएएसी/एनबीए प्रत्यायन प्राप्त करना अनिवार्य होगा जो स्कीम को 26-2025के बाद भी इसे जारी रखना चाहते हैं। स्कूलों और डिप्लोमा संस्थानों के बारे में स्कीम के अंतर्गत केवल उन्हीं पर विचार किया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

v. यह स्कीम पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यक्षमता और समय से वितरण सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म पर चलाई जाएगी। राज्यों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तथापि, राज्यों के पास पहले से ही ऐसा पोर्टल है जो बनाए गए मानदंडों को पूरा करता है, तो वे इसे बनाए रख सकते हैं, परन्तु निरंतर निगरानी के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट केंद्रीय पोर्टल पर वास्तविक आधार पर डाटा शेयर करेंगे।

vi. राज्य पात्रता, जातिगत स्थिति, आधार पहचान तथा बैंक खाता आदि के ब्यौरों की अभेद्य ऑनलाइन जांच करेगा। इसके अलावा, राज्य दोहराव को हटाने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों का एक संपूर्ण डाटाबेस रखेंगे।

vii. स्कीम के अंतर्गत छात्रों को डीबीटी मोड में वित्तीय सहायता का अंतरण पर होगा और आधार आधारित भुगतान प्रणाली को प्राथमिकता दी जाएगी।

viii. वर्ष 22-2021से केंद्रीय शेयर डीबीटी मोड पर छात्रों के बैंक खातों में सीधा जारी किया जाएगा।

ix. इस स्कीम के कारगर कार्यान्वयन तथा छात्रों की प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतरालों पर स्कीम के परिणामों का सकल मूल्यांकन किया जाएगा। इनमें वर्ष में एक बार सामाजिक लेखा-परीक्षा, वार्षिक तृतीय पक्ष मूल्यांकन, प्रत्येक संस्था द्वारा छमाही स्वयं लेखा-परीक्षा रिपोर्ट शामिल हैं।

3.3 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (एई) के साथ उपलब्धियां इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**	**उपलब्धियां**
2019-20	2926.82	2690.00	2711.31	52.86 लाख लाभार्थी
2020-21	2987.33	3815.87	4010.16	62.37 लाख लाभार्थी
2021-22	3415.62	4196.59	258.13	लगभग 63 लाख लाभार्थियों को कवर किया गया
2022-23	5660	-	-	*

*कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था क्योंकि यह योजना सभी के लिए है।

3.4 उन कारणों के बारे में पूछे जाने पर जिनके कारण 31 दिसंबर, 2021 तक 4196.59 रुपये के संशोधित अनुमानों में से केवल 258.13 करोड़ रुपये खर्च किए जा सके, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"चूंकि कालेजों/स्कूलों में छात्रों के प्रवेशों में महामारी की वजह से विलंब हुआ था, इसलिए आवेदन पोर्टल देरी से खुले हैं जिसके परिणामस्वरूप आवेदनों को

संसाधित करने में विलम्ब हुआ था तथा अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अभी भी जांच प्रक्रिया जारी थी, इस प्रकार, केन्द्र सरकार के प्रथम शेयर को 6 दिसम्बर, 2021 को जारी किया गया था तथा अब तक 720.45 करोड़ रुपए)लगभग (खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, संवितरण में विलंब की वजह से छात्रों को हुई कठिनाइयों से बचाव करने के लिए, केन्द्रीय शेयर को इस वर्ष राज्य ने अपना शेयर जारी किया अथवा नहीं, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना जारी किया जा रहा है। स्कूलों तथा कालेजों के खुलने के साथ ही अब आवेदनों की जांच प्रक्रिया गति में आई है तथा उम्मीद है कि आवंटित बजट को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूर्णतः इस्तेमाल किया जाएगा।"

3.5 इस संदर्भ में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव ने समिति के साथ चर्चा के दौरान बताया कि:

"इस बार बहुत ही अलग सा अकादमिक ईयर था, क्योंकि एग्जाम्स भी नहीं हुए हैं। अप्रैल से जुलाई तक एग्जाम भी नहीं हुआ है। कई जगहों पर अगस्त में एग्जाम हुआ है। जैसे ही वे एग्जाम पास करते हैं, तब उनके रिन्यूअल के लिए एलिजिबिलिटी बनती है। कई राज्य सरकारों ने ऐसा किया है कि नवंबर के बाद ही इस पोर्टल को खोला है। मैडम, यह हर साल होने वाला नहीं है। अगले साल से हम पूरा डेट्स तय कर चुके हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह सिस्टमेटिक तरीके से चले। अभी एक अच्छी बात हुई है कि हम एक अच्छा सिस्टम चालू कर चुके हैं। अभी यह चल रहा है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपये कोई कम रकम नहीं है। अभी हमें 31 मार्च तक बहुत कुछ करना है। हमारे पास बहुत काम है। इसके लिए हम लगे हुए हैं।"

3.6 यह पूछे जाने पर कि क्या छात्रवृत्ति योजनाओं के केंद्रीय-राज्य बंटवारे के लिए निर्धारित वित्त पोषण अनुपात का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है और 2020-21 में छात्रों को प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी किए गए हिस्से की स्थिति का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, समिति को विभाग द्वारा अपने लिखित उत्तर में बताया गया कि:

"वर्ष 2020-21 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के खजाने में केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी तथा राज्यों ने लाभार्थियों को छात्रवृत्ति राशि के केन्द्रीय तथा

राज्य शेयर वितरित किए थे। राज्यों से यह अपेक्षा है कि वे इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित अनुपात में निधियों के शेयर को जारी करें। राज्यों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, अधिकांश ने अपने निधि शेयर को जारी कर दिए हैं।"

3.7 2020-21 में छात्रों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी किए गए हिस्से की स्थिति नीचे दी गई है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020-21**	
		जारी की गई केंद्रीय सहायता	**राज्य का हिस्सा***
1	आंध्र प्रदेश	450.01	430.55
2	असम	18.00	0.09
3	बिहार	47.83	शून्य
4	चंडीगढ़	0	0.35
5	छतीसगढ़	38.54	16.62
6	दमन एवं दीव	0	0.13
7	दिल्ली	0	0
8	गोवा	0	78.99
9	गुजरात	170.32	एनआर
10	हरियाणा	0	शून्य
11	हिमाचल प्रदेश	11.35	7.5
12	जम्मू और कश्मीर	0	3.62
13	झारखण्ड	13.42	20.69
14	कर्नाटक	252.79	230
14	केरल	86.85	47.18
16	मध्य प्रदेश	319.40	एनआर
17	महाराष्ट्र	558.00	372.08
18	मणिपुर	6.89	0.59
19	ओडिशा	130.67	110.81
20	पुदुचेरी	2.21	6.74
21	पंजाब	191.58	152.8
22	राजस्थान	284.01	131.96

23	सिक्किम	0.81	0.09
24	तमिलनाडु	120.23	430.37
25	तेलंगाना	245.03	246.37
26	त्रिपुरा	30.37	3.06
27	उत्तर प्रदेश	892.36	380.74
28	उत्तराखंड	9.76	6.26
29	पश्चिम बंगाल	128.17	एनआर
	कुल	**4008.60**	**2677.59**

*राज्यों द्वारा यथासूचित

3.8 छात्रों को छात्रवृत्ति जारी करने के लिए निर्धारित समय सीमा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र को उसी वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त हो, इस हेतु उठाए गए क़दमों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने समिति को दिए अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

आवेदन प्राप्त करने की तिथियाँ	**वह तिथि जिसके द्वारा राज्य का हिस्सा (40%; पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 10%) जारी किया जाना चाहिए**	**वह तिथि जिसके द्वारा केंद्रीय हिस्सा (60%; पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90%) जारी किया जाना चाहिए**
1 अप्रैल से 31 जुलाई तक	15 अगस्त	30 अगस्त
1 अगस्त से 30 नवंबर तक	30 दिसंबर	26 जनवरी
1 दिसंबर से 31 जनवरी तक	28 फ़रवरी	15 मार्च
1 फरवरी से 31 मार्च तक	आवेदन के 75 दिनों भीतर	आवेदन के 90 दिनों के भीतर

3.9 2022-23 के लिए 5,660.00 करोड़ रुपये का बजटीय अनुमान किन कारणों से रखा गया है, विशेष रूप से जब वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमानों की पर्याप्त राशि अभी खर्च की जानी है, के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों को लाभार्थियों को वितरित करने के लिए 4008.10 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22, राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार, केन्द्र शेयर की 5476.70 करोड़ रुपए की प्रत्याशित मांग के आधार पर अनुमोदित की गई है। तदनुसार, लाभार्थियों की संख्या तथा प्रति लाभार्थी लागत में वृद्धि होगी, इस बात पर विचार करते हुए यह परिकल्पना की गई है कि वर्ष 2022-23 के लिए लाभार्थियों को 5660.00 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की जाएगी।"

3.10 छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निर्धारित 2.5 लाख रुपये के आय मानदंड में संशोधन के संबंध में, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"पिछली बार वर्ष 2013-14 के दौरान, 2 लाख रुपए प्रति वार्षिक के आय मानदंड में संशोधन करके इसे 2.50 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य शिक्षा पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर गरीब एससी परिवारों के अधिक से अधिक छात्रों को भर्ती करना है। तदनुसार, मंत्रिमंडल ने स्कीम के सभी पहलुओं पर सधन विचार-विमर्श करने के बाद वर्तमान 2.50 लाख रुपए प्रतिवर्ष की आय सीमा को अनुमोदित किया है।"

3.11 इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव ने समिति के साथ चर्चा के दौरान समिति को सूचित बताया कि:

"इसमें इनकम क्राइटेरिया बदलने के बारे में चर्चा चल रही है। इसके ऊपर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित है। पोस्ट और प्री मैट्रिक एससीज़ का ही नहीं, वैसी दूसरी स्कॉलरशिप्स भी हैं। इसमें सब मिलाकर हम 3 करोड़ स्कॉलरिशप्स देते हैं। इसके बारे में निर्णय लेने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस पर चर्चा कर रहा है। हमें आशा है कि इसमें कुछ अच्छी न्यूज आएगी।"

3.12 जहां तक योजना के कार्य-निष्पादन की निगरानी और नियंत्रण का संबंध है, विभाग ने निम्नलिखित प्रणाली अपनाई है:

(i) ऑनलाइन एंड टू एंड प्रोसेसिंग, अधिक पारदर्शिता, संस्थानों द्वारा दोहरे और गलत दावों को नियंत्रित करना सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से पात्रता संबंधी प्रत्यय पत्रों का सत्यापन।

(ii) लाभार्थी छात्रों के बैंक खातों में केवल डीबीटी के माध्यम से निर्वाह भत्ता और अप्रतिदेय शुल्क के केन्द्रीय हिस्से का अनिवार्य रूप से भुगतान।

(iii) पत्र-व्यवहार, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक और क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करना ताकि योजना के कार्य-निष्पादन पर गहन निगरानी सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों को समय पर और सटीक रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

3.13 समिति नोट करती है कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को दिसंबर, 2020 में संशोधित किया गया है ताकि योजना का प्रभावी कार्यान्वयन और बेहतर निगरानी की जा सके। इसके बावजूद, समिति ने पाया कि विभाग वर्ष 2021-22 के लिए 4,196.59 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान में से फरवरी, 2022 तक केवल 720.45 करोड़ रुपये ही व्यय कर सका है, जबकि विभाग ने आश्वासन दिया है कि आवंटित बजट का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा क्योंकि आवेदनों की प्रक्रिया संबंधी कार्यवाही ने गति पकड़ ली है। समिति को सूचित किया गया है कि अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सत्यापन प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है क्योंकि कोविड 19 समय में कॉलेज/स्कूलों में देरी से प्रवेश के कारण आवेदन पोर्टल देरी से खुला। जिन असाधारण परिस्थितियों में प्रक्रिया धीमी हुई उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए समिति का मानना है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निधियों के व्यय में विलंब की इस प्रवृत्ति का अब समाधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा समिति ने नोट किया कि 2021-22 के लिए लाभार्थियों की संख्या लगभग 2020-21 के समान है। यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है , समिति महसूस करती है कि लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए ताकि यह संकेत दिया जा सके कि विभाग द्वारा लक्षित लाभार्थियों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती जा सके।

समिति चाहती है कि विभाग इस संबंध में उपयुक्त उपाय करे, साथ ही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को समाज के लक्षित वर्गों तक पहुंचना चाहिए और इस योजना को लोकप्रिय बनाना चाहिए।

3.14 समिति ने पाया है कि केन्द्र और राज्यों के बीच मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के बंटवारे के लिए निर्धारित अनुपात के अनुसार, 40% राज्य अंश जारी किए जाने के बाद 60% का केन्द्रीय हिस्सा जारी किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, छात्रों को कठिनाइयों से बचाने के लिए इस तथ्य के बावजूद कि राज्य ने अपना हिस्सा जारी किया है या नहीं, पहले केंद्रीय हिस्से को जारी किया जाना था। समिति विभाग द्वारा प्रस्तुत विवरणों से यह नोट कर परेशान है कि 2020-21 में छात्रवृत्ति का केंद्रीय हिस्सा चंडीगढ़, दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर को जारी नहीं किया गया था। इसके अलावा बिहार, दिल्ली और हरियाणा ने 2020-21 में अपना हिस्सा जारी नहीं किया था । समिति को यह जानकर भी आश्चर्य हुआ है कि गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्य मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों में अपने हिस्से के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं कर रहे हैं। समिति का मत है कि इस तरह के उदाहरण छात्रों को हतोत्साहित करते हैं जो अंततः युवा पीढ़ी के भविष्य को प्रभावित करते हैं। समिति चाहती है कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। समिति विभाग से ऐसे मामलों की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ उनके हिस्से को समय पर जारी करने के लिए उनके साथ बातचीत करने की सिफारिश करती है।

3.15 समिति ने पाया है कि छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निर्धारित 2.5 लाख रुपये सालाना के आय मानदंड को 2013-14 में संशोधित किया गया था। समिति का दृढ़ता से मानना है कि इस तरह के कम आय मानदंड निर्धारित किए गए हैं जो कई जरूरतमंद छात्रों के लिए एक गंभीर बाधा बन गए होंगे। समिति को सूचित किया गया है कि मंत्रियों का एक समूह इस मुद्दे की जांच कर रहा है और वार्षिक आय सीमा में उपयुक्त संशोधन करेगा। समिति का दृढ़ मत है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आय मानदण्डों

को संशोधित किया जाना चाहिए और यह भी सिफारिश करती है कि छात्रवृत्ति की राशि में आवधिक संशोधन के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। समिति इस मामले की स्थिति से अवगत रहना चाहेगी।

अध्याय - चार

अनुसूचित जाति और अन्य के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना राज्यों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है ताकि अनुसूचित जाति के बच्चों के माता-पिता को कक्षा नौ और दस में पढ़ने वाले उनके बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की जा सके ताकि प्रारंभिक और माध्यमिक कक्षा चरणों के बीच संक्रमणकालीन चरण के दौरान पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को धीरे-धीरे कम किया जा सके, जिससे मैट्रिक-पूर्व चरण के कक्षा नौ और दस में अनुसूचित जाति के बच्चों की भागीदारी में सुधार हो सके, जिसके परिणामस्वरूप बाद में मैट्रिकोत्तर शिक्षा की तैयारी की जा सके।

4.2 मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम 2013 की धारा 2 (आई) (जी) के तहत यथा परिभाषित मैनुअल स्कैवेंजर्स, मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम 2013 की धारा 2 (आई) (डी) में यथा परिभाषित चमड़े का कार्य करने वाले, अपशिष्ट बीनने वाले और साफ-सफाई से जुड़े अस्वास्थ्यकर कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 'अस्वास्थ्यकर कार्यो में लगे लोगो के बच्चों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। दिवा-छात्रों के मामले में विद्यार्थी के कक्षा एक या तत्पश्चात किसी भी बाद की कक्षा या पूर्व-मैट्रिक चरण में नामांकित और छात्रावास में रहने वाले छात्रों के मामले में कक्षा तीन या तत्पश्चात पूर्व-मैट्रिक चरण की किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र को छात्रवृत्ति दी जाती है। दसवीं कक्षा के अंत में छात्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। एक अकादमिक वर्ष की अवधि दस महीने की होती है।

4.3 वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना परिव्यय और वास्तविक व्यय के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

अनुसूचित जाति और अन्य के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

क्रम सं.	कार्यक्रम/ योजना	2019-20	2020-21	2021-22	वर्षवार व्यय में कमी/आधिक्य का %	ब.अ. 2022-

		ब.अ.	सं.अ.	वा. व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वा. व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वा. व्यय	2019-20	2020-21	2021-22	23
Schemes														
	एससीडी प्रभाग													
1	अनुसूचित जाति और अन्य के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	355.00	355.00	352.70	700.00	600.00	569.52	725.00	725.00	241.16		5.08	66.74	500.00
2	अस्वास्थ्यकर कार्यो में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	5.00	30.00	29.40	25.00	27.00	26.81	एससी और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के साथ विलय						

4.4 इस योजना के तहत वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाला ब्यौरा इस प्रकार है:

क्रम सं.	**कार्यक्रम/ योजना का नाम**	**प्रभाग**	**2019-20**			**2020-21**			**2021-22**			**पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों का %**	**2022-23**
			लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**कमी, यदि कोई हो, कारणों को दर्शाता संक्षिप्त ब्यौरा**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**कमी, यदि कोई हो, कारणों को दर्शाता संक्षिप्त ब्यौरा**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**कमी, यदि कोई हो, कारणों को दर्शाता संक्षिप्त ब्यौरा**		
अनुसूचित जाति प्रभाग													
1.	अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक-पूर्व	एससीडी	*	27.80 लाख	लागू नहीं	*	30.68	लागू नहीं	*	**30 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर किया	लागू नहीं		

2.	छात्रवृत्ति									जाएगा।			
			नोट: (*) यह योजना लाभार्थियों, संस्थानों, पाठ्यक्रमों और फीस की प्रतिपूर्ति के संबंध में खुली है। इसलिए, योजना की प्रकृति ऐसी है कि वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। (**) 31.12.2021 को अद्यतन किया गया										
	स्वच्छता और अस्वास्थ्यकर कार्यों से जुड़े व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति।		*	2 लाख	लागू नहीं	*	2.30 लाख	लागू नहीं	*	इस योजना के तहत 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर किया जाएगा।	लागू नहीं		
			नोट: (*) योजना की प्रकृति ऐसी है कि वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।										

4.5 संशोधित योजना में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं-

(i) केन्द्र और राज्य के बीच 60:40 शेयरिंग अनुपात (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90:10) या आंशिक आवंटन, जो भी कम हो, एक निश्चित हिस्सेदारी अनुपात की अवधारणा में परिवर्तन।

(ii) 2022-23 से केंद्रीय हिस्से का भुगतान यह सुनिश्चित करने के बाद कि संबंधित राज्य सरकार ने अपना हिस्सा जारी कर दिया है, डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी/अभिभावक के खाते में सीधे किया जाएगा।

4.6 दोनों योजनाओं के तहत प्राप्त उपलब्धियों के संबंध में, समिति को विभाग द्वारा बताया गया कि:

> "2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभार्थियों की संख्या के बारे में कम आंकड़े प्राप्त हुए थे। चूंकि स्कूल लगभग पूरे वर्ष तक बंद रहे, इसलिए कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निधियों का उपयोग करने और सभी लाभार्थियों को कवर करने में सक्षम नहीं थे। परिणामस्वरूप, 30 लाख से अधिक छात्रों को इस योजना के तहत कवर किया गया था। इसके अलावा, प्री-मैट्रिक अनक्लीन ऑक्यूपेशन योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्यों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के साथ, यह आशा की जाती है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संयुक्त

योजना के तहत व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे जो अंततः आगामी वर्षों में लाभार्थी कवरेज में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा 2021-22 में यह आशा की जाती है कि सरकारों के पूर्ण प्रयास से स्कूल पुन: खुलेंगे और छात्रवृत्ति की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। इसके अलावा, पुन: डिजाइन किए गए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल और संयुक्त योजना के तहत अपनाए गए नए दृष्टिकोण के साथ, लाभार्थियों के कवरेज में हुई वृद्धि अत्यधिक प्रत्याशित है। यह बताया जाता है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दोनों योजनाओं के तहत केंद्रीय निधियां जारी की गई है और राज्यों द्वारा निधियों के पूर्ण उपयोग के संबंध में राज्यों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है, छात्रवृत्तियों का संवितरण प्रक्रियाधीन है और कोई भी पात्र लाभार्थी कवरेज से बाहर नहीं होगा।"

4.7 उन कारणों के बारे में पूछे जाने पर जिनके कारण अस्वास्थ्यकर कार्यों में लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को 2021-22 से अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति के साथ विलय कर दिया गया है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"क. दोनों मौजूदा स्कीमें ही छात्रों के एक आधार समूह, यानी मैट्रिक-पूर्व चरण में पढ़ने वाले बच्चों की ड्रॉप-आउट की घटनाओं को कम करने के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर रही है।

ख. पिछले दो वर्षों से मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के तहत अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए गुजरात राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। राज्यों पर उच्च वित्तीय बोझ होने का एक प्रमुख कारण निधियों की साझेदारी की पद्धति का प्रतिबद्ध देयता की अवधारणा पर आधारित होना था। इस कारण से, हाल ही में इस स्कीम को मैट्रिक पूर्व एससी छात्रवृत्ति स्कीम के साथ विलय कर दिया गया है और वर्ष 2021-22 से 60:40 का एक निश्चित शेयरिंग पैटर्न अपनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों पर वित्तीय बोझ कम हुआ है।"

4.8 विलय से दोनों अलग-अलग योजनाओं के लक्षित समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

> *"प्रस्तावित विलय की गई स्कीम में दो अलग और विशिष्ट घटक अर्थात नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति से संबंधित घटक-I और स्वच्छता और स्वास्थ्य की दृष्टि से जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति से संबंधित घटक-II शामिल हैं। संबंधित घटकों के लाभार्थियों का विवरण विशेष रूप से राज्य से मांगा जाएगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक घटक के तहत छात्रों का कवरेज प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो।"*

4.9 उन कारणों के बारे में पूछे जाने पर जिनके कारण बजटीय आवंटन खर्च नहीं किया जा सका, विभाग ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि:

> *"महामारी के कारण स्कूलों में छात्रों के प्रवेश में काफी देरी हो रही है। नतीजतन, पोर्टल देर से खुले हैं जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्राप्त करने और इसके संसाधित होने में देरी हुई है। इसके अलावा, राज्यों को मैट्रिक पूर्व एससी स्कीम के तहत केंद्रीय हिस्सा वित्त मंत्रालय के अनुसार केवल तभी जारी किया जा सकता है जब उनके द्वारा सिंगल नोडल एजेंसी खाता खोलकर इसे पीएफएमएस पर मैप किया जाता है। इसके अलावा, कई राज्यों ने बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त शेष राशि की सूचना दी जिसके कारण उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने तक आगे की धनराशि जारी नहीं की जा सकी। बहरहाल, दिनांक 10.2.2022 तक, इस स्कीम के तहत राज्यों को 362.07 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता पहले ही जारी की जा चुकी हैं। यह अनुमान है कि राज्यों से लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाएगें और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक स्कीम के तहत किए गए बजटीय आवंटन का पूरा उपयोग किया जाएगा।"*

4.10 वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन में कमी किए जाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर और मांग के धन की उपलब्धता से अधिक होने की स्थिति में विभाग के पास उपलब्ध विकल्पों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"मौजूदा स्कीमों के विलय के प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ईएफसी द्वारा वर्ष 2022-23 के बजटीय आवंटन की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 से, केंद्रीय हिस्सा सीधे लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से जारी किया जाना है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, डुप्लिकेट और धोखाधड़ी वाले आवेदनों को समाप्त किया जा सके। इससे निधि की आवश्यकता कम होने की संभावना है। तदनुसार, वर्ष 2022-23 के बजटीय आवंटन को वर्ष 2021-22 की तुलना में कम कर दिया गया है। यदि की गई मांग निधि की उपलब्धता से अधिक हो जाती है, तो अनुपूरक बजट मांगा जाएगा।"

4.11 योजना के कार्य-निष्पादन की निगरानी और नियंत्रण के संबंध में, विभाग ने बताया कि:

"(i) अधिक से अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन लेन-देन के माध्यम से एंड टू एंड प्रोसेसिंग, पात्रता क्रेडेंशियल्स का सत्यापन, दोहरेपन और संस्थाओं द्वारा गलत दावों को नियंत्रित करना।

(ii) केवल छात्रों हितग्राहियों के बैंक खातों में भरण-पोषण भत्ते का अनिवार्य भुगतान।

(iii) स्कीम के कार्य-प्रदर्शन पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को समय पर और सही प्रस्तुतिकरण को सुनिश्चित करने के लिए पत्राचार, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक और क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।

(iv) एनएसकेएफडीसी को राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है ताकि मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के सभी चिन्हित लाभार्थियों को तथा अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए लाभ प्रदान किया जा सके।"

4.12 समिति ने पाया है कि दो अलग-अलग योजनाओं अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना और अशुद्ध व्यवसाय में लगे लोगों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, का 2021-22 से "अनुसूचित जातियों और अन्यों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति" नामक एक योजना में विलय कर दिया गया है। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि 2022-23 के लिए किया गया बजटीय आवंटन ₹500.00 करोड़ है जो 2021-22 के लिए ₹725.00 करोड़ और 2020-21 के लिए ₹700.00 करोड़ के बजटीय आवंटन की तुलना में बहुत कम है। समिति के पास 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन को कम करने का कोई तर्क नहीं है जब दो योजनाओं का विलय कर दिया गया है और विभाग 2021-22 के दौरान 33 लाख लाभार्थियों को शामिल करने की उम्मीद कर रहा है। इसलिए, समिति का मानना है कि 2022-23 में लाभार्थियों की संख्या में कमी आ सकती है, क्योंकि पिछले वर्ष के दौरान भी केवल 32.98 लाख व्यक्तियों को 596.33 करोड़ रुपये के व्यय के साथ शामिल किया जा सका था। समिति विभाग द्वारा दिए गए बजट के साथ निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई पद्धति में किसी भी सुधार के बारे में अवगत होना चाहेगी। जहां तक डीबीटी मोड के माध्यम से निधियों के अंतरण का संबंध है, समिति को आशा है कि यह डुप्लीकेट/कपटपूर्ण मामलों को समाप्त करेगा। बहरहाल, समिति का अभी भी यह दृढ़ मत है कि विभाग को 2022-23 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक निधियों की आवश्यकता होगी। इसलिए, समिति मंत्रालय को 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाने के लिए आरई स्तर पर आगे कार्यवाही करने की सिफारिश करती है ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को इस योजना के तहत शामिल किया जा सके।

4.13 समिति यह भी पाती है कि विभाग इस शीर्ष के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 725 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से अब तक 362 करोड़ रुपये खर्च कर सका है और मंत्रालय बजटीय आवंटन का पूरी तरह से उपयोग करने का प्रयास करेगा क्योंकि राज्यों से लंबित यूसी प्राप्त होने की उम्मीद है। समिति विभाग द्वारा जारी योजना के अंतर्गत अपनाए गए नए दृष्टिकोण सहित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल को फिर से डिजाइन किए जाने के बावजूद निधियों के पूर्ण उपयोग के बारे में आशंकित है, जब तक कि विभाग द्वारा

छात्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों के समक्ष आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। समिति का दृढ़ विश्वास है कि विभाग ने दो योजनाओं के एक में विलय करने के पक्ष-विपक्ष की पूरी तरह से जांच की होगी ताकि विलय की गई योजना के कार्यान्वयन में समाज के दोनों वर्ग एक-दूसरे की उपस्थिति से प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग के पास योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए इसकी बारीकी से निगरानी करने के लिए एक अंतर्निहित तंत्र होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि एनएसकेएफडीसी को सौंपे गए समन्वय कार्य को उनके द्वारा पूरी लगन से किया जाए।

अध्याय - पांच

प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (प्रधानमंत्री अजय)

5.1 प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) एक छत्र योजना है जिसमें तीन योजनाएं नामत: प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई), अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी को एससीए) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीएसपी को एससीए) और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) को उनकी प्रकृति में समानता के कारण विलय कर दिया गया है और यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इन तीन विलय की गई योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) अनुसूचित जाति उप-योजना)एससीए से एससीएसपी(के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम 1979-80 से चल रही है जिसका उद्देश्य आय सृजक योजनाओं, अवसंरचना और कौशल विकास के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जातियों की आय में वृद्धि करना है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनकी अनुसूचित जाति उप-योजना)एससीएसपी (के लिए एक योजक के रूप में 100 प्रतिशत अनुदान दिया गया था।

(ii) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना)पीएमएजीवाई (योजना 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले चुनिंदा गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करती है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अगस्त 2022 से पहले दस हजार गांवों को आदर्श ग्राम घोषित करने के लिए काम करें।

(iii) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना)बीजेआरसीवाई (राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और 19 केंद्र और राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को आकर्षित करना है।

5.2 पीएम-अजय में पूर्ववर्ती योजनाओं के विलय का औचित्य बताने के लिए कहे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"चूंकि विलय की गई योजना के कार्यान्वयन का यह पहला वर्ष है, इसलिए उपलब्धियों में तुलना का आकलन करना बहुत मुश्किल है। इसका आकलन करने में समय लगेगा। तथापि, चूंकि इन तीनों योजनाओं के लिए निधियों का एकीकृत आबंटन किया गया है, इसलिए किसी एक घटक में निधियों के किसी भी अभ्यर्पण का उपयोग अन्य घटकों के लिए किया जा सकता है, इस प्रकार निधियों के अभ्यर्पण को कम किया जा सकता है।"

5.3 पिछले तीन वर्षों के लिए लक्ष्य/उपलब्धि के साथ-साथ बजटीय आबंटन निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्र सं	योजना का नाम	2019-20				2020-21				2021-22 (31.12.2021 की स्थिति के अनुसार)				2022-23	
		बीई	**आर ई**	**वास्तविक व्यय**	**लक्ष्य/ उपलब्धि**	**बीई**	**आर ई**	**वास्तविक व्यय**	**लक्ष्य /उपलब्धि**	**बीई**	**आर ई**	**वास्तविक व्यय.**	**लक्ष्य/उपलब्धि**	**बीई**	**लक्ष्य/ उपलब्धि**
1	प्रधान मंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)									1800	1800	1293.07		1950	
2	अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	1100	1100	1114.73	8.92 लाख / 211818 (कुछ राज्यों ने	1200	300	387	7.48 लाख / 52177		पीएम अजय के साथ विलय		निर्धारित नहीं / वित्तीय वर्ष के बाद सूचित किये		10 लाख

					लाभार्थियों के आंकड़ों की सूचना नहीं दी)						जायेंगे		
3	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	390	718	717.96	वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये	700	300	216.52	वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये			वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये	वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये
4	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	107.76	25	25	12/1200 ---------- 10/1000	30	30	56.4	20/2000 ------- 24/3250			20/2020/ वित्तीय वर्ष के अंत के बाद रिपोर्ट किया जाएगा	25/2500

5.4 पीएम-अजय के तहत स्वीकृत निधियों को 2021-22 में खर्च नहीं किए जाने के कारणों और 2022-23 के लिए बजटीय अनुमानों का पूरी तरह से उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि::

"चालू वित्त वर्ष के दौरान 1800.00 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से, दिसंबर, 2021 तक 1293 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया था। यह व्यय करने के तिमाही लक्ष्यों से अधिक है। शेष निधियों का उपयोग चालू वित्त वर्ष के अंत तक किए जाने की संभावना है। चूंकि पीएम-अजय की विलय योजना को 2022-23 में लागू किया जाएगा, इसलिए इस योजना के तहत आवंटित बजटीय अनुमानों का उपयोग इसके घटकों में किया जाएगा और योजना के किसी भी घटक में किसी भी संभावित बचत के मामले में, इसका उपयोग योजना के

अन्य घटक (घटकों) के तहत किया जा सकता है, जिससे धन के अभ्यर्पण की संभावना न्यूनतम रह जाती है।"

5.5 विशिष्ट आबंटन के अभाव में प्रत्येक योजना के निष्पादन का आकलन करने के लिए अपनाई गई पद्धति से पूछे जाने पर, विशेष रूप से जहां प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना में लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश एससीएसपी को एससीए के तहत लाभार्थियों की जानकारी प्रस्तुत करने के अनिच्छुक हैं, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"पूरे 15वें वित्त चक्र के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत वास्तविक लक्ष्य पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। चूंकि स्कीम के कार्यान्वयन के लिए गांवों का राज्य-वार चयन निधियों की उपलब्धता के साथ-साथ आबंटित निधियों के उपयोग और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त वास्तविक प्रगति पर निर्भर करता है, इसलिए वास्तविक लक्ष्य वर्ष-वार निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।चूंकि इस योजना के लिए विकसित किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण की सूचना दी जा रही है, इसलिए यह किसी भी समय योजना के निष्पादन के मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है।

पीएम-अजय के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के को अनुदान सहायता घटक जो पूर्ववर्ती एससीए को एससीएसपी है ,के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अपनी वार्षिक कार्य योजना और सहायता प्राप्त किए जाने वाले लाभाथयों की अनंतिम संख्या प्रस्तुत करते हैं। जब इन कार्य योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन मंत्रालय की परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा किया जाता है, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्य योजना में उल्लिखित विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करते हैं और इन कार्यान्वयन एजेंसियों से लाभाथयों की जानकारी एकत्र करते हैं और समेकित आंकड़े इस मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है और इसलिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थियों का सही आंकड़ा समय पर प्रस्तुत नहीं करते हैं।. तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अनंतिम लाभार्थियों और उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी) को भी प्रस्तुत करते हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि निधियों

का उपयोग उस प्रयोजन/गतिविधि के लिए किया गया जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था। इसके अलावा, 2022-23 के बाद से, परियोजना योजना, तैयारी, प्रस्तुतीकरण, मूल्यांकन, अनुमोदन, मूल्यांकन से लेकर और निगरानी तक सभी प्रक्रियाएं वेब पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी। यह आकंड़ों/ सूचना की पारदर्शिता और वास्तविक समय की निगरानी सुनिश्चित करेगा।"

5.6 2022-23 के प्रस्तावित कार्यों को पूरा करने के लिए 2022-23 के लिए आबंटित निधियों की पर्याप्तता के संबंध में, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि :

"बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर छात्रावासों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। वर्ष 2022-23 के दौरान, आबंटित निधि का उपयोग कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की गई मांग के आधार पर छात्रावासों के निर्माण के लिए किया जाएगा। इसी प्रकार, आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्षों की प्रतिबद्ध देयता को पूरा किया जाएगा। पीएम-अजय के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान घटक पूर्ववर्ती एससीएसपी को एससीए के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संचालित विभिन्न आय सृजन, कौशल विकास और अवसंरचना विकास कार्यकलापों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कल्याण के लिए उनकी अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के लिए 100 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अपनी वार्षिक कार्य योजना (एएपी) में ऐसी विभिन्न गतिविधियों का प्रस्ताव रखा जाता है जिनका मूल्यांकन और अनुमोदन मंत्रालय की परियोजना मूल्यांकन समिति पीएसी द्वारा बाद में किया जाता है। 2022-23 के दौरान भी पीएसी द्वारा एएपी की उचित मंजूरी के बाद इन राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा मानदंडों के अनुसार धनराशि जारी की जाएगी।"

5.7 सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने भी साक्ष्य के दौरान जानकारी दी कि:

"इस साल हमने अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के नाम से 10,000 करोड़ रुपये का एक बड़ा-सा स्कीम के लिए कैबिनेट से अप्रूव्ल माँगा और यह मिल भी गया है। इससे क्या होगा कि जहाँ अनुसूचित जाति का कंसन्ट्रेशन हैं, वहाँ पर कोई अच्छा प्रोजेक्ट लग सकता है। जैसे हमारे माननीय सदस्य है, उनके एरिया में किसी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए हम तीन से 10 करोड़ रुपये सैंक्शन कर सकते हैं। इससे बहुत फायदा होगा और सस्टेनबिलिटी भी बहुत होगी। इससे लॉन्ग टर्म में इनका आमदनी बढ़ेगी।"

5.8 समिति ने पाया है कि तीन स्वतंत्र योजनाओं नामत: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई), अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीएसपी के लिए एससीए) और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) का 2021-22 से प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) में विलय कर दिया गया है। समिति को यह जानकर आश्चर्य है कि विभाग अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत 2019-20 और 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका था। इसलिए, समिति को 2022-23 के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत निर्धारित 10 लाख के लक्ष्य की प्राप्ति पर भी गंभीर संदेह है। समिति प्रत्येक योजना के विलय के बाद उनकी कार्य-निष्पादनता के बारे में भी चिंतित है क्योंकि इन तीनों योजनाओं के लिए निधियों का एकीकृत आबंटन किया जाता है बशर्ते कि निष्पादन की मात्रा निर्धारित न की गई हो, सफलता/निष्पादन का आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए समिति चाहती है कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि तीनों योजनाओं को समान महत्व दिया जाए क्योंकि ये अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि एक योजना के अंतर्गत कम प्रस्ताव हैं, तो निधियों का उपयोग अन्य योजना पर नहीं किया जाना चाहिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए कि पिछड़ रही योजना पर उपयुक्त रूप से ध्यान दिया जाए।

5.9 समिति यह जानकर प्रसन्न है कि प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति योजना के तहत, मंत्रिमंडल द्वारा 2021-22 से 2025-26 तक अगले पांच वर्षों के लिए विभिन्न

परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक पर 3 से 10 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है। समिति को आशा है कि स्वीकृत निधियों का विवेकपूर्ण उपयोग इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। समिति का मानना है कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रीतियों को तैयार किया गया होगा कि निधियां अप्रयुक्त न रह जाए। समिति की इच्छा है कि विभाग द्वारा इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि विभाग को पर्याप्त प्रस्ताव मिल सकें। समिति निधियों के लाभकारी उपयोग के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अवगत होना चाहेगी।

अध्याय - छह

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति संबंधी युवा अचीवर्स योजना (श्रेयस)

6.1 अनुसूचित जातियों के लिए श्रेयस योजना के दायरे में चार योजनाएं हैं अर्थात्:

(एक) एससी हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है जिसके अंतर्गत 2000 नई अध्येतावृत्तियां (मानविकी/समाज विज्ञान के लिए 1500 कनिष्ट अनुसंधान फेलो तथा विज्ञान शाखा के लिए 500 कनिष्ट शोध फेलो) छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि एम.फिल/पीएच.डी. उपाधियों के लिए उच्च शिक्षा तथा शोध किया जा सके।

(दो) एससी तथा ओबीसी के लिए नि:शुल्क कोचिंग: एससी तथा ओबीसी के लिए निशुल्क कोचिंग स्कीम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एससी तथा ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए बेहतर गुणवत्तापरक कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बैठ सकें यह स्कीम दो विशिष्ट स्वरूपों में कार्यान्वित की जाती है अर्थात् मोड-1 में इस स्कीम के अंतर्गत पैनलगत विख्यात कोचिंग संस्थानों में कुल 2000 सीट आवंटित की जाती है। मोड-2 में यह विभाग इस स्कीम के अंतर्गत चयन समिति की सिफारिश पर 2000 छात्रों का सीधे ही चयन करता है। इस स्कीम के अंतर्गत कोचिंग प्रदान कराने के लिए एससी तथा ओबीसी का अनुपात 70:30 है इसलिए अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने की अवस्था में इस अनुपात में छूट दी जा सकती है।

(तीन) एससी के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा: एससी के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा स्कीम के अंतर्गत वे एससी छात्र आते हैं जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक हो और 12वीं से आगे अध्ययन करना चाहते हों तथा उन्होंने किसी भी अधिसूचित संस्थान में पूर्णकालिक विहित पाठ्यक्रम में संबंधित संस्थान द्वारा निर्धारित सामान्य चयन मानदंड के अनुसार

प्रवेश प्राप्त किया हो। संस्थान को आवंटित तीस प्रतिशत (30%) स्लॉट उनकी मेरिट के आधार पर पात्र एससी छात्राओं के लिए आरक्षित हैं।

(चार) एससी के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अनुसूचित जातियों, विमुक्त घुमन्तू जातियों तथा अर्ध-घुमन्तू जातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा परम्परागत दस्तकार श्रेणीके कम आय वर्ग के छात्रों, जिनके परिवार/अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं है वे उच्चतर शिक्षा अर्थात् मास्टर डिग्री अथवा पीएच.डी. पाठ्यक्रम का विदेशों में अध्ययन करने के लिए इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के पात्र हैं जिससे वे अपने आर्थिक तथा सामाजिक दर्जे में सुधार ला सकें।

6.2 इस योजना के तहत बजटीय आवंटन और व्यय निम्नानुसार है:

क्र सं	**कार्यक्रम / योजनाएं**	**2019-20**			**2020-21**			**2021-22**			बीई **2022-23**
		बीई	आर ई	वास्तविक व्यय	बीई	आर ई	वास्तविक व्यय	बीई	आर ई	वास्तविक व्यय	
1.	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	360.00	246.66	246.66	300.00	125.00	119.00	300.00	125.00	122.44	173.00
2.	अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निशुल्क कोचिंग	30.00	30.00	13.26	30.00	30.00	11.97	50.00	30.00	6.18	47.00
3.	अनुसूचित जाति के लिए उच्चतम श्रेणी की शिक्षा	40.50	40.50	39.70	40.00	50.00	52.88	70.00	70.00	18.79	108.00
4.	एससी के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	20.00	20.00	32.76	20.00	30.00	33.09	30.00	35.00	24.74	36.00
	कुल : अनुसूचित जातियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति संबंधी युवा अचीवर्स योजना के लिए (श्रेयस)	450.50	337.16	332.38	390.00	235.00	216.93	450.00	260.00	172.15	364.00

6.3 अनुसूचित जातियों के लिए इस योजना के अंतर्गत भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	**2019-20**			**2020-21**			**2021-22**				**2022-23**
लक्ष्य	उपलब्धि	कमी,यदि कोई हो,संक्षेप में कारण दर्शाते हुए	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी,यदि कोई हो,संक्षेप में कारण दर्शाते हुए	लक्ष्य	उपलब्धि			कमी,यदि कोई हो,संक्षेप में कारण दर्शाते हुए	
i	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	2000	2000	एनए	2000	4029$	एनए	2000	*	एनए	2000
ii	अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निशुल्क कोचिंग	100	100	एनए	100	100	एनए	100	100*	एनए	125
iii	अनुसूचित जाति के लिए उच्चतम श्रेणी की शिक्षा	**1500**	**1775**	**संस्थान से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं**	**4200**	**3118**	**संस्थान से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं**	**4200**	**2356**	**संस्थान से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं**	
iv	एससी के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृति	4546	1345	**संस्थान से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं**	4000	2112	**संस्थान से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं**	3500	384	**संस्थान से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं**	3500

6.4 अनुसूचित जाति के लिए सभी चार योजनाओं को एक अम्ब्रेला योजना श्रेयस के अंतर्गत लाने के पीछे के उद्देश्य के संबंध में, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"श्रेयस अम्ब्रेला स्कीम की संकल्पना ,विभाग की 4छोटी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों में संसाधनों के अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए की गई है ,जो भारत और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और/या केंद्र या राज्य सरकारों की ग्रुप ए/ग्रुप बी सेवाओं में रोजगार के इच्छुक एससी/ओबीसी छात्रों को कवर करती है। जबकि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग स्कीम छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए तैयारी करने का या कोचिंग शुल्क के वित्तपोषण द्वारा और उन्हें वजीफा देकर केंद्र/राज्य सरकारों में रोजगार के लिए ,अवसर प्रदान करती है उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति स्कीम ,अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को उच्च श्रेणी के पैनलबद्ध तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में शामिल होने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है, राष्ट्रीय फैलोशिप स्कीम ,चयनित मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को विज्ञान ,मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में एम.फिल और पीएच.डी .डिग्री में शामिल होने ,उसे जारी रखने और पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। नेशनल ओवरसीज स्कीम ,मास्टर्स और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए विदेशी शैक्षिक संस्थानों में शामिल होने के इच्छुक मेधावी छात्रों की समान आकांक्षाओं को पूरा करती है। प्रस्तावित अभिसरण प्रयासों ,लाभार्थियों और संसाधनों के दोहराव को रोकेगा और कार्यान्वयन मशीनरी तथा समान ग्राहकों को सेवाओं के वितरण को सुव्यवस्थित करेगा।"

6.5 अन्य पिछडे वर्गों और ईबीसी के लिए श्रेयस योजना में निम्नलिखित दो उप-योजनाएं हैं :-

(i) अन्य पिछड़ा वर्ग और ईबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
(ii) अन्य पिछडे वर्गों के विदेशों में अध्ययन पर ब्याज सब्सिडी।

6.6 अन्य पिछड़ा वर्ग और ईबीसी के लिए इस योजना के तहत बजटीय आवंटन और व्यय निम्नानुसार है:

क्र सं	कार्यक्रम / योजनाएं	2019-20			2020-21			2021-22			बीई 2022-23
		बीई	आरई	वास्तविक व्यय	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	
1.	ओबीसी और ईबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	70.00	52.50	52.50	120.00	45.00	33.00	100.00	60.00	40.00	53.00
2.	अन्य पिछडे वर्गों के विदेशों में अध्ययन पर ब्याज सब्सिडी	15.00	26.09	26.09	35.00	35.00	32.61	30.00	30.00	0.00	27.00
	कुल : अनुसूचित जातियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति संबंधी युवा अचीवर्स योजना के लिए (श्रेयस)	85.00	78.59	78.59	155.00	80.00	65.61	130.00	90.00	40.00	80.00

6.7 अन्य पिछडे वर्गों और ईबीसी के लिए श्रेयस योजना के तहत भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है:

क्र सं	कार्यक्रम / योजना का नाम	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23
		लक्ष्य	उपलब्धि	कमी,यदि कोई हो,संक्षेप में कारण दर्शाते हुए	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी,यदि कोई हो,संक्षेप में कारण दर्शाते हुए	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी,यदि कोई हो,संक्षेप में कारण दर्शाते हुए	
i	अन्य पिछडे वर्गों के विदेशों में अध्ययन पर ब्याज सब्सिडी	3297	3297	**कोइ कमी नहीं**	1760	4342	राज्यों/संघ -राज्य क्षेत्रों से अंतिम लाभार्थी डेटा प्रतीक्षित	2000	**राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थी के आंकड़े आगामी वर्षों के प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किए जाते हैं**		2500
ii	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	1193	1193	**कोइ कमी नहीं**	1100	1235	राज्यों/संघ -राज्य क्षेत्रों से अंतिम लाभार्थी डेटा प्रतीक्षित	2900			2700

6.8 इन योजनाओं में से प्रत्येक के तहत वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान आवंटित धन का उपयोग नहीं किया जाने के कारणों और इस संबंध में किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि::

"एनएफएससी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए यूजीसी को धनराशि जारी की जाती है। चयनित उम्मीदवारों की तुलना में पाठ्यक्रम में शामिल होने /उसे जारी रखने वाले उम्मीदवारों की संख्या कम होने के कारण निधियों का कम उपयोग हुआ है। स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी की बेहतरी के लिए उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 21-2020में 2000के नियमित स्लॉट के साथ पिछले वर्ष के रिक्त स्लॉट को भरने के लिए कुल 40293उम्मीदवारों का चयन किया गया था।

एनओएस स्कीम के लिए लागू नहीं है क्योंकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में धन का पूरी तरह से उपयोग किया गया है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा स्कीम के अंतर्गत ,वर्ष 21-2020के दौरान व्यय संशोधित अनुमान से अधिक था और वर्ष 20-2019 के दौरान यह संशोधित अनुमान का लगभग %98था। हालांकि ,स्कीम के बेहतर क्रियान्वयन और छात्रवृत्ति राशि समय से जारी करने के लिए वर्ष -2021 22में स्कीम के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। अब फीस और वजीफा सहित पूरी छात्रवृत्ति राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी छात्रों के बैंक खाते में किया जाएगा। पहले छात्रवृत्ति का शुल्क घटक संस्थानों को जारी किया जाता था और उन्हें बाद के वर्ष की छात्रवृत्ति पर कार्रवाई के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि जमा करने की आवश्यकता होती है। संस्थानों द्वारा दस्तावेज जमा न करने से स्कीम के अंतर्गत होने वाले व्यय के साथ-साथ छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पर कार्रवाई न होने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

नि:शुल्क कोचिंग स्कीम के अंतर्गत ,वर्ष 20-2019और वर्ष 21-2020के लिए पैनल में शामिल संस्थानों द्वारा पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत न करने के कारण व्यय , संशोधित अनुमान का लगभग 40से %45था। स्कीम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ,दिशा-निर्देशों को वर्ष 21-2020में संशोधित किया गया और चयन का एक नया तरीका यानी मोड 2लागू किया गया। मोड 2के अंतर्गत छात्रों से सीधे पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और संबंधित श्रेणी में उनकी योग्यता के अनुसार चयनित लाभार्थी छात्रों को सीधे छात्रवृत्ति जारी की जाएगी।"

6.9 बजटीय अनुमान को वर्ष 2021-22 के दौरान 450.00 करोड़ रुपये से घटाकर 2022-23 में 364.00 करोड़ रुपये कर दिये जाने के कारणों के संबंध में और प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए प्रस्तावित कदमों के बारे में, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"जहां तक एनएफएससी की स्कीम का संबंध है, यूजीसी द्वारा फैलोशिप प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए निधि की आवश्यकता प्रस्तुत की जाती है और तदनुसार बजट आवंटन प्रस्तावित किया जाता है ताकि शेष धनराशि, यदि कोई हो, अनुसूचित जाति के लिए विभाग की अन्य स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों के कल्याण के लिए उपयोग की जा सके। अनुसूचित जाति के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान 108/- करोड़ रूपए है यानी वर्ष 2020-21 के लिए 70.00

करोड़ रूपए के आवंटन से अधिक है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नि:शुल्क कोचिंग के अंतर्गत, बजट आवंटन वर्ष 2022-23 के लिए 47.50 करोड़ रूपए है यानी वर्ष 2021-22 में 50 करोड़ रूपए से कम। इस संदर्भ में यह निवेदन है कि विगत वर्षों में व्यय की प्रवृत्ति और लक्षित लाभार्थियों की संख्या को 4000 (2021-22) से घटाकर 3500 (2022-23) करने को ध्यान में रखते हुए प्रतिबद्धता को पूरा किए जाने की उम्मीद है।"

6.10 इन योजनाओं के संबंध में किए गए मूल्यांकन अध्ययन के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि सभी योजनाओं का मूल्यांकन किया गया है, निहित सिफारिशों की जांच की गई है और उनपर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

6.11 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिश और विभाग की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	सिफारिश	कार्यक्रम प्रभाग की टिप्पणियां
1	लाभार्थियों की संख्या के लक्ष्य को बढ़ाने की जरूरत है।	मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिशों को आवश्यकता पड़ने पर अनुपालन के लिए नोट किया गया है।
2	प्रदर्शन मूल्यांकन को जेआरएफ स्तर पर भी आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि फेलोशिप के छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान आउटपुट करें।	यूजीसी, स्कीम को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है, जो वार्षिक रूप से छात्रों की शैक्षिक प्रगति को एकत्रित करने के लिए पोर्टल विकसित कर रही है। छात्रों द्वारा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तदनुसार पोर्टल पर भरी जाए।
3	स्कीम का लाभ उठाने के बाद/उसके दौरान लाभार्थियों का व्यय पैटर्न इंगित करता है कि फेलोशिप के रूप में दी गई राशि प्रति छात्र मासिक व्यय से अधिक है। इस प्रकार, छात्रवृत्ति की दर में और वृद्धि की अनुशंसा नहीं की जाती है।	स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, छात्रों को प्रदान की जाने वाली फैलोशिप की राशि और अन्य वित्तीय लाभों को शिक्षा विभाग के यूजीसी फैलोशिप के लागत मानदंडों के बराबर तय किया जाना आवश्यक है। अतः जब भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत एनएफएससी द्वारा फैलोशिप

		की राशि बढ़ाई जाती है, तो फैलोशिप की राशि भी बढ़ानी होगी।
4	बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए एक आकस्मिक निधि स्थापित करने की आवश्यकता है।	वित्तीय वर्ष में संभावित व्यय के स्लॉट की संख्या के आधार पर बजट अनुमान प्रस्तावित किए जाते हैं।
5	स्कीम को स्थानीय समाचार पत्रों और स्थानीय मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचारित करने की आवश्यकता है।	यूजीसी यूजीसी-नेट, सीएसआईआर-नेट के लिए आवेदन मांगने वाला विज्ञापन प्रकाशित करता है, जिसके आधार पर एनएफएससी के अंतर्गत छात्रों का भी चयन किया जाता है।
6	यूजीसी को अपनी वेबसाइट पर चयन सूची सार्वजनिक करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।	सूची यूजीसी द्वारा प्रकाशित की गई है।
7	यूजीसी की सिफारिशों पर नोडल बैंक शाखा द्वारा किए गए ऑनलाइन भुगतान की निगरानी मंत्रालय द्वारा की जानी चाहिए।	स्कीम के अंतर्गत छात्रों को फैलोशिप के वितरण सहित स्कीम के कार्यान्वयन के हर पहलू की निगरानी इस मंत्रालय द्वारा संयुक्त सचिव और सचिव के स्तर पर विभिन्न आवधिक बैठकों / समीक्षा बैठकों के माध्यम से की जाती है।
8	मंत्रालय के मार्गदर्शन में यूजीसी द्वारा एक कॉल सेंटर/शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।	राष्ट्रीय फैलोशिप प्रबंधन के लिए एक पोर्टल और एक शिकायत निवारण पोर्टल दिनांक 6 दिसंबर, 2021 को आरंभ किया गया था, जो फैलोशिप के छात्र-केंद्रित प्रशासन की अनुमति देगा और फैलोशिप को समय पर जारी करने के लिए कष्टप्रद कागजी काम को काफी हद तक कम कर देगा। इसी तरह, शिकायत निवारण पोर्टल छात्रों की समस्याओं का तेजी से समाधान

		करने में मदद करेगा।
9	डिजिटल परिणाम रिपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा सकती है।	स्कीम के आउटपुट/आउटकम स्कीम के अंतर्गत तिमाही आधार पर नीति आयोग को प्रदान किए जाते हैं।
10	मानविकी और सामाजिक विज्ञान की मांग अधिक है, इसलिए स्लॉट को आनुपातिक रूप से विभाजित किया जा सकता है।	मौजूदा स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रति वर्ष 2000 की कुल आवंटित सीटों में से 1500 सीटें यानी कुल सीटों का 75% सामाजिक विज्ञान और मानविकी को पहले ही आवंटित किया जा चुका है। संशोधित स्कीम दिशा-निर्देशों में भी यही प्रावधान रखा गया है।
11	उम्मीदवार से एक वचनबद्धता ली जानी चाहिए कि यदि कोई उम्मीदवार डिग्री पूरी नहीं करता है, तो उसे पूरी फेलोशिप राशि वापस करनी होगी।	इस सिफारिश को लागू करना संभव नहीं हो सकता है क्योंकि स्कीम की कार्यान्वयन प्रक्रिया यूजीसी फैलोशिप स्कीम के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अंतिम रूप दिए गए मानदंडों पर आधारित है।
12	लाभार्थियों की संख्या के लक्ष्य को बढ़ाने की जरूरत है।	अनुशंसा को आवश्यकता पड़ने पर अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
13	प्रदर्शन मूल्यांकन को जेआरएफ स्तर पर भी आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि फेलोशिप के पुरस्कार प्राप्त करने वाले गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान आउटपुट करें।	यूजीसी, स्कीम को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है, जो वार्षिक रूप से छात्रों की शैक्षिक प्रगति को एकत्रित करने के लिए पोर्टल विकसित कर रही है। छात्रों द्वारा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तदनुसार पोर्टल पर भरी जाए।

6.12 राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (एनओएस) के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन और सिफारिशों के प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

i. स्कीम को जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि यह योग्य स्कॉलरों को बेहतर रोजगार के लिए वैश्विक जोखिम और ज्ञान आधारित कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।

ii. स्कीम के अंतर्गत व्यापक कवरेज के लिए ,चयन के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदकों को आकर्षित करने के लिए इसके त्रैमासिक प्रचार हेतु उपयुक्त मीडिया का चयन किया जाना। मौजूदा प्रचार मंचों को जारी रखने के अलावा ,व्यापक कवरेज के लिए क्षेत्रीय प्रिंट मीडिया का भी उपयोग किया जाना चाहिए।

iii. विदेश में उच्च अध्ययन पूरा करने के बाद ,छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को कम से कम पांच साल के लिए भारत में रहना अनिवार्य होना चाहिए ,ताकि उनके विदेशी अनुभव का पूरे समाज द्वारा उपयोग किया जा सके।

iv. बाजार मूल्य सूचकांक)एमपीआई (को ध्यान में रखते हुए आय सीमा को संशोधित किया जा सकता है।

v. लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र सही हैं यह सुनिश्चित करने के लिए ,घर के सभी सदस्यों द्वारा दाखिल टैक्स रिटर्न की एक प्रति आय प्रमाण पत्र और पैन नंबर के साथ मंत्रालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों के आय प्रमाण पत्रों का वास्तविक पुन :सत्यापन करने के लिए भी एक प्रणाली स्थापित की जा सकती है। चयनित उम्मीदवारों से इस आशय का एक शपथपत्र भी लिया जाना चाहिए कि विदेशी छात्रवृत्ति के लिए चयन के बाद ,आय प्रमाण पत्र के संबंध में किसी भी स्तर पर किसी भी विसंगति का पता चलता है, तो छात्रवृत्ति को रद्द कर दिया जाएगा और दंडात्मक ब्याज के साथ पूरी राशि मंत्रालय को वापस कर दी जाएगी।

vi. शैक्षिक पाठ्यक्रमों को पूरा करने में असमर्थता को दूर करने के लिए ,उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्होंने जीआरई/जीमैट.टीओएफईएल उत्तीर्ण किया है ,ताकि चयनित उम्मीदवारों में अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल हो। यह सुनिश्चित

करने के लिए कि चयनित उम्मीदवार अपना पाठ्यक्रम पूरा करें ,विदेश में भारतीय मिशन/दूतावासों से मंत्रालय को लाभार्थियों की तिमाही स्थिति रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया जा सकता है। रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय उचित निर्णय ले सकता है। यदि उम्मीदवार सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा नहीं करता है और उचित औचित्य के बिना पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है , तो उम्मीदवार को पूरी राशि दंडात्मक ब्याज के साथ वापस करने की आवश्यकता हो सकती है।

vii. किसी अनुपयुक्त व्यवहार के लिए मंत्रालय द्वारा मेजबान संस्थान/विश्वविद्यालय के लिए एक ऑनलाइन प्रारूप तैयार किया जा सकता है ,छात्रवृत्ति रद्द की जा सकती है और उम्मीदवार को लागू ब्याज के साथ पूरी राशि वापस करने के लिए कहा जा सकता है।

viii. विदेश में अध्ययन कर रहे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं की अर्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की जांच को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट में परिवर्तित किया जाना चाहिए। त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट का एक प्रारूप तैयार किया जा सकता है, जिसमें अकादमिक स्कोर ,पाठ्येतर गतिविधियों में भागीदारी , डिस्टिंक्शन/पुरस्कार/सम्मान प्राप्त करना और प्रकाशन प्रकाशित करने तथा मंत्रालय को विवरण प्रदान करने में मदद करने के लिए विदेश में भारतीय मिशन को भेजा जाना शामिल है।

ix. पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद ,स्कॉलरों को भारत में किसी भी उद्योग/संस्थान के साथ कम से कम पांच साल के लिए लगाया जाना चाहिए। जो लोग पांच साल तक रहने के इच्छुक नहीं हैं ,उन्हें मौजूदा बैंक ब्याज दर के साथ स्कीम के संचालन पर खर्च की गई लागत राशि सहित उस पर वितरित पूरी राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

x. अन्य सामाजिक समूहों ,अर्थात् विमुक्त ,घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों , तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों का क्रमशः छह और चार)स्कीम के अंतर्गत पहले से निर्धारित (का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

6.13 अध्ययन रिपोर्ट में की गई कई सिफारिशों को चयन वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित स्कीम दिशानिर्देशों में शामिल किया गया था। हालांकि, एनओएस एकक द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट पर निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं :-

(i) मूल्यांकन अध्ययन के अंतर्गत, स्कॉलरों की अपर्याप्त संख्या, कम पहुंच और लाभार्थियों के आय प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की कड़ी जांच के मुद्दे को निपटाने संबंधी सिफारिशें शामिल थीं। हालांकि, पीएचडी को पूरा करने में उम्मीदवारों की अक्षमता, चयनित उम्मीदवारों के गैर-गंभीर व्यवहार, उनकी पढ़ाई, मूल्यांकन, छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं की द्विवार्षिक प्रगति रिपोर्ट की जांच, संभावित लाभार्थियों और अनुचित चयन मानदंडों का चयन करने के लिए व्यवस्थित कार्यनिति का विकास के रूप में पहचाने गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई थी।

(ii) उम्मीदवारों के आय प्रमाण पत्रों की कड़ी जांच के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट के अंतर्गत आधार संख्या, पैन और उम्मीदवारों तथा उनके परिवार के सदस्यों के आधार से जुड़े बैंक खातों के बारे में जानकारी एकत्र करने का सुझाव दिया गया है। पैन मांगने के सुझाव पर माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सहमति नहीं दी। आधार से जुड़े बैंक खातों की जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है और इसके प्रकटीकरण के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, भले ही यह जानकारी एकत्र की गई हो, एकत्र की गई जानकारी की सत्यता का पता लगाने के लिए संबंधित बैंक अधिकारियों के साथ पत्राचार की आवश्यकता होगी, जिसमें समय लगेगा, जिससे चयनित उम्मीदवारों के छात्रवृत्ति मामलों पर कार्रवाई करने में देरी होगी।

(iii) निधियों के कम उपयोग के संबंध में, यह सूचित किया गया था कि भारतीय मिशनों/दूतावासों के साथ विभाग के निरंतर आग्रह के कारण स्कीम के अंतर्गत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और आने वाले वित्तीय वर्षों के दौरान, एनओएस के अंतर्गत आवंटित निधि में वृद्धि की गई और उसका पूर्ण उपयोग किया गया।

6.14 अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च श्रेणी की शिक्षा के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर विभाग की टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	मूल्यांकन रिपोर्ट में टिप्पणियां	विभागों की टिप्पणियां
1	यह देखा गया कि सामान्य तौर पर स्कीम के तहत विभिन्न प्रावधानों और दिशा-निर्देशों के बारे में उचित जागरूकता का अभाव था। सामान्य तौर पर, यह देखा गया है कि लाभार्थियों के बीच सूचना में भिन्नता है।	स्कीम के दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर अपलोड किए गए हैं। चूंकि यह स्कीम एनएसपी के माध्यम से लागू की गई है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एनएसपी पोर्टल के खुलने/बंद होने की तारीख के विज्ञापन पर पहले से ही कार्रवाई कर रहा है। समय-समय पर आवेदक को उनके छात्रवृत्ति आवेदन की स्थिति के संबंध में संदेश भेजे जाते हैं।
2	मंत्रालय संस्थानों को सभी सीटों को भरना सुनिश्चित करने का निर्देश दे सकता है ताकि उपलब्ध प्रावधानों का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके। इसके अलावा, यह सुझाव दिया जाता है कि छात्रों की योग्यता के अलावा छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्रों का चयन करते समय छात्र परिवार की आर्थिक क्षमताओं को अतिरिक्त मानदंड के रूप में भी माना जा सकता है।	स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, संस्थान स्वीकृत पाठ्यक्रम और स्लॉट के बारे में बहुत अधिक जागरूक हैं। वे एनएसपी पोर्टल के माध्यम से सत्यापन के बाद आवेदकों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
3	आवेदन जमा करने और छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बीच समय का अंतर बहुत अधिक है। कुछ मामलों में, छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद भी उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। यह छात्रों को टर्म फीस के खर्चों को पूरा करने के लिए शिक्षा ऋण लेने पर मजबूर करता है।	एनएसपी पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की ऑनलाइन प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। वर्ष 2021-22 में दिशा-निर्देशों में भी संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत अब फीस और वजीफा समेत पूरी छात्रवृत्ति का भुगतान सिर्फ छात्रों को ही किया जाएगा। पहले संस्थानों को शुल्क घटक जारी किया जाता था और यूसी आदि जमा नहीं करने के कारण छात्रवृत्ति की प्रक्रिया में देरी हो रही थी।

4	अध्ययन के दौरान, अधिकांश छात्रों द्वारा यह सामान्य रूप से प्रस्तुत किया गया था कि ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने में कुछ गड़बड़ियां थीं और पोर्टल के माध्यम से नवीनीकरण पूरा नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप छात्रों ने नए आवेदन तैयार किए जो फिर से निर्धारित दिशानिर्देशों के विपरीत था। मंत्रालय और संस्थानों के नोडल अधिकारी के बीच सहज संचार चैनल होने की आवश्यकता है ताकि भ्रम/प्रश्नों का समय पर समाधान किया जा सके ताकि किसी को परेशानी न हो।	एनएसपी में नवीनीकरण आवेदन जमा करने से संबंधित मुद्दे को पोर्टल को संभालने वाली तकनीकी टीम के साथ पहले ही उठाया जा चुका है। आवेदनों पर कार्रवाई तथा पोर्टल में इसकी जांच के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के माध्यम से संस्थानों को भी जागरूक किया गया।
5	पोर्टल से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने की गंभीर आवश्यकता है, जिसे हितधारकों की कार्यशालाओं के साथ हल किया जा सकता है, ताकि आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए पोर्टल में बदलाव किया जा सके। यह महत्वपूर्ण है कि पोर्टल जो मैन्युअल कार्रवाई को फिर से शुरू करने के लिए सुविधा के रूप में कार्य कर रहा है, वह स्वयं बाधा उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि मंत्रालय इसे प्राथमिकता के आधार पर ले, क्योंकि इससे पोर्टल के कामकाज में सुधार के साथ, संस्थानों और लाभार्थियों द्वारा उठाई गई कई चिंताओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा।	मंत्रालय उन सभी तकनीकी मुद्दों को उठा रहा है जिन्हें एनएसपी के परामर्श से हल करने की आवश्यकता है।
6.	लाभार्थियों की प्रतिसूचना के अनुसार, हेल्पलाइन और शिकायत निवारण के	यह स्कीम एनएसपी के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। आवेदनों को संसाधित करने से संबंधित

	संबंध में प्रतिक्रियाएं खराब थीं। यह सुझाव दिया जाता है कि मंत्रालय वर्तमान हेल्पलाइन सिस्टम को मजबूत करने पर विचार करें ताकि छात्रों के सवालों का वहीं पर समाधान किया जा सके। इसके अलावा, शिकायत निवारण तंत्र जो स्थापित प्रणालियों की कुशलता और प्रभावशीलता को मापने में मदद करता है क्योंकि यह कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रतिसूचना प्रदान करता है। प्रतिक्रिया के नहीं होने से अथवा खराब प्रतिक्रिया से हतोत्साहित होकर मैदान छोड़ देते हैं।	सभी मुद्दों को समय-समय पर एनएसपी टीम द्वारा टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से आवेदक को सूचित किया जाता है। यदि कोई अनसुलझी समस्या है, तो आवेदक dbtcell.msje@nic.in पर मेल के माध्यम से मंत्रालय में डीबीटी सेल से संपर्क कर सकते हैं। इसके समाधान के लिए डीबीटी सेल की टीम कार्रवाई कर रही है।

6.15 समिति नोट करती है कि विभाग वर्ष 2019-20 और 2020-21 में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के युवा अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा की छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस) के दायरे में आने वाली सभी चार योजनाओं पर बजटीय आवंटन की एक बड़ी राशि खर्च करने में सक्षम था, सिवाय 2021-22 के, जहां विभाग तीन योजनाओं के तहत खर्च करने में पिछड़ गया था, अर्थात्, 'अनुसूचित जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए निशुल्क कोचिंग', 'अनुसूचित जातियों के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा' और 'अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति'। समिति को आश्चर्य है कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए निर्धारित निधि का कम उपयोग चयन की तुलना में पाठ्यक्रम में शामिल होने/जारी रखने वाले उम्मीदवारों की कम संख्या के कारण था। इसी प्रकार, उच्च श्रेणी की शिक्षा योजना के मामले में संस्थानों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण स्वीकृत निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका और अनुसूचित जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए निशुल्क कोचिंग योजना के मामले में पैनलबद्ध संस्थानों द्वारा पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय नहीं किया जा सका। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वीकृत निधियों का कम उपयोग न

केवल निधियों को निष्क्रिय रखता है बल्कि समाज के हाशिए पर जा चुके वर्गों के छात्रों को इन छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से विभाग द्वारा प्रदान किए गए शिक्षा अवसरों को प्राप्त करने से भी वंचित करता है। समिति महसूस करती है कि किसी भी तरह की सुस्ती से 2020-21 और 2021-2022 के दौरान अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुफ्त कोचिंग, अनुसूचित जाति के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा और अनुसूचित जाति योजनाओं के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति के कार्यान्वयन पर और अधिक प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि विभाग द्वारा इस प्रणाली में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति न हो, फिर भी विभाग/एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इस प्रणाली के अनुपालन और नियमित निगरानी की पुरजोर आवश्यकता है। समिति चाहती है कि 2022-23 के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों को अनुसूचित जाति और ओबीसी छात्रों के हित में पूरी तरह से उपयोग किया जाए।

6.16 समिति ने पाया है कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा और अनुसूचित जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए निशुल्क कोचिंग के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य उनकी वास्तविक जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। समिति चाहती है कि विभाग को प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से पहले इन योजनाओं में से प्रत्येक के अंतर्गत पात्र छात्रों पर विचार करना चाहिए। इसी प्रकार, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित आय मानदंडों में बढ़ती मुद्रास्फीति के आलोक में संशोधन करने की आवश्यकता है। समिति महसूस करती है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, विदेश में अध्ययन करने का जोखिम नहीं उठा सकता है, इसलिए प्रति वर्ष 8.00 लाख रुपये की आय का मानदंड अवास्तविक है। यह आय मानदंड कई छात्रों को इस योजना का लाभ उठाने से हतोत्साहित करता है, इसलिए इसका उद्देश्य केवल तभी पूरा होगा जब आय मानदंड को संशोधित किया जाएगा। विभाग को अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, अनुसूचित जातियों के लिए उच्च

श्रेणी की शिक्षा और अनुसूचित जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए निशुल्क कोचिंग के लिए पात्र छात्रों की संख्या का आकलन करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र भी बनाना चाहिए ताकि अधिकतम छात्रों को योजनाओं के तहत शामिल किया जा सके। इसलिए समिति इन योजनाओं में से प्रत्येक के तहत निर्धारित प्रत्येक वर्ष के लिए स्लॉट संख्या सहित आय मानदंडों की समीक्षा करने की सिफारिश करती है। समिति चाहती है कि विभाग इन मुद्दों पर पूरी ईमानदारी से ध्यान देने के लिए अपेक्षित उपाय करे।

6.17 समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि श्रेयस के तहत 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के बजटीय अनुमानों को काफी कम कर दिया गया है। समिति ने पिछले वर्षों में व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बजटीय आबंटन में कमी के औचित्य को सही नहीं पाया है। समिति महसूस करती है कि इसमें लाभार्थी की कोई गलती नहीं है और किसी विशेष वर्ष में योजना की विफलता का यह अर्थ नहीं है कि योजना का लाभ लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए, बजट को कम नहीं किया जाना चाहिए था। अत: समिति का यह विचार है कि इस योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए इन सभी योजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन और उसमें की गई सिफारिशों/सुझावों को अपनाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति चाहती है कि विभाग अब इस पर कार्रवाई करे, इसके अलावा उन तरीकों और साधनों का पता लगाए जिनके माध्यम से योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या को अधिकतम किया जा सके।

अध्याय - सात

हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार स्कीम (एसआरएमएस)

मंत्रालय, मैनअुल स्केवेंजरों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के माध्यम से मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार स्कीम (एसआरएमएस) का कार्यान्वयन करता हैः

क. अभिज्ञात मैनुअल स्केवेंजरों के लिए 40,000 रूपए की एकबारगी नकद सहायता।

ख. ब्याज की रियायती दरों पर 15.00 लाख रूपए तक परियोजना लागत हेतु ऋण।

ग. 5,00, रूपए तक क्रेडिट लिंक्ड 000अग्रिम कैपिटल सब्सिडी।

घ. 3000 रूपए प्रतिमाह की दर से वज़ीफा सहित दो वर्ष की अवधि के लिए कौशल प्रशिक्षण।

7.2 पिछले तीन वित्तीय वर्षों के संबंध में हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना पर बजटीय आवंटन और व्यय और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय अनुमान को दर्शाने वाला एक विवरण इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बीई	आर ई	वास्तविक व्यय
2019-20	110.00	99.93	84.80
2020-21	110.00	30.00	16.60
2021-22	100.00	43.31	24.00
2022-23	70.00	---	---

7.3 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने 15 मार्च, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में 399.79 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ अगले 5 वर्षों यानी 2025-26 तक इस योजना को

जारी रखने को मंजूरी दे दी है। एसएफसी ने योजना में निम्नलिखित संशोधनों की भी स्वीकृत दी है:-

(i) स्वरोजगार परियोजना लागत को 10.00 लाख रूपये से बढ़ा कर 15.00 करना

(ii) स्वीकार्य पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम राशि को 3.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.00 लाख रुपये करना

(iii) हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों के अलावा, स्वच्छता से संबंधित परियोजनाओं के लिए, सफाई कर्मचारी और उनके आश्रित भी परियोजना वित्त के लिए पूंजीगत सब्सिडी और अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे

(iv) पूंजीगत सब्सिडी का भुगतान पहले बैक-एंड पूंजीगत सब्सिडी के विपरीत अग्रिम रूप से किया जाएगा

(v) लाभार्थियों का समूह भी परियोजनाओं के लिए सहायता के लिए पात्र होगा। अधिकतम समूह परियोजना लागत ₹ 50.00 लाख होगी। प्रति सदस्य परियोजना का अधिकतम हिस्सा ₹10.00 लाख होगा।

7.4 विभाग ने कहा कि मौजूदा उपाय तब से सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को समाप्त करने में सफल नहीं हुए हैं और इसके लिए अधिक गंभीर, कठोर और केंद्रित रणनीति ढांचे की आवश्यकता है। तदनुसार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के परामर्श से सीवर प्रणाली और सेप्टिक टैंकों की मैन्युअल सफाई को समाप्त करने और मैनुअल सफाई में लगे कामगारों के पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है। मशीनीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएएमएएसटीई) उपर्युक्त मंत्रालयों द्वारा एक समन्वित कार्रवाई है, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसे कार्यान्वित करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा।. यह एक समन्वयक मंत्रालय की भूमिका सुनिश्चित करेगा जो मुख्य रूप से खतरनाक सफाई में लगे सफाई कर्मचारियों की निगरानी, पुनर्वास और कौशल से संबंधित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त बातचीत में इसकी ओर से कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं है। मशीनीकृत

सफाई को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा कार्यान्वित एक ऋण योजना चल रही स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई) के माध्यम से अंत:क्षेप किया जाएगा।

7.5 अपने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत, एनएसकेएफडीसी अपने लक्षित समूह अर्थात सफाई कर्मचारियों (अपशिष्ट बीनने वालों सहित), हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों (18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वर्ग में) को केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों आदि के माध्यम से 1 महीने से 1 वर्ष की अवधि वाले विभिन्न ट्रेडों में क्षेत्र कौशल परिषदों के माध्यम से रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक/तकनीकी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है। लक्षित समूह के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य निम्नवत हैं-

i. उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए;
ii. नौकरी रोजगार / स्व-रोजगार करने या किसी अन्य आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में शामिल होने में सक्षम बनाना।
iii. सफाई कर्मचारियों (अपशिष्ट बीनने वालों सहित), हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों द्वारा स्थापित इकाइयों के कुशल प्रबंधन के लिए उनके कौशल का उन्नयन करना।

7.6 सीवर और सेप्टिक टैंकों की मैन्युअल रूप से सफाई करते समय लोगों की सुरक्षा के लिए विभाग द्वारा किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान कहा कि:

> "हमने पिछली बार भी आपको बताया था की हजार्ड्स क्लीनिंग के आंकड़े पिछले दो साल से बहुत कम हैं। पहले 130 लोग मरते थे अब यह संख्या 19-20 हो गई है। पिछले साल 22 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस साल अब तक किसी की डैथ रिपोर्ट नहीं हुई है। हमने इसे कम करने के लिए एक्शन प्लान बनाया था- नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सेनिटेशन ईको सिस्टम। इसमें तीन मंत्रालय भागीदार थे- एक हमारा मंत्रालय है, हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड

सेनिटेशन भी है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ डीपीआईआईटी है। इन सबकी जवाबदेही म्युनिसिपेलिटीज़ में मेकेनाइजेशन को प्रमोट करने के प्रति थी। हमने इसमें अपने मंत्रालय की तरफ से स्वच्छता उद्यमी योजना स्कीम लांच की थी। इसके अंतर्गत जितने सफाई मित्र भाई थे, उनको छोटी मशीनें और 15 लाख तक लोन उपलब्ध करवाया गया था। इसमें सब्सिडी का कम्पोनेंट 3 लाख 25 हजार से बढ़कार पांच लाख कर दिया था, यानी कोई 15 लाख की मशीन लेगा तो भारत सरकार पांच लाख तक सब्सिडी प्रदान करेगी।"

7.7 वितरित की गई मशीनों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर, विभाग के प्रतिनिधि ने चर्चा के दौरान समिति के समक्ष बताया कि:

"हमने लोन मेला के माध्यम से कई म्युनिसिपेलीटीज़ में अभियान चलाया था। अब तक हमने 29 म्युनिसिपेलीटीज़ में 183 मशीनें दी हैं।"

7.8 उन्होंने आगे बताया:

"हम कुछ मशीनें तो डायरेक्टली म्यूनिसिपैलिटी को देते हैं। लेकिन, उनकी संख्या बहुत ही कम होती हैं। मिनिस्ट्री के पास इतना सोर्स नहीं होता कि हम दे सकें। इसका अधिकांश काम हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देखती है। लेकिन, हम जो मशीन अपने सफाई मित्र भाइयों को देते हैं, ये जो स्कीम है, इसमें उनको भी लाभ मिले, तो इसको हमने पिछले साल शुरू किया था। इसके बारे में अभी मैंने आपको ब्यौरा दिया है।"

7.9 सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान मृत व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे के संबंध में, समिति को चर्चा के दौरान विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि:

"हमारे पास रिपोर्टेड है, हम नेशनल डेटा बैंक रखते हैं। वर्ष 1993 से लेकर आज तक 957 मौतें हुई हैं। इनमें 680 लोगों को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अंतर्गत दस लाख देना था, हमने सबको प्रोवाइड कर दिया है। 139 लोग ऐसे थे जिनको दस लाख से कम दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वर्ष 2014 में आया था। कई राज्य सरकारों ने अपनी स्कीमों के अंतर्गत तीन से छः लाख रुपये तक दिए हैं। हम सबको परस्यु करते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अंतर्गत दस लाख रुपये देने हैं, इसलिए बैलेंस एमाउंट भी दिया जाए। कई लोगों को दस लाख

रुपये से कम मिले हैं। हम अपनी तरफ से राज्य सरकारों को लिखते हैं और कमीशन का सहयोग लेते हैं। 104 लोगों को नहीं मिला है।"

7.10 जिन परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, उनके संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर, विभाग के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान बताया कि:

"हम निरंतर उनको लिख रहे हैं और हमने उनके साथ डिटेल्स तक शेयर की हैं। महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि पैसा कहां से दें। हमने उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बहुत साफ है कि स्टेट गवर्नमेंट इसे पे करेगी। हमारे पास ऐसी कोई निधि नहीं है, हम केवल इसे एन्श्योर करते हैं कि उनको राइट्स मिलें, कम्पेनसेशन मिले।"

7.11 हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के संबंध में समिति को विभाग के प्रतिनिधि द्वारा विचार-विमर्श के दौरान सूचित किया गया कि:

"हमारे यहां "स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ़ मैन्युअल स्केवेंजेर्स" चल रहा था। इसके अंतर्गत ही हमने इनके लिए कोशिश की थी। हम इनके लिए स्कीलिंग का भी काम करते हैं।"

7.12 विभाग के प्रतिनिधि ने आगे कहा कि:

"स्किल ट्रेनिंग के लिए हमारे पासे इम्पैनल्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स हैं, जो एम एस डी के द्वारा इम्पैनल किए गए हैं। ऐसे 58 पैन इंडिया इंस्टिट्यूट्स हैं, जहां हम कौशल-प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। हमने जो नया पोर्टल बनाया है, उसका अनावरण पिछले साल अगस्त, 2021 में हुआ था। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी कैंडिडेट चाहे वह कहीं भी हो, वह उस पर लॉगिन कर सकता है। वह रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसी भी स्थान से, किसी भी ट्रेड कोर्स में अप्लाई कर सकता है। उसमें कम से कम 216 ट्रेड कोर्सेज हैं। हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स हैं, वे प्रयास करते हैं कि वे जहां रह रहे हैं, उनके आस-पास ही ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।"

7.13 समिति यह जानकर प्रसन्न है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग के समन्वय से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा

मशीनीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना -एनएएमएएसटीई) स्थापित की गई है ताकि सीवर प्रणाली और सेप्टिक टैंकों की हाथों से की जाने (नमस्ते वाली सफाई को समाप्त किया जा सके और हाथों से की जाने वाली सफाई में लगे कामगारों का पुनर्वास किया जा सके। मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए अन्तःक्षेप राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना 'स्वच्छता उद्यमी योजना' के माध्यम से किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी पाया है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा को रोकने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, रियायती दरों पर ऋण, क्रेडिट लिंक्ड अग्रिम कैपिटल सब्सिडी, जिसे विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जैसी विभिन्न योजनाएं हैं। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि इन सभी उपायों के बावजूद सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय व्यक्तियों की मौत आज भी हो रही है। समिति उन कारणों को समझने में असमर्थ है जिनके कारण विभाग की पहलों का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ रहा है। समिति का मानना है कि मंत्रालयों के साथ समन्वय से शुरू की गई मशीनीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना हाथ से सफाई की समस्या को कम करने में मदद करेगी (एनएएमएएसटीई), जब सभी नगर निकायों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा और यांत्रिक सफाई को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। समिति चाहती है कि विभाग इस योजना की आवधिक जांच के लिए एक तंत्र स्थापित करे क्योंकि विभाग के प्रयासों को प्रभावित करने वाली खामियों को बिना विलम्ब के दूर करने की पुरजोर आवश्यकता है। समिति यह भी चाहती है कि योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित बजटीय आबंटन को संशोधित स्तर पर कम करने के बजाय बढ़ाया जाए।

7.14 समिति इस बात से निराश है कि सीवर/सेप्टिक टैंकों की हाथों से सफाई के कारण होने वाली मौतों के लिए 104 व्यक्तियों को मुआवजा नहीं दिया गया है। समिति यह जानकर चकित थी कि महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने निधियों की कमी के कारण मुआवजे का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। समिति का मानना है कि

मौत होने पर रोटी कमाने वाले के परिवार को तुरंत मुआवजा दिए जाने की जरूरत है। समिति का मानना है कि परिवार में कमाने वाले की मौत होने पर परिवार को तुरंत मुआवजा दिए जाने की जरूरत है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग सहित राज्य सरकारों की ओर से इस मामले में गंभीरता नहीं बरती जा रही है। समिति चाहती है कि विभाग उपयुक्त उपाय करे ताकि मृतक के परिवार को परेशानी न हो और उन्हें मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाए। समिति यह भी चाहती है कि मुआवजे के लिए लंबित 104 मामलों का तत्काल निपटान किया जाए। समिति मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने के अपने पहले के सुझाव को भी दोहराना चाहती है ताकि उन्हें शामिल करने वाले व्यक्तियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सके और निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उन पर जुर्माना निर्धारित किया जा सके।

अध्याय - आठ

अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि

8.1 भारत में अनुसूचित जातियों की आबादी के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 में अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक क्षेत्र की एक पहल उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एससी) शुरू किया गया था। प्रारंभ में इस प्रयोजनार्थ 200 करोड़ रुपये की पूंजी प्रदान की गई थी और इसे हर वर्ष पूरित किया जा रहा है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रौद्योगिकी उन्मुख नवोन्मेषी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। वीसीएफ-एससी का वर्तमान कायिक निधि 648.18 करोड़ रुपये की है जिसमें भारत सरकार द्वारा 579.22 करोड़ रुपये और आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा 66.96 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया है।

8.2 वीसीएफ-एससी के अंतर्गत ₹10 लाख से ₹15 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है और कुल सहायता कंपनी के वर्तमान निवल मूल्य के दो गुना से अधिक नहीं हो सकती है। अनुसूचित जाति के छात्रों और युवाओं के बीच उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वीसीएफ-एससी योजना के तहत 30 सितंबर 2020 को अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम) शुरू किया है।

8.3 अनुसूचित जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) के अंतर्गत निधियों का आबंटन और उपयोग (अनुसूचित जातियों के लिए आबंटन):

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय
2019-20	60.00	60.00	160.00
2020-21	65.00	40.00	30.00
2021-22	100.00	70.00	शून्य
2022-23	70.00	---	---

8.4 अनुसूचित जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) के तहत अन्य पिछडे वर्गों के लिए निधियों का आबंटन और उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय
2019-20	50.00	50.00	90.00
2020-21	60	10.00	0.00
2021-22	20.00	20.00	0.00
2022-23	40.00	---	---

8.5 विभाग ने 31 दिसंबर 2021 तक वीसीएफ-एससी की योजना के तहत उपलब्धियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है:

निधि के अंतर्गत कुल मंजूरी	₹ 466.13 करोड़
उन कम्पनियों की संख्या जिनके संबंध में मंजूरी प्रदान की गई है	126
निधि के अंतर्गत कुल वितरण	₹ 290.94 करोड़
वितरित कम्पनियों की संख्या	93
वीसीएफ-एससी स्कीम के अंतर्गत एएसआईआईएम के अंतर्गत उपलब्धियां (31 दिसंबर,2021 की स्थिति के अनुसार)	
निधि के अंतर्गत कुल मंजूरी	₹ 6.90 करोड़
उन कम्पनियों की संख्या जिनके संबंध में मंजूरी प्रदान की गई है	23
निधि के अंतर्गत कुल वितरण	₹ 0.87 करोड़
वितरित कम्पनियों की संख्या	15

8.6 पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-बीसी) अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एससी) की चल रही योजना के तहत एक अलग योजना है और इसे अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। वर्तमान में वीसीएफ-बीसी निधि की कायिक निधि 107.79 करोड़ रुपये की है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 102.63

करोड़ रुपये और आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड द्वारा 5.16 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया है।

8.7 इस योजना (वीसीएफ-ओबीसी) के तहत (31 दिसंबर 2021 तक) उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

निधि के अंतर्गत कुल मंजूरी	₹71.03 करोड़
उन कम्पनियों की संख्या जिनके संबंध में मंजूरी प्रदान की गई है	25
निधि के अंतर्गत कुल वितरण	₹7.38 करोड़
वितरित कम्पनियों की संख्या	5

8.8. अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि के शून्य उपयोग के कारणों के बारे में पूछे जाने पर सचिव ने साक्ष्य के दौरान समिति को सूचित किया कि:

> "महोदय, उद्यम पूंजी के लिए हम चुनिंदा उद्यमों में इक्विटी और ऋण में 5 करोड़ रुपये तक का वित्तपोषण कर सकते हैं। इसलिए उद्यमों का चयन किया गया है लेकिन इक्विटी का योगदान करते समय हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी इक्विटी 49 प्रतिशत से कम हो। यदि यह अधिक हो जाती है, तो हम उद्यम के स्वामी बन जाएंगे। यद्यपि वे 5 करोड़ रुपये के लिए पात्र हैं, जब तक कि उन्हें समान इक्विटी नहीं मिल जाती है, हम निधियां जारी करने में असमर्थ होंगे। यही असली समस्या है।"

8.9 दोनों योजनाओं के तहत आवंटित निधियों का उपयोग करने की योजना के बारे में पूछे जाने पर, सचिव ने समिति के विचार-विमर्श के दौरान जानकारी दी कि:

> "महोदय, हमारे पास दो कार्यनीतियां हैं। एक तो यह कि हम स्टार्टअप पर ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। पहले, स्टार्टअप के लिए बहुत कम संभावना थी, और ज्यादा ध्यान उन उद्यमों पर दिया जाता था जो स्थापित हों। बाजार में व्यवधानों या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के कारण उन्हें अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ा। हमें निश्चित रूप से यकीन है कि

ये सभी उद्यम इस साल अपने पैरों पर वापस खड़े हो सकेंगे क्योंकि चीजें वास्तव में काफी हद तक ठीक हो गई हैं।"

8.10 अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 और 2018 में क्रमशः अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एससी) और पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-बीसी) नामक दो योजनाएं शुरू की गई थीं। दोनों योजनाओं के बजटीय आवंटन और व्यय की जांच पर समिति इस बात से काफी निराश है कि विभाग 2021-22 में वीसीएफ-एससी के तहत और 2020-21 और 2021-22 में वीसीएफ-बीसी के लिए कोई व्यय नहीं कर पाया क्योंकि कंपनियों के स्वामी इक्विटी का योगदान करने में सक्षम नहीं थे, जो 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। चूंकि विभाग कंपनी के स्वामी को 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी जारी नहीं कर सकता है, चूँकि यह विभाग को उद्यम का स्वामी बना देगा, इसलिए विभाग को इस मुद्दे से निपटने के लिए समीक्षा करने और वैकल्पिक प्रावधान करने की आवश्यकता है ताकि योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि विभाग अब स्टार्ट अप पर व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है और उन्हें विश्वास है कि स्टार्ट अप बाजार या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के कारण अस्तित्व के संकट से बाहर आ जाएंगे। समिति ने यह भी पाया कि सितंबर 2020 से वीसीएफ-एससी के अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम) के तहत 23 कंपनियों को 6.90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और इस राशि में से 31 दिसंबर, 2021 तक 15 कंपनियों को केवल 0.87 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। समिति चाहती है कि कंपनियों को स्वीकृत शेष राशि को अविलंब संवितरित किया जाए और समिति दोनों योजनाओं में स्वीकृत निधियों में से संवितरित कुल राशि के ब्यौरे के बारे में भी अवगत होना चाहेगी।

अध्याय-नौ

अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीएवाई)

9.1 अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के अंतर्गत देश के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार के विजन, मिशन और कार्य योजना का निर्धारण किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्तमान स्कीम, भावी योजनाओं, रणनीतियों और लक्ष्यों को एक साथ संकलित किया गया है और उन्हें स्कीमों/कार्यक्रमों, जवाबदेही, वित्तीय और स्पष्ट निष्कर्षों के साथ मिलाया गया है। एतीवाईएवाई के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की अत्यधिक चार आवश्यकताओं अर्थात् वित्तीय सुरक्षा भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और मानवीय परस्पर संबंध/गरिमामय जीवन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसमें जागरूकता सृजन और समाज के सुग्राहीकरण से शुरू करते हुए बुजुर्गों की सुरक्षा/संरक्षण और सामान्य स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं को भी शामिल किया गया है। 'अटल वयो अभ्युदय योजना' (अवीवाईएवाई) में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं:

(i) एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) - मौजूदा स्कीम - सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से वित्तपोषित।

(ii) राज्य वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) - मौजूदा स्कीम सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से वित्तपोषित। वर्ष 2019-20 में शुरू।

9.2 एवीएवाई योजना की शुरुआत माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम, 2007 के अंतर्गत हुई है। अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं योजना के लिए निर्देशक सिद्धांत है:-

(i) अधिकरणों के माध्यम से माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों का उनके बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा भरण-पोषण को अनिवार्य और न्यायोचित बनाया गया है;

(ii) रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षा के मामले में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण का प्रतिसंहरण;

(iii) वरिष्ठ नागरिकों के परित्याग हेतु दण्डात्मक प्रावधान;

(iv) निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना;

(v) वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं और सुरक्षा।

9.3 एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम स्कीम (आईपीएसआरसी) के अंतर्गत परियोजना लागत के 100% तक अनुदान निम्नलिखित परियोजनाओं का संचालन और अनुरक्षण करने के लिए दिया जाता हैः-

एक. 25 निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह ताकि उन्हें भोजन, देखभाल-सुविधा और आश्रय प्रदान किया जा सके।

दो. भोजन, देखभाल और आश्रय प्रदान करने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत आने वाली वृद्ध महिलाओं सहित 50 वृद्ध महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह।

तीन. अल्जाइमर की बीमारी/डेमेंशिया से पीड़ित न्यूनतम 20 वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो इस कदर बीमार हैं कि उन्हें सतत नर्सिंग देखभाल की जरूरत है। सतत देखभाल गृह और अल्जाइमर की बीमारी/डेमेंशिया से पीड़ित वृद्धों को राहत प्रदान करना।

चार. ग्रामीण, अलग-थलग एवं पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।

पांच. प्रतिमाह न्यूनतम 50 वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिजियोथेरेपी क्लीनिक।

छह. क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागिरकों के लिए वित्त-पोषित केंद्रों द्वारा सेवा की प्रभावी डिलीवरी के वास्ते निगरानी और तकनीकी सहायता, पक्ष-समर्थन, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करना।

सात. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति (एनपीएसआरसी) के प्रावधानों के कार्यान्वयन सहित इस योजना के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अन्य गतिविधियां उपयुक्त समझी गई हैं।

9.4 वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) स्कीम के तहत, मोबाइल मेडिकेयर यूनिट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिजियोथेरेपी क्लीनिक, मीडिया/एडवोकेसी, कन्वर्जेंस, राज्य विशिष्ट के कार्यक्रमों आदि के लिए सहायता प्रदान की

जाएगी। मंत्रालय कोई नई फिजियोथेरेपी और मोबाइल मेडिकेयर यूनिट परियोजना शुरू नहीं करेगा। तथापि, चल रही परियोजनाओं को जारी रखा जाएगा।

9.5 इसके लिए पिछले तीन वर्षों के लिए बजटीय आबंटन निम्नानुसार हैं:-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**योजना का नाम**	**2019-20**			**2020-21**			**2021-22 (31.12.2020 तक)**			**2022-23**
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.
1.	अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) (पूर्व में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना)	133.10	143.00	141.81	204.00	153.00	133.31	300.00	150.00	30.13	150.00
2.	एवीवाईएवाई में एससीडब्ल्यूएफ से सहायता							50.00	149.48	2.08	0.00
3.	एससीडब्ल्यूएफ से मिली राशि							-50.00	-149.48		0.00

9.6 इस योजना के तहत वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	**योजना/परियोजना/कार्यक्रम का नाम**	**2019-20**			**2020-21**			**2021-22**			**विगत तीन वर्षों के लिए उपलब्धि का %**	**2022-23**
		लक्ष्य	उपलब्धि	कमी, यदि कोई हो, कारण सहित संक्षेप में	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी, यदि कोई हो, कारण सहित	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी, यदि कोई हो, कारण		

							संक्षेप में			सहित संक्षेप में		
11	**अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)**	48,000	41655	-	55000	136440		60000	41000			150000
		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतीक्षित	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतीक्षित	लागू नहीं	-	-	-	-	-			-
		* वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) 2019-20 में शुरू की गई थी। राज्य सरकारों को राज्य कार्य योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निधियां जारी की जाती हैं। ।										

9.7 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग द्वारा राज्य-वार वृद्ध आबादी (60+) इस प्रकार है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल आबादी (लगभग)**		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8278241	3906328	4371913
2	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25424	14189	11235
3	अरुणाचल प्रदेश	63639	33189	30450
4	असम	2078544	1054817	1023727
5	असम	7707145	4106593	3600552
6	चंडीगढ़	67078	34833	32245
7	छत्तीसगढ़	2003909	928159	1075750
8	दादरा और नगर हवेली	13892	6359	7533
9	दमन और दीव	11361	4873	6488
10	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रा दिल्ली	1147445	576755	570690
11	गोवा	163495	74315	89180
12	गुजरात	4786559	2245601	2540958

13	हरियाणा	2193755	1088621	1105134
14	हिमाचल प्रदेश	703009	340875	362134
15	जम्मू एवं कश्मीर	922656	482580	440076
16	झारखंड	2356678	1181745	1174933
17	कर्नाटक	5791032	2747072	3043960
18	केरल	4193393	1883595	2309798
19	लक्षद्वीप	5270	2674	2596
20	मध्य प्रदेश	5713316	2769556	2943760
21	महाराष्ट्र	11106935	5253709	5853226
22	मणिपुर	187694	93137	94557
23	मेघालय	138902	66939	71963
24	मिजोरम	68628	34345	34283
25	नगालैंड	102726	54779	47947
26	ओडिशा	3984448	1994270	1990178
27	पुदुच्चेरि	120436	53419	67017
28	पंजाब	2865817	1443662	1422155
29	राजस्थान	5112138	2432263	2679875
30	सिक्किम	40752	22472	18280
31	तमिल नाडु	7509758	3661226	3848532
32	त्रिपुरा	289544	141920	147624
33	उत्तर प्रदेश	15439904	8037133	7402771
34	उत्तराखंड	900809	441897	458912
35	पश्चिम बंगाल	7742382	3851314	3891068
कुल		**103836714**	**51065214**	**52771500**

स्रोत: जनगणना, 2011

9.8 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के तहत 2021-22 के दौरान जारी किए गए अनुदानों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण:-

(₹ लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधियां	सहायता प्राप्त एनजीओ की संख्या	वरिष्ठ नागरिक गृहों की संख्या	50 वरिष्ठ नागरिक गृहों/ एमएफसीसी की संख्या	एमएमयू की संख्या	सीसीएच	दिव्यांगों की संख्या	कुल	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	564.53	38	48	7	4	0	0	59	20750
2	बिहार	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	छत्तीसगढ़	29.80	2	0	3	0	0	0	3	150
4	गोवा	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	गुजरात	45.94	4	1	3	0	0	0	4	175
6	हरियाणा	111.42	8	9	2	0	0	1	12	925
7	हिमाचल प्रदेश	9.66	1	1	0	0	0	0	1	25
8	जम्मू और कश्मीर	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	झारखंड	42.75	2	0	2	0	0	0	2	100
10	कर्नाटक	251.61	17	22	4	0	0	0	26	750
11	केरल	9.45	1	1	0	0	0	0	1	25
12	मध्य प्रदेश	80.10	7	5	4	0	0	0	9	325
13	महाराष्ट्र	219.02	19	11	5	1	5		22	5425
14	ओडिशा	420.14	33	41	2	1	0	1	45	6575
15	पंजाब	2.78	1	0	0	0	0	1	1	600
16	राजस्थान	69.36	5	1	6	0	0	0	7	325
17	तमिलनाडु	414.74	31	35	3	3	0	2	43	16625
18	तेलंगाना	124.63	10	10	1	2	0	0	13	9900
19	उत्तर प्रदेश	240.00	18	13	10	0	1	0	24	845
20	उत्तराखंड	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	पश्चिम बंगाल	91.58	8	6	2	3	0	0	11	14650

संघ राज्य क्षेत्र										
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	दादरा और नागर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	दमन और दीव	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	दिल्ली	8.85	1	0	1	0	0	0	1	50
28	पुडुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य										
29	अरुणाचल प्रदेश	15.58	1	0	1	0	0	0	1	50
30	असम	204.56	14	12	7	4	0	0	23	19850
31	मणिपुर	272.54	20	22	2	2	0	0	26	10250
32	मेघालय	14.68	1	0	1	0	0	0	1	50
33	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल		**3243.72**	**242**	**238**	**66**	**20**	**6**	**5**	**335**	**108420**

9.9. यह पूछे जाने पर कि वर्ष 2021-22 में वरिष्ठ नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने और 2022-23 में लक्ष्य 2.5 को कई गुना बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में विभाग अपनी विफलता को कैसे सही ठहराता है, विभाग ने अपने उत्तर में जानकारी दी कि:

"चालू वित्त वर्ष (2021-22)में 60,000 लाभार्थियों का लक्ष्य हासिल करने का प्रस्ताव है। मार्च, 2022 तक, विभाग वरिष्ठ नागरिकों को लाभ निर्धारित लक्ष्य यानी आरई 150 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त करेगा। वर्ष 2022-23 के दौरान वरिष्ठ नागरिक घरों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसलिए, तदनुसार लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।"

9.10 विभाग वर्ष 2021-22 में आरई का केवल 1/5 हिस्सा और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) से प्राप्त धन से लगभग शून्य खर्च कर सका। यह पूछे जाने पर कि अटल वायु अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के तहत देश के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और कल्याण के लिए विभाग किस तरह से दृष्टि, मिशन और कार्य योजना को प्राप्त करने का दावा करता है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:

"वर्तमान में, अव्यय के तहत, वर्ष 2021-22 के दौरान संगठनों को कुल 52.83 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं जो 2021-22 में संशोधित अनुमान का 1/3 है। चूंकि, महामारी के कारण पीएमयू द्वारा समय पर वास्तविक निरीक्षण नहीं किया जा सका; इसलिए, संगठनों को निधि जारी करने में देरी हो रही है। आगे यह बताया गया है कि एससीडब्ल्यूएफआर्थिक मामलों के विभाग के पास है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अंतर मंत्रालयी समिति के माध्यम से, बुजुर्ग लोगों के कल्याण के प्रस्तावों का आकलन करता है और फिर उन्हें एससीडब्ल्यूएफ के माध्यम से वित्त पोषण के लिए अनुशंसा करता है। एससीडब्ल्यूएफसे पैसा आर्थिक मामलों के विभाग से मांगा गया है। एससीडब्ल्यूएफ से जारी निधियों की स्थिति निम्नानुसार है:-

एससीडब्ल्यूएफ से किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)								
क्र.सं.	**मंत्रालय/विभाग स्कीम**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**कुल**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग								
1(i)	अन्य कमजोर समूहों के लिए स्कीम	16.00#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**16.00**
1(ii)	राष्ट्रीय वयोश्री योजना	0.00	1.50	106.51	0.00	26.50	0.00	**134.51**
1(iii)	वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88	15.00	**42.88**

	हेल्पलाइन							
नागरिक उड्डयन मंत्रालय								
2(i)	एएआई हवाई अड्डों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए इलेक्ट्रिक संचालित गोल्फ कार्ट की खरीद	0.00	0.00	0.98	0.00			**0.98**
	कुल	**16.00**	**1.50**	**107.49**	**0.00**	**54.38**	**15.00**	**194.37**

#दिनांक 31.03.2016 को 'अन्य कमजोर समूहों के लिए स्कीम' के माध्यम से आरवीवाई स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 16 करोड़ प्रदान किए गए।"

9.11 वर्ष 2022-23 के लिए योजना के तहत विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:

> *"वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) से अनुरोध किया जाएगा कि वह वर्ष 2022-23के दौरान वरिष्ठ नागरिक गृह/मोबाइल चिकित्सा इकाई/पीएचवाई चलाने वाले संगठनों का समय पर वास्तविक निरीक्षण करें, ताकि संगठनों को समय पर अनुदान जारी किया जा सके। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिक घरों के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन और कल्याण कार्यक्रमों के लिए* सिंगल नोडल एजेंसी *(एसएनए) प्रणाली के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्य समाज कल्याण विभागों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।"*

9.12 यह पूछे जाने पर कि वे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से विभाग देश के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति जागरूकता पैदा करता है और समाज को संवेदनशील बनाता है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:

> विभाग निम्नलिखित तरीकों से जागरूकता पैदा करता है और संवेदनशील बनाता है:-

(i) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस (एनआईएसडी) के माध्यम से - यह विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, जो वृद्ध व्यक्तियों सहित समाज के हाशिए के वर्गों से संबंधित मुद्दों के प्रति सार्वजनिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने और प्रभावी सेवा वितरण को मजबूत करने की दृष्टि से है।एनआईएसडी विभिन्न जागरूकता सृजन और संवेदीकरण कार्यक्रम चलाता है। पिछले 3 वर्षों में एनआईएसडी द्वारा किए गए ऐसे कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**कार्यक्रमों की संख्या**	**लाभार्थियों की संख्या**	**कार्यक्रम के तरीके**
1.	**2019-20 (ऑफलाइन कार्यक्रम)**	233	18422	विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, पीपीटी, रोल प्ले, नुक्कड़ नाटक, ड्राइंग/स्लोगन प्रतियोगिताएं आदि।
2.	**2020-21 (कोविड-19 के कारण ऑनलाइन कार्यक्रम)**	179	33581	वर्चुअल मोड, पीपीटी, चर्चा के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान।
3.	**2021-22 दिनांक 10/2/2022 तक ऑनलाइन**	200	19400	वर्चुअल मोड, पीपीटी, चर्चा के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान।
	ऑफलाइन	63	1575	विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, पीपीटी, रोल प्ले, नुक्कड़ नाटक, ड्राइंग/स्लोगन प्रतियोगिताएं आदि।
कुल		**675**	**72978**	

(ii) रेडियो कार्यक्रम जिसका नाम है 'संवरती जाये, जीवन की राहें' - यह द्वि-साप्ताहिक कार्यक्रम देश में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मुद्दों को उठाता है और इस विभाग के कार्यक्रमों, स्कीमें, कानून के बारे में जागरूकता फैलाता है।यह कार्यक्रम आकाशवाणी के 94 स्टेशनों पर हिंदी और 17 क्षेत्रीय भाषाओं में पिछले एक साल से प्रसारित किया जा रहा है।

(iii) वयोश्रेष्ठ सम्मान -वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। विभाग प्रत्येक वर्ष 01 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस)आईडीओपी (के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है। भारत के माननीय राष्ट्रपति/भारत के माननीय उपराष्ट्रपति इस अवसर पर पुरस्कार प्रदान करने वाले मुख्य अतिथि होते हैं।

पुरस्कार 13 विभिन्न श्रेणियों -07 संस्थागत श्रेणियों और 06 व्यक्तिगत श्रेणियों में दिए जाते हैं। महामारी के कारण वर्ष 2020 में पुरस्कार प्रदान नहीं किया जा सका। वर्ष 2019 और 2021 के पुरस्कार विजेताओं की सूची अनुबंध -एवीवाईएवाई-II पर है।

(iv) पुरस्कार विजेताओं पर एक समर्पित लघु फिल्म 2019 से भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से बनाई गई है।

(v) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नियमित रूप से सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों पर जागरूकता फैलाता है।

(vi) विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक टोलफ्री नंबर 14567 के साथ एल्डरलाइन -राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की है। वृद्ध व्यक्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर यानी दिनांक 01.10.2021 को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा एल्डरलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान)एनआईएसडी (के माध्यम से आईटी का कार्यान्वयन किया जा रहा है। दिनांक 10.02.2022 तक 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एल्डरलाइन चालू है।

छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में एल्डरलाइन के मार्च 2022 के दूसरे सप्ताह तक चालू होने की उम्मीद है।

निम्नलिखित राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2022 के अंत तक एल्डरलाइन के चालू होने की उम्मीद है:-

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
(ख) हिमाचल प्रदेश

(ग) लद्दाख
(घ) लक्षद्वीप
(ङ) सिक्किम
(च) त्रिपुरा
(छ) पश्चिम बंगाल
(ज) हरियाणा

(vii) वर्ष 2021 में एल्डरलाइन पर एक मिनट पैंतालीस सेकेंड की फिल्म अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन के साथ यूट्यूब पर प्रसारित की गई है। (https://www.youtube.com/watch?v=VMxFaNB4Qis)

9.13 समिति ने नोट किया है कि अटल वायो अभ्युदय योजना (एवीएवाई) में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना शामिल है, जिसमें उनकी वित्तीय सुरक्षा, खाद्य, स्वास्थ्य देखभाल और मानव संपर्क का ध्यान रखा जाता है। समिति इस बात से परेशान है कि विभाग ने 2020-21 में 204.00 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से केवल 133.31 करोड़ रुपये खर्च किये थे और 2021-22 में, विभाग 300.00 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से केवल 30.13 करोड़ रुपये खर्च कर सका। समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन को 2020-21 और 2021-22 के संशोधित अनुमान अर्थात 150.00 करोड़ रुपये के बराबर रखा गया है। समिति के लिए यह और आश्चर्य की बात है कि इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य कहीं भी बुजुर्गों की आबादी की तुलना में नहीं हैं और बिहार, गोवा, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे कई राज्य हैं जहां 2021-22 में 31.12.2021 तक कोई धन नहीं दिया गया था। समिति का मानना है कि विभाग देश में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए जो कुछ भी कर रहा है, उसे उससे कहीं अधिक करने की आवश्यकता है। योजनाओं के निर्माण के बाद, उन्हें अपने स्थापित तंत्रों के माध्यम से निरंतर निगरानी करके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। इसलिए, समिति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ वरिष्ठ

नागरिकों के लिए अधिक समर्पित तरीके से कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कदम उठाने की सिफारिश करती है और यह भी चाहती है कि लक्ष्य के साथ-साथ 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाया जाएगा ताकि इन योजनाओं के माध्यम से अधिकतम बुजुर्ग लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

अध्याय - दस

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) के लिए विकास और कल्याण बोर्ड

10.1 विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) के लिए विकास और कल्याण बोर्ड का गठन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया गया है:-

(i) विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए यथापेक्षित कल्याण और विकास संबंधी कार्यक्रमों को तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना।

(ii) उन स्थानों/क्षेत्रों का पता लगाना जहां इन समुदायों की आबादी बहुत अधिक है।

(iii) मौजूदा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना और उनमें अंतर का पता लगाना तथा मंत्रालयों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए संबंध स्थापित करना कि चालू कार्यक्रम विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करते हों। विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के संदर्भ में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।

(iv) कोई अन्य संबंधित कार्य जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सौंपा जा सकता है।

10.2 मंत्रालय ने सूचित किया कि डीएनटी के नृवंशविज्ञान अध्ययन भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे हैं और इस संबंध में उन्हें 2.26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

10.3 2021-22 से 2025-26 तक अगले पांच वर्षों के लिए 200 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ "डीएनटी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना (सीईईडी)" नामक एक योजना तैयार की गई है, जिसमें निम्नलिखित चार घटक शामिल हैं:

(i) डीएनटी अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने में सक्षम बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना,

(ii) उन्हें स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना,

(iii) सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल की सुविधा देना

(iv) इन समुदायों के सदस्यों के लिए घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

10.4 योजना के अंतर्गत निधियों का आवंटन और उपयोग इस प्रकार है:-

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**
2021-22	50.00	40.40	0.00
2022-23	28.00	----	---

10.5 विमुक्त जनतातियों को चिह्नित करने हेतु किए गए नृवंशविज्ञान अध्ययन की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, चर्चा के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव ने बताया कि:

"इदाते कमीशन का 2014 में निर्माण हुआ और 2017 में इनकी रिपोर्ट आई। उसकी बेसिस में हमने एक डीएनटी बोर्ड शुरू किए....."

10.6 उन्होंने आगे बताया कि:

"इसकी रिपोर्ट दिसंबर, 2017 में आई थी। क्योंकि कैबिनेट में जाकर 2019 में इसका बोर्ड गठित हुआ है। बोर्ड गठित होने के बाद दो चीजों के ऊपर काम हुआ है। 269 ऐसी घुमंतू जाति हैं, जिनका कोई रिजर्वेशन नहीं है। इन जातियों को हम कहां फिट करेंगे, बीसी में करेंगे, एससी में करेंगे या एसटी में करेंगे, इसके ऊपर राय देने के लिए एक बड़ा सा सर्वे अभी चल रहा है। इसमें करीब 60 इनवेस्टिगेटर लगे हुए हैं। यह काम काफी जोरदार तरीके से चल रहा है। घुमंतू जाति के एक लिए सीड की स्कीम तैयार हुई है। हम उसका अप्रूवल ले चुके हैं। अब हम इस स्थिति में है की वास्तव में इसे शुरू किया जा सकता है और हम कार्य शुरू करेंगें।"

10.7 इन समुदायों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल करने के बारे में पूछे जाने पर, मौखिक साक्ष्य के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव ने बताया कि:

> "इन 269 जातियों के बारे में पूरी तरह स्टडी करके ही हम एक नतीजे में पहुंच सकते हैं कि इनको एससी में जोड़ा जाए, एसटी में जोड़ा जाए या ओबीसी में जोड़ा जाए।"

10.8 समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि डीएनटी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने, डीएनटी के सदस्यों के लिए घरों के निर्माण , आजीविका के लिए वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार की गई है, जिसमें 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 200 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय है और विभाग 2021-22 में कोई धन व्यय नहीं कर सका और 2021-22 के लिए 50.00 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन की तुलना में बजटीय आवंटन को घटाकर 28.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। समिति इस बात से निराश है कि विभाग ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के कल्याण के लिए योजना तैयार करने में पहले ही विलम्ब कर दिया है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की शिथिलता से योजना के कल्याणकारी उपायों में बाधा आएगी। समिति चाहती है कि विभाग इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करे।

10.9 समिति इस बात को नोट करती है कि 2017 में गठित विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड को अन्य बातों के साथ-साथ उन स्थानों की पहचान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जहां ये समुदाय स्थित थे। समिति ने पाया है कि वर्तमान में ऐसे 269 विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय विनिर्दिष्ट हैं और इन जातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीसी श्रेणियों में रखने के लिए अब एक सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन है। समिति को यह जानकर आश्चर्य है कि विभाग आज तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है, इसलिए समिति चाहती है कि विभाग इस संबंध

में आवश्यक कार्रवाई करे ताकि इन जातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या बीसी के अधीन रखा जा सके और लाभ प्रदान किया जा सके। इन जातियों का पता लगाने में विलम्ब से उनकी परेशानी में वृद्धि होगी और वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बनाई गई प्रचलित योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समिति इसकी सराहना करेगी यदि यह कार्य समयबद्ध तरीके से किया जाता है। समिति इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा से अवगत होना चाहेगी।

अध्याय - ग्यारह

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

11.1 अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 के उपबंधों के तहत आने वाला एक अन्य संसद अधिनियम, नामत: "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" अधिनियमित किया गया और यह दिनांक 30 जनवरी, 1990 से प्रभावी हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को वृहद न्याय प्रदान करने तथा इनके लिए अभिवृद्ध निवारक होने के लिए पीओए अधिनियम को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 की संख्या 1) द्वारा संशोधित किया गया और इसे 26.01.2016 को प्रवृत्त किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा पीओए अधिनियम में और संशोधन किया गया है और धारा 18 के बाद, धारा 18क अंतर्विष्ट की गई है जिसे निम्नलिखित रूप से पढ़ा जाए:

"18क (1) इस अधिनियन के प्रयोजनार्थ,-

(क) किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्राथमिक पूछताछ की आवश्यकता नहीं होगी; या

(ख) जांच अधिकारी को, यदि आवश्यक हो, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसके खिलाफ इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने का आरोप लगाया गया है और इस अधिनियम या कोड के अंतर्गत प्रदत्त प्रक्रिया से भिन्न अन्य कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

11.2 इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं-

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों को रोकना;
(ii) ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान करना;
(iii) ऐसे अपराधों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना; और
(iv) तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए, अधिनियम के उपबंध पूरे भारत में लागू होते हैं।

11.3 इस नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम राहत और पुनर्वास की प्रमात्रा में अप्रैल, 2016 में संशोधित किया गया और इसे अपराध की प्रकृति पर निर्भर करते हुए 85,000 रुपए से 8,25,000 रुपए के बीच किया गया। प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त कुल व्यय का 50% केन्द्रीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों को प्रदान किया जाता है। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100% केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता मुख्य रूप से प्रवर्तन और न्यायिक तंत्र के सुदृढ़ीकरण, जागरूकता सृजन, अंतरजातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन और प्रभावित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास के लिए प्रदान की जाती है।

11.4 इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाने हैं:

(i) अत्याचारों के पीड़ितों का आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास;
(ii) उपयुक्त स्तरों पर समितियों का गठन;
(iii) अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान;
(iv) अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करना ताकि उन्हें न्याय मिल सकें;
(v) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अभियोजन पक्ष पर जांच शुरू करने या जांच हेतु पहल करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति; और
(vi) अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा (धारा 21 (2))।

11.5 विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित संरचनाएं और तंत्र स्थापित किए गए हैं:-

(i) विशेष न्यायालय और विशिष्ट विशेष न्यायालय

(ii) विशेष लोक अभियोजक और विशिष्ट विशेष लोक अभियोजक

(iii) राज्य मुख्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठों की स्थापना

(iv) विशेष पुलिस स्टेशन

(v) नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

(vi) राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन

(vii) अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान करना और परिणामी कदम उठाना

(viii) विशेष अधिकारियों की नियुक्ति।

11.6 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दर्ज राज्यवार मामले इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वर्ष 2017 के दौरान पंजीकृत मामलों की संख्या**			**वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अ.जा. की जनसंख्या और कुल आबादी के प्रति इसकी प्रतिशतता (लाख में)**	**वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अ.ज.जा. की जनसंख्या और कुल आबादी के प्रति इसकी प्रतिशतता (लाख में)**	**वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति लाख की आबादी पर पंजीकृत मामलों की संख्या**	
		अ.जा	**अ.ज.जा.**	**कुल**	**अ.जा**	**अ.ज.जा.**	**अ.जा**	**अ.ज.जा.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
राज्य								

1.	उत्तर प्रदेश	10138	01	10139	413.5 (20.7)	11.3 (0.6)	24.52	0.09
2.	मध्य प्रदेश	6899	2399	9298	113.4 (15.6)	153.2(21.1)	60.84	15.66
3.	बिहार	7367	94	7461	165.6 (15.9)	13.3 (1.3)	44.49	7.07
4.	राजस्थान	6895	1849	8744	122.2 (17.8)	92.3(13.5)	56.42	20.03
5.	आंध्र प्रदेश	1769	300	2069	84.5 (17.2)	26.3 (5.4)	20.93	11.41
6.	ओडिशा	2046	605	2651	71.8 (17.1)	95.9 (22.8)	28.50	6.31
7.	कर्नाटक	1263	269	1532	104.7 (17.1)	42.4 (7.0)	12.06	6.34
8.	महाराष्ट्र	2359	639	2998	132.7 (11.8)	105.1 (9.4)	17.78	6.08
9.	तेलंगाना	1842	545	2387	54.3 (15.4)	32.9 (9.3)	33.92	16.57
10.	गुजरात	1258	289	1547	40.7 (6.7)	89.1 (14.8)	30.91	3.24
11.	तमिलनाडु	1237	18	1255	144.3 (20.0)	7.9 (1.1)	8.57	2.28
12.	केरल	776	119	895	30.4 (9.1)	4.8 (1.5)	25.53	24.79
13.	झारखंड	367	167	534	39.8 (12.1)	86.4 (26.2)	9.22	1.93
14.	हरियाणा	1132	0	1132	51.1(20.2)	शून्य	22.15	0.00
15.	छ्त्तीसगढ़	316	501	817	32.7 (12.8)	78.2 (30.6)	9.66	6.41
16.	पश्चिम बंगाल	86	67	153	214.6(23.5)	52.9 (5.8)	0.40	1.27
17.	पंजाब	119	02	121	88.6 (31.9)	शून्य	1.34	0.00
18.	हिमाचल प्रदेश	40	01	41	17.2 (25.2)	3.9 (5.7)	2.33	0.26
19.	उत्तराखंड	33	13	46	18.9 (18.8)	2.9 (2.9)	1.75	4.48

20.	असम	17	06	23	22.3 (7.2)	38.8 (12.4)	0.76	0.15
21.	गोवा	0	1	1	0.25 (1.7)	1.4 (10.2)	0.00	0.71
22.	सिक्किम	0	0	0	0.28 (4.6)	2.0 (33.8)	0.00	0.00
23.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	शून्य	9.5 (68.8)	0.00	0.00
24.	त्रिपुरा	0	1	1	6.5 (17.8)	11.6 (31.8)	0.00	0.09
25.	मणिपुर	0	2	2	0.97 (3.8)	9.0 (35.1)	0.00	0.22
25.	नागालैंड	0	0	0	शून्य	17.1(86.5)	0.00	0.00
27.	मेघालय	0	0	0	0.17 (0.6)	25.5 (86.1)	0.00	0.00
28.	मिज़ोरम	0	0	0	0.1 (0.1)	10.3 (94.4)	0.00	0.00
29.	जम्मू और कश्मीर	4	0	4	9.2 (7.4)	14.9 (11.9)	0.43	0.00
संघ राज्य क्षेत्र								
30.	दिल्ली	31	0	31	28.1 (16.8)	शून्य	1.10	0.00
31.	पुदुचेरी	0	0	0	1.9 (15.7)	शून्य	0.00	0.00
32.	दादरा और नगर हवेली	1	0	1	0.06 (1.8)	1.7 (52.0)	16.67	0.00
33.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	2	2	शून्य	0.28 (7.5)	0.00	7.14
34.	चंडीगढ़	0	0	0	1.9 (18.9)	शून्य	0.53	0.00
35.	लक्षद्वीप	0	1	1	शून्य	0.61 (94.8)	0.00	1.64
	कुल	**45995**	**7891**	**53886**	-	-	-	-

11.7 वर्ष 2020 के दौरान भारतीय दंड संहिता के संयोजन से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण {पीओए}) अधिनियम, 1989 के तहत न्यायालय के पास मामले इस प्रकार हैं:

अनुसूचित जातियां						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बकाया सहित 2020 के दौरान न्यायालयों के समक्ष मामलों की संख्या	समझौता किए गए/समाप्त/ वापस लिए गए/अभिखंडित/ सौदा अभिभावक मामले	मामले जिनमें ट्रायल पूरा किया गया		वर्ष 2020 के अंत में न्यायालयों के पास लंबित मामलों के संख्या
				सजा सुनाई गई	बरी या डिस्चार्ज किया गया	
राज्य						
1	आंध्र प्रदेश	4893	0	35	285	4573
2	अरुणाचल प्रदेश	2	0	0	0	2
3	असम	7	0	0	0	7
4	बिहार	34624	0	12	43	34569
5	छत्तीसगढ	1404	0	23	25	1356
6	गोवा	10	0	0	0	10
7	गुजरात	9557	1	3	57	9496
8	हरियाणा	2089	0	6	42	2041
9	हिमाचल प्रदेश	131	0	1	1	129
10	झारखंड	922	0	10	15	897
11	कर्नाटक	4156	1	14	131	4010
12	केरल	3412	5	7	147	3253
13	मध्य प्रदेश	27280	0	538	803	25939
14	महाराष्ट्र	9853	4	37	267	9545
15	मणिपुर	3	0	0	0	3
16	मेघालय	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0
18	नगालैंड	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	11482	0	5	131	11346
20	पंजाब	244	0	3	16	225
21	राजस्थान	16602	2	560	587	15453

22	सिक्किम	5	0	0	0	5
23	तमिलनाडु	4432	10	123	354	3945
24	तेलंगाना	4351	4	10	189	4148
25	त्रिपुरा	1	0	0	0	1
26	उत्तर प्रदेश	47445	0	1225	691	45529
27	उत्तराखंड	198	0	0	0	198
28	पश्चिम बंगाल	549	0	0	2	547
संघ राज्य क्षेत्र						
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	1	0	1	0	0
31	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	2	0	0	0	2
32	दिल्ली	126	0	0	1	125
33	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0
35	लक्ष्य द्वीप	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	25	0	0	0	25
	कुल	**183806**	**27**	**2613**	**3787**	**177379**

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय

11.8 2019-20 से 2021-22 (31.12.2021 की स्थिति के अनुसार) के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत केंद्रीय सहायता इस प्रकार है:

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21
	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	4814.34	3429.9935	920.00
2.	असम	0.00	15.00	10.00
3.	बिहार	1220.00	1505.0000	3500.00
4.	छत्तीसगढ	1696.40	2159.1850	370.00
5.	गोवा	4.00	3.0000	3.00
6.	गुजरात	3981.16	3314.1600	1978.625
7.	हरियाणा	1214.61	1360.0050	238.00
8.	हिमाचल प्रदेश	477.01	382.7500	314.955
9.	झारखंड	266.00	28.82463	319.3365
10.	जम्मू व कश्मीर	-	-	93.20
11.	कर्नाटक	6867.25	6542.7500	6185.26
12.	केरल	2746.08	1099.1500	223.00
13.	मध्य प्रदेश	7900.32	8349.19353	10341.53147
14.	महाराष्ट्र	6194.75	5813.5200	773.00
15.	ओडिशा	3206.30	3508.7910	4408.705
16.	पंजाब	0.00	18.65672	780.49078
17.	राजस्थान	2048.33	4770.0564	740.00
18.	सिक्किम	25.00	0.00	0.83
19.	तमिलनाडु	1833.05	3852.4850	605.00
20.	तेलंगाना	1993.88	819.2000	371.00
21.	त्रिपुरा	39.14	0.00	6.54
22.	उत्तर प्रदेश	14136.04	11302.6200	12671.716
23	उत्तराखंड	102.87	94.8225	78.30
24.	पश्चिम बंगाल	897.61	37.40672	87.00
	संघ राज्य क्षेत्र			
25.	चंडीगढ़	75.00	50.0000	-
26.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रदिल्ली	16.00	25.0000	7.45

27.	पुडुचेरी	209.00	787.55226	99.35
28.	लक्ष्यद्वीप	-	-	12.00
	कुल	**61964.14**	**59269.12**	**45138.28**

11.9 इस योजना के तहत 2022-23 के लिए बजट अनुमान (बीई) के आवंटन के साथ-साथ विगत तीन वर्षों में निधियों का आवंटन और उपयोग इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2019-20	530.00	630.00	619.64
2020-21	550.00	600.00	593.39
2021-22	600.00	600.00	452.09 31.12.2021 की स्थिति अनुसार
2022-23	600.00	---	---

11.10 राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करने के तरीके के बारे में, समिति के समक्ष चर्चा के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव ने बताया कि:

> "हम राज्य सरकार को पैसा एडवांस में रिलीज करते हैं। जैसे ही वह पैसा खर्च होता है, उसका ब्यौरा हम उनसे मांगते हैं और उसके बाद अगर चाहिए तो हम और पैसा देते हैं।"

11.11 पीड़ितों को निधियां जारी करने हेतु निर्धारित मानदंड तथा किस अवधि के दौरान यह सहायता दी जाती है, के बारे में पूछे जाने पर, विभाग के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष बताया कि:-

> "47 तरह की एट्रोसिटीज को चिन्हित किया गया है। यदि उस कैटेगरी में से कोई अपराध होता है तो उसको उतना अमाउण्ट मिलता है। जैसे आपने कहा है कि जो हीनियस क्राइम होता है, जैसे मान लीजिए मर्डर कर दिया है तो उसमें 8 लाख 25 हजार तक का प्रावधान है। सर, आप कह रहे हैं कि यह उनको कब दिया जाता है तो इसमें एफआईआर होने के 7 दिन के अंदर पहली किश्त देते

हैं। इसमें ज्यादातर मुआवजा तीन चरणों में दिया जाता है। इस नियम में पाबंदी है कि यह कलेक्टर को करना है। इसमें कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदरी है कि उसको पैसा देना है। जैसे ही अत्याचार होता है और उसकी एफआईआर होती है तो 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को पैसा देना होता है।"

11.12 समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि 1990 से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों को नियंत्रित और रोकने के लिए मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों होने के बावजूद, उनसे अपेक्षित उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। समिति राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से यह जानकर हैरान है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत 2020 के दौरान मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। समिति ने पाया है कि स्वीकृत निधियों में से नियमों के तहत प्रदान की गई राहत और पुनर्वास का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि 2020-21 और 2021-22 में, विभाग क्रमशः 593.39 करोड़ रुपये और 452.09 करोड़ रुपये (31 दिसंबर, 2021 तक) व्यय किये हैं। बजटीय आवंटन भी स्थिर रहा है 2020-21 और 2021-22 के लिए आरई 600.00 करोड़ रुपये था और 2022-23 के लिए बजटीय अनुमान 600.00 करोड़ रुपये है। समिति विशेष रूप से निधियों के आबंटन के संबंध में पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए मुआवजा जारी करने के संबंध में भी इस मुद्दे से निपटने के तरीके से अत्यधिक निराश है क्योंकि पीड़ितों को मुआवजा जारी करने में पर्याप्त समय लगता है। समिति यह भी महसूस करती है कि अप्रैल, 2016 में निर्धारित 85,000/- रुपए से 8,25,000/- रुपए के मुआवजे की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि दिए गए मुआवजे का उपयोग किसी उद्देश्य के लिए किया जा सके। इसलिए समिति चाहती है कि विभाग सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दे कि राहत समय पर प्रदान की जाए और मुआवजे के पैमाने की भी समीक्षा की जाए।

अध्याय - बारह

ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए वायब्रेंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कालरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम-यशस्वी)

12.1 ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए वायब्रेंट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स स्कालरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम-यशस्वी) नामक एक अम्ब्रैला स्कीम तैयार की गई है जिसमें निम्नलिखित पांच उप-स्कीमें शामिल हैं :-

(i) ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
(ii) ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
(iii) ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी छात्रों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी स्कूल शिक्षा
(iv) ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी छात्रों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी कालेज शिक्षा
(v) ओबीसी बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।

12.2 अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की मौजूदा केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम और पीएमएस-ओबीसी स्कीम वर्ष 1998-99 में तैयार की गई थी। इसके अतिरिक्त, ईबीसी/डीएनटी के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए स्कीम वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी। अन्य पिछडे वर्गों के लिए लड़के और लड़कियों का छात्रावास योजना, जिसे अब 'पीएम यशस्वी' में समाहित कर दिया गया है, का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों, विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना है ताकि वे माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

12.3 ईएफसी द्वारा मौजूदा योजना में निम्नलिखित परिवर्तनों की सिफारिश की गई है:

क्रम सं .	**मौजूदा प्रावधान**	**ईएफसी द्वारा संस्तुत परिवर्तन**	**अभ्युक्ति ,यदि कोई हो**

1.	चार छात्रवृत्ति स्कीम (i) प्री-ओबीसी (ii) पोस्ट-ओबीसी (iii) पोस्ट-ईबीसी (iv) प्री और पोस्ट-डीएनटी	इन स्कीमों का विलय किया गया है और दो नई उप-स्कीमों को शामिल किया गया है तथा ओबीसी के लिए छात्रावास स्कीम को भी जोड़ा गया है। अब पांच उप-स्कीमें निम्नानुसार है : (i) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक-पूर्व (ii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिकोत्तर (i) उत्कृष्ट श्रेणी स्कूल (ii) उत्कृष्ट श्रेणी कालेज (iii) ओबीसी के लिए छात्रावास	-
2.	**पात्र लाभार्थी** -वर्तमान में मैट्रिक-पूर्व में कक्षा I से X को कवर किया गया है। मैट्रिकोत्तर - कक्षा XI और इससे ऊपर	मैट्रिक-पूर्व - कक्षा)IX-X) (केवल सरकारी स्कूलों में मैट्रिकोत्तर - कक्षा IX और इससे ऊपर	➢ वर्ष-वार छात्रों के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ➢ मैट्रिक-पूर्व स्कीम में ईबीसी को जोड़ा गया है।
3.	**आय सीमा** - ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीमों की पात्रता हेतु मौजूदा वार्षिक आय सीमा वर्ष 21-2020के लिए केवल 2.50 लाख रुपए है।	सभी पांच वर्षों अर्थात् -2021 22से 26-2025के लिए 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष।	वर्ष 2020-21 से पूर्व आय सीमा निम्नानुसार थी : (i) पीएमएस-बीसी - 1.50 लाख रुपए (ii) मैट्रिक-पूर्व ओबीसी - 2.50 लाख रुपए (iii) पीएमएस ईबीसी

			- 1.00 लाख रुपए (iv) प्री और पोस्ट डीएनटी - 2.00 लाख रुपए
4.	**शेयरिंग पैटर्न** -केन्द्र अनुपात राज्य, स्कीमों के अंतर्गत वर्तमान शेयरिंग पैटर्न निम्नानुसार है -: पीएमएस ओबीसी - केन्द्र -) 100राज्य सरकार की प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त (प्री ओबीसी - केन्द्रीय 50 -% राज्य 50 -% ईबीसी ईबीसी - केन्द्र 100 -% डीएनटी - केन्द्र अनुपात राज्य 25 -%	– केन्द्र और विधान मंडल वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के बीच 60:40 – केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्य/उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश प्रदेश के बीच 90:10 – विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों में 100%	-
5.	**छात्रवृत्ति की राशि :** वर्तमान में छात्रवृत्ति की प्रतिमाह राशि प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित दिवा छात्रों और छात्रावासियों के लिए अलग-अलग हैं।	– मैट्रिक-पूर्व छात्रों के लिए 4,000 रुपए प्रतिवर्ष नियत अकादमिक भत्ता। – मैट्रिकोत्तर के लिए, नियत अकादमिक भत्ता तथा पाठ्यक्रम अनुसार 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए प्रतिवर्ष शिक्षण शुल्क।	अकादमिक भत्ता/शिक्षण शुल्क 5 वर्ष की अवधि अर्थात् 2021-22 से 2025-26 तक नियत रहेगा।

12.4 योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के लिए बजटीय आवंटन, लक्ष्य/उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2019-20				2020-21				2021-22 (31.12.2020 की स्थिति अनुसार)				2022-23	
		बीई	आरई	वास्तविक व्यय	लक्ष्य प्राप्ति	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	लक्ष्य प्राप्ति	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	लक्ष्य प्राप्ति	बीई	लक्ष्य प्राप्ति
1.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1360.00	1397.50	1299.19	**40.94 लाख/ 40.94 लाख**	**1415.00**	1100.00	1159.59	44.00 लाख/19.95 लाख	1300.00	1300.00	138.22	80 लाख	1083.00	45.10 लाख
2.	मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	220.00	220.00	201.42	**94.17 लाख/ 107.90 लाख**	**250.00**	175.00	165.85	27.50 लाख/29.38 लाख	250.00	250.00	36.80	200 लाख	478.00	102 लाख
3.	बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास	30.00	30.00	21.29	**1750 सीटें/ 1750 सीटें**	**50.00**	35.00	31.59	1650 सीटें/3000 सीटें	30.00	30.00	4.98	1500 सीटें	20.00	7000 सीटें
4.	विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास हेतु स्कीम	10.00	10.00	9.00		**10.00**	10.00	9.00				स्कीमों को पीएम यशस्वी के घटकों के साथ विलय कर दिया गया है।			
5.	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	23.00	13.00	13.99		**25.00**	25.00	25.00							

12.5 अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और डीएनटी के लिए पीएम यससवी के तहत प्रत्येक शीर्ष के तहत विशिष्ट बजटीय आवंटन के साथ पांच योजनाओं के विलय के उद्देश्य के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया :

"यह परिकल्पना की गई थी कि ये छात्रवृत्ति स्कीमें जो समान प्रकृति की हैं, को एक अंब्रला स्कीम के अंतर्गत विलय किया जा सकता है ताकि तालमेल

बन सके, विभिन्न गतिविधियों/सेवाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके और संसाधनों का युक्तिकरण किया जा सके। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त घुमंतू (खानाबदोश) और अर्ध घुमन्तु जनजातियों (डीएनटी) को कक्षा 9 वीं से 12 वीं स्नातक और पेशेवर डिप्लोमा/ पॉलिटेक्निक/ नर्सिंग/डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से शिक्षा तक उनकी पहुंच को बढ़ाकर सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इस योजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।"

12.6 2021-22 के लिए ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों (ईएफसी के अनुसार) के लिए शीर्ष श्रेणी की स्कूली शिक्षा के लिए बजट और अगले चार वर्षों के लिए धन आवंटन का अनुमान इस प्रकार है :

(रुपये करोड़ में)

2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
178.75	357.50	357.50	357.50	357.50	1608.75

12.7 योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत है:-

1) इस स्कीम को %100आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

2) स्कूल/संगठन/संस्थान अच्छी प्रतिष्ठा का होना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य/केंद्रीय बोर्डों से संबद्ध होना चाहिए।

3) जिला प्रशासन द्वारा छात्रों और स्कूलों की सिफारिश की जाएगी। छात्रों का चयन जिला प्रशासन द्वारा खुली प्रतियोगी परीक्षा/पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

4) प्रवेश कक्षा 9और कक्षा 11में होंगे और कक्षा 12तक स्वतः नवीनीकृत हो जाएंगे।

5) मूल आय सीमा2 :,50, -/000प्रति वर्ष

6) अनुदान स्कूल द्वारा आवश्यक शिक्षण शुल्क और आवासीय शुल्क के लिए प्रदान किया जाएगा, जो कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 75, 000रुपए प्रतिवर्ष प्रति छात्र और कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 1,25, 000रुपए प्रतिवर्ष प्रति छात्र की सीमा के अधीन होगा।

12.8 2021-22 के लिए ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों (ईएफसी के अनुसार) के लिए शीर्ष श्रेणी की कॉलेज शिक्षा के लिए बजट और अगले चार वर्षों के लिए धन आवंटन का अनुमान इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
383.65	422.01	464.21	510.63	561.70	2342

अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए शीर्ष श्रेणी कॉलेज योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(रुपये करोड़ में)

2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
383.65	422.01	464.21	510.63	561.70	2342

1. इस स्कीम को 100% आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
2. यह स्कीम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सभी संस्थानों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद से संचालित होगी।
3. वार्षिक पारिवारिक आय 2,50,000/- लाख रूपए प्रति वर्ष
4. सभी आईआईएम/ आईआईटी/ आईआईआईटी/ एम्स/ एनआईटी/ एनआईएफटी/ एनआईडी/भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय कानून

विश्वविद्यालय और अन्य केंद्र सरकार के संस्थान स्कीम में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।

5. नई छात्रवृत्तियों की कुल संख्या उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित बजट के अनुसार सीमित की जाएगी।

6. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और विभिन्न मंत्रालयों के सदस्यों की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के अनुसार स्लॉट की संख्या को संस्थानों के प्रकारों के बीच वितरित किया जाएगा।

7. देय- पूर्ण शिक्षण शुल्क और गैर-वापसी योग्य शुल्क (निजी क्षेत्र के संस्थानों के लिए प्रति छात्र 2.00 लाख रूपए प्रति वर्ष और वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण और प्रकार रेटिंग पाठ्यक्रम के लिए निजी क्षेत्र के फ्लाइंग क्लबों के लिए 3.72 लाख रूपए प्रति छात्र की सीमा होगी।)

   (क) लाभार्थी को रहने का खर्च @ 3000/- रूपए प्रति छात्र प्रति माह

   (ख) किताबें और स्टेशनरी @ 5000/- रूपए प्रति छात्र प्रति वर्ष और

   (ग) प्रतिष्ठित ब्रांड का नवीनतम कंप्यूटर/लैपटॉप जिसमें यूपीएस और प्रिंटर जैसी एक्सेसरीज हैं, जो पाठ्यक्रम के दौरान एकमुश्त सहायता के रूप 45,000 रूपए प्रति छात्र तक सीमित है।"

12.9 2021-22 में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति और लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों में बहुत कम खर्च किया जाने के कारण और योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए विभाग के पास उपलब्ध निगरानी तंत्र के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों को इस मामले में व्यय विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत निधि जारी करने की प्रक्रिया और जारी निधि की निगरानी पर निगरानी तंत्र का अनुपालन करने के लिए कहा गया था। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, एसजी को अन्य बातों के साथ-साथ एसएनए को अधिसूचित करना,

एसएनए खाता खोलना और पीएफएमएस के साथ उसका मैपिंग करना आवश्यक है। एसजी नियमित अनुपालन के साथ दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं। हालांकि, कई राज्य ऐसे हैं जिनके द्वारा अभी पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया गया है। मंत्रालय इसका अनुपालन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/आईए के साथ सख्ती से अनुसरण कर रहा है ताकि निधियों के संवितरण में सुधार किया जा सके और आवंटित निधि का बेहतर उपयोग किया जा सके।कार्यान्वयन एजेंसियों को अगले वर्ष के अनुदानों को जारी करने से पहले पिछले वर्ष के अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहा जाता है। विभाग स्कीमों को जारी रखने की सिफारिश के लिए तीसरे पक्ष के मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति की आवधिक समीक्षा भी करता है।"

12.10 2022-23 के लिए पीएम-यशस्वी के तहत विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

स्कीम	**बीई 2022-23**	**2022-23 लाभार्थी लक्ष्य**
मैट्रिकपूर्व	478.00	10230000
मैट्रिकोत्तर	1083.00	4510000
टॉप क्लास कॉलेज	पीएम-यशस्वी के अंतर्गत नया घटक	16500
टॉप क्लास स्कूल		30000

12.11 समिति ने पाया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लड़कों के लिए मैट्रिक पश्चात् और मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की लड़कियों के छात्रावासों के अंतर्गत होने वाले व्यय में गिरावट आई है क्योंकि वर्ष 2019-20 से व्यय कम हो गया है। वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में विभाग क्रमश: 1,521.90 करोड़ रूपए एवं 1,357.02 करोड़ रूपए व्यय कर सका तथा वर्ष 2021-22 में अब तक मात्र 180.00 करोड़ रूपए का व्यय किया जा सका है। समिति नोट करती है कि इस योजना में दो योजनाओं, अर्थात् उच्च श्रेणी स्कूल और उच्च श्रेणी कॉलेज को जोड़ा गया है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 तक अलग-अलग बजटीय आबंटन वाली दो और स्वतंत्र

योजनाओं का भी वर्ष 2021-22 से इस योजना में विलय कर दिया गया है। समिति यह जानकर निराश है कि विलय के बाद भी योजना के अंतर्गत बजटीय आबंटन में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। समिति महसूस करती है कि इतनी सारी योजनाओं को एक साथ लाने से योजना के अंतर्गत उपलब्ध धन का उपयोग करने में मदद मिल सकती है, परन्तु इससे प्रत्येक योजना की प्रभावशीलता और जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बजटीय आबंटन और व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए समिति चाहती है कि विभाग प्रत्येक योजना के कार्य-निष्पादन की जांच करे ताकि प्रत्येक योजना उद्देश्य से न भटके और एक ऐसा तंत्र अपनाया जाए जिससे प्रत्येक योजना के उद्देश्य को कमजोर किए बिना, प्रदत्त बजट में ही योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

12.12 समिति ने नोट किया कि वर्ष 2020-21 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और गैर-अधिसूचित जनजाति (डीएनटी) छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु 2.5 लाख रूपए की वर्तमान वांछनीय आय सीमा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पूरी पांच वर्षों की अवधि हेतु अनुशंसित है। समिति महसूस करती है कि बढ़ती महंगाई के साथ-साथ वार्षिक आय सीमा की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए ताकि जरूरतमंद छात्र योजनाओं से वंचित न रहें। समिति का दृढ़ विश्वास है कि 2021-22 और 2025-26 की अवधि के दौरान परिवार की वार्षिक आय में वृद्धि होगी जिससे बहुत से ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्र योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो जाएंगे यद्यपि वास्तविक रूप से वे अच्छे विद्यालयों/महाविद्यालयों, हॉस्टलों आदि का व्यय वहन करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए समिति वार्षिक आय में मुद्रास्फीति के अनुसार आय मानदंडों के नियमित समीक्षा करने की सिफारिश करती है।

अध्याय - तेरह

अनुसूचित जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए वंचित इकाई समूह और वर्गों की अर्थिक सहायता (वीआईएसवीएएस) योजना

13.1 वंचित इकाई समूह और वर्गो को आर्थिक सहायता (वीआईएसवीएएस) योजना, जिसका पूर्व में नाम ब्याज सहायता योजना (आईएसएस) था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 3.00 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित स्वयं सहायता समूहों/ वैयक्तिक सदस्यों को 4.00 लाख रुपये तक के ऋण/ऋण पर ब्याज सहायता के लिए 5% ब्याज पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह योजना ओबीसी और एससी सदस्यों तक पहुंच का विस्तार करने और महामारी के इस समय में उन पर ब्याज के बोझ को कम करने में काफी मददगार होगी। यह योजना अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों या स्वयं सहायता समूहों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निम्नलिखित शीर्ष निगमों द्वारा क्रमशः कार्यान्वित की जाएगी:

(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (एनएसएफ़डीसी) और

(ii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफ़डीसी)।

13.2 यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) या राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) या नाबार्ड/वैयक्तिक लाभार्थियों के माध्यम से ऋण लेने वाले पात्र स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कम ब्याज दर का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करेगी, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और इसी तरह के वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण प्राप्त किया है, जिन्हें बाद में ऋण दाता संस्थानों के रूप में संदर्भित किया जाता है।

13.3 इस योजना के तहत अधिकतम 5 वर्ष तक की ऋण अवधि के लिए ब्याज सहायता प्रदान की जायेगी। लाभार्थी विश्वास (वीआईएसवीएएस) पोर्टल पर www.nbcfdc.gov.in पर ऑनलाइन प्रारूप भरकर सहायता राशि का दावा कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों/व्यक्तिगत लाभार्थियों के प्रचालनात्मक बैंक खातों में सहायता राशि का अंतरण उनके मोबाइल पर सूचना ले जाने वाले एसएमएस के साथ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

13.4 अनुसूचित जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए विश्वास (वीआईएसवीएएस) योजना के अंतर्गत बजटीय आवंटन और व्यय निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

योजना/गैर योजना	**बजट अनुमान 2021-22**	**संशोधित अनुमान 2021-22**	**15.02.2022 तक व्यय**	**बजट अनुमान 2022-23)प्रस्तावित(**	**बजट अनुमान 2022-23)आवंटित(**
अनुसूचित जातियों के लिए वंचित इकाई समूह और वर्गों की अर्थिक सहायता)वीआईएसवीएएस) योजना	100.00	10.00	0.00	60.00	50.00
अन्य पिछडे वर्गों के लिए वंचित इकाई समूह और वर्गों की अर्थिक सहायता)वीआईएसवीएएस) योजना	50.00	10.00	0.00	40.00	30.00

13.5 समिति द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए विश्वास (वीआईएसवीएएस) योजना के शीर्ष पर आबंटित निधियों के शून्य उपयोग के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग के प्रतिनिधि ने मौखिक साक्ष्य के दौरान उत्तर दिया कि:

> "इसका कारण यह है कि हमें इस स्कीम को एक साल तक चलाने की ही अनुमति मिली थी और वित्त मंत्रालय ने कहा था कि उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करवाने के बाद ही इसको आगे चलाने देंगे तो अभी इसका इवैल्यूएशन करवा लिया गया है।"

विभाग के सचिव ने आगे कहा कि:

> "महोदय, यह बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सहायता की तरह है। अगर बैंक इसे 10 या 12 प्रतिशत की ब्याज दर देते हैं, तो हम 5 प्रतिशत तक ब्याज सहायता देते हैं। फिर वह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी। इसमें भागीदारी में बैंकों को कुछ हिचकिचाहट है। केवल कुछ छोटे बैंकों ने भाग लिया है। बड़े बैंकों जैसे एसबीआई और अन्य ने इस योजना में भाग नहीं लिया है।"

13.6 समिति द्वारा योजना के पुनरुद्धार के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति के समक्ष कहा कि:

> “एक बात यह है कि पुरजोर प्रयास किया गया था ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से बैंकों के सभी सीएमडी से बात की है और उन्हें बताया है कि यह उनके लिए आपके ऋणों का पुनर्गठन करने का एक शानदार अवसर है ताकि वे सभी नियमित खाते हों। इनमें से कई ने कहा है कि वे इसमें हिस्सा लेंगे। फिर, वे पाते हैं कि बैंकों के लिए बेहतर अवसर हैं जैसे उदाहरण के लिए, पुनर्वित्त। पुनर्वित्त में, बैंकों को पैसा मिलेगा। इस योजना में लाभार्थी को पैसा मिल रहा है। इसलिए, बैंकर ब्याज नहीं दिखा रहा है।”

13.7 इस योजना के संभावित परित्याग के बारे में समिति द्वारा पूछताछ किए जाने पर, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने साक्ष्य के दौरान बताया कि:

> "हम इस योजना का पुनर्गठन कर रहे हैं और फिर हमने एनएपीसीओएन को इस पर एक अध्ययन करने और एक समाधान खोजने के लिए कहा है। उन्होंने एक समाधान का प्रस्ताव दिया है। इसे 2022-23 से लागू किया जाएगा।"

13.8 समिति ने यह पाया है कि वंचित इकाई समूह और वर्गों को आर्थिक सहायता (वीआईएसवीएएस) योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति समुदायों के स्वयं सहायता समूहों/व्यक्तिगत सदस्यों को 4.00 लाख रुपए तक के ऋण/क्रेडिट पर ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं इसी तरह के वित्तीय संस्थानों से ऋण लाभ लेने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अथवा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अथवा नाबार्ड के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तिगत लाभार्थियों को कम दर पर ब्याज की सुविधा प्रदान की जाती है। समिति हैरान है कि (वीआईएसवीएएस) योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए आबंटित राशि को वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपये से घटाकर वर्ष 2022-23 में 50 करोड़ रु. तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वर्ष 2021-22 में 50 करोड़ रु. से घटाकर वर्ष 2022-23 में 30 करोड़ रुपये कर दिया गया है। समिति यह जानकार अचंभित है कि इन योजनाओं के अंतर्गत 15 फरवरी, 2022 तक कोई व्यय नहीं किया गया। समिति का यह मानना है कि इस योजना की असफलता में प्रमुख कारण विभाग द्वारा बैंकों को उक्त योजना में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सहमत नही कर पाना है। समिति की यह राय है कि योजनाओं के कार्यान्वयन में विभाग ईमानदारी से प्रयास करे क्योंकि यह अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों को कठिन समय में ब्याज भार को कम करने में सहायता करेगा तथा सवर्जन-कल्याण हेतु स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करेगा। अत: समिति चाहती है कि विभाग इस योजना की सफलता हेतु

ईमानदार प्रयास करें एवं यह सुनिश्चित करें कि वर्ष 2022-23 के लिए जारी बजट का उपयोग हो एवं वर्ष 2021-22 की स्थिति की पुनरावृत्ति न हो।

नई दिल्ली;
22 मार्च, 2022
01 चैत्र, 1944 (शक(

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट

टिप्पणियों/सिफारिशों का विवरण

क्र. सं.	पैरा सं.	टिप्पणियों/सिफारिशों
1	2	3
1	2.9	समिति इस बात से निराश है कि विभाग अपने द्वारा प्रशासित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर वर्ष 2021-22 के दौरान 10,180.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान में से 31 दिसंबर, 2021 तक केवल 2,873.42 करोड़ रुपये ही खर्च कर सका है। समिति व्यय की धीमी गति के लिए विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों को नोट करती है, जैसे कि 1 फरवरी, 2022 तक अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कई बड़ी योजनाओं को जारी रखने संबंधी आदेश प्राप्त करने में देरी, विभिन्न योजनाओं के तहत एकल नोडल एजेंसी मनाने को सरकारों राज्य लिए के करने नियुक्त (एसएनए) के लिए छह महीने का समय, डीबीटी के माध्यम से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के केंद्रीय हिस्से का धन सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया निर्धारित करने में देरी आदि। यद्यपि राज्य सरकारों से सहयोग लेने की प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगता है, समिति का मानना है कि विभाग को विभिन्न योजनाओं को जारी रखने के लिए आदेश प्राप्त करने के लिए अधिक सक्रिय होना चाहिए था। फिर भी यह मानते हुए कि अब कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, समिति को आशा है कि विभाग द्वारा की गई पहल निश्चित रूप से प्रणाली को सुव्यवस्थित करेगी और योजनाओं के जरूरतमंद लाभार्थियों को समय पर जारी की गई निधियों से अधिकतम लाभ प्रदान करेगी और उसके दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं होगी। हालांकि समिति आशंकित है क्योंकि विभाग

		विशेषरूप से छात्रवृत्ति योजना घटक पर आबंटित निधियों का एक बड़ा हिस्सा सामान्यत :वर्ष के अंत में खर्च करता है। इसलिए, समिति विभाग को इतनी मेहनत से विकसित नई प्रणाली को लागू करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कदम उठाने पर जोर देती है। समिति को यह भी आशा है कि विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों क्षेत्र राज्य संघ/ एजें नोडल एकल द्वारासी की नियुक्ति समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी और उसे विभाग की प्रत्येक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा सरकारों क्षेत्र राज्य संघ/ में बारे के स्थिति वार-राज्य की एजेंसियों नोडल नियुक्त जाएगा। किया सूचित
2	2.10	समिति यह देखकर निराश है कि पिछले 2 वर्षों में विभाग के बजट को आरई स्तर पर कम कर दिया गया था, क्योंकि 2020-21 और 2021-22 के दौरान संशोधित चरण में क्रमशः 10103.57 करोड़ रुपये और 10517.62 करोड़ रुपये के बीई को घटाकर क्रमशः 8207.56 करोड़ रुपये और 10180 करोड़ रुपये कर दिया गया था। समिति इस बात को लेकर चिंतित है कि कम बजट का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया। समिति वार्षिक बजट तैयारियों के समय उच्च अनुमान प्रस्तुत करने के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है और इस प्रकार मंत्रालय संशोधित अनुमानों को पूरी तरह से खर्च करने में भी विफल रहते हैं। भी में 23-2022, वित्त मंत्रालय द्वारा विभाग के अनुमानों को कम कर दिया गया है और अनुमानित 11 बजाय के रुपये करोड़ 12133.09, 922.51 हैं। गए किए आवंटित रुपये करोड़ समिति को आश्वासन दिया गया है कि मंत्रालय पूर्ण आबंटन को खर्च करने में सक्षम होगा और यदि कोई अंतर होता है तो संशोधित चरण में अतिरिक्त निधियों की मांग की जाएगी। समिति का

		मानना है कि समाज के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से हाशिए वाले वर्गों के कल्याण के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित और समय पर निर्णय लिए जाने चाहिए ताकि कोविड 19-महामारी जैसी अप्रत्याशित स्थिति भी लक्षित व्यक्तियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में बाधा न बन सके। समिति के 22-2021 की उपयोग समग्र के आवंटन स्थिति से भी अवगत होना चाहेगी।
3	**2.11**	**समिति ने विभाग के बजट दस्तावेजों की जांच के बाद पाया कि विभिन्न योजनाओं की संरचना में बदलाव किया गया है क्योंकि 2021-22 से एक ही उद्देश्य के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं का एक योजना में विलय कर दिया गया था, जैसे कि प्रधान मंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (अजय पीएम), अटल वायो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई), युवा अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस), प्रधान मंत्री दक्षता या कुशलता संपन्न हितग्राही पीएम) (दक्ष, डीएनटी आर्थिक के (सीड) एसएनटीएस/एनटी/ यं लिए के इंडिया वाइब्रेंट और योजना की सशक्तिकरणग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना वाई-पीएम) ।(एएसएएसवीआई समिति इन स्कीमों के पुनरुद्धार के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए यह चाहती है कि इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया जाना किया समन्वित से रूप समुचित को पद्धति/ र और चाहिएाज्योंक्षेत्रों राज्य संघ/, कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य हितधारकों को सूचित किया जाना चाहिए। समिति इस संबंध में अवगत होना चाहेगी।**

4	3.13	समिति नोट करती है कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को दिसंबर, 2020 में संशोधित किया गया है ताकि योजना का प्रभावी कार्यान्वयन और बेहतर निगरानी की जा सके। इसके बावजूद, समिति ने पाया कि विभाग वर्ष 2021-22 के लिए 4,196.59 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान में से फरवरी, 2022 तक केवल 720.45 करोड़ रुपये ही व्यय कर सका है, जबकि विभाग ने आश्वासन दिया है कि आवंटित बजट का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा क्योंकि आवेदनों की प्रक्रिया संबंधी कार्यवाही ने गति पकड़ ली है। समिति को सूचित किया गया है कि अधिकांश राज्योंक्षेत्रों में सत्यापन प्रक्रिया संघ राज्य/ समय में 19 अभी भी प्रगति पर है क्योंकि कोविड कॉलेजस्कूलों में देरी से प्रवेश के कारण आवेदन पोर्टल देरी / से खुला। जिन असाधारण परिस्थितियों में प्रक्रिया धीमी हुई उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए समिति का मानना है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निधियों के व्यय में विलंब की इस प्रवृत्ति का अब समाधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा समिति ने नोट किया कि के 22-2021 के समान है। 21-2020 लिए लाभार्थियों की संख्या लगभग यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है, समिति महसूस करती है कि लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए ताकि यह संकेत दिया जा सके कि विभाग द्वारा लक्षित लाभार्थियों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती जा सके। समिति चाहती है कि विभाग इस संबंध में उपयुक्त उपाय करे, साथ ही राज्यसंघ राज्य क्षेत्र सरकारों / को समाज के लक्षित वर्गों तक पहुंचना चाहिए और इस योजना को लोकप्रिय बनाना चाहिए।

5	3.14	समिति ने पाया है कि केन्द्र और राज्यों के बीच मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के बंटवारे के लिए निर्धारित अनुपात के अनुसार, 40% राज्य अंश जारी किए जाने के बाद 60% का केन्द्रीय हिस्सा जारी किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, छात्रों को कठिनाइयों से बचाने के लिए इस तथ्य के बावजूद कि राज्य ने अपना हिस्सा जारी किया है या नहीं, पहले केंद्रीय हिस्से को जारी किया जाना था। समिति विभाग द्वारा प्रस्तुत विवरणों से यह नोट कर परेशान है कि में 21-2020 छात्रवृत्ति का केंद्रीय हिस्सा चंडीगढ़, दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर को जारी नहीं किया गया था। इसके अलावा बिहार, दिल्ली और हरियाणा ने में अपना हिस्सा जारी नहीं किया था । समिति 21-2020 को यह जानकर भी आश्चर्य हुआ है कि गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्य मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों में अपने हिस्से के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं कर रहे हैं। समिति का मत है कि इस तरह के उदाहरण छात्रों को हतोत्साहित करते हैं जो अंततः युवा पीढ़ी के भविष्य को प्रभावित करते हैं। समिति चाहती है कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। समिति विभाग से ऐसे मामलों की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने और राज्यसंघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ उनके हिस्से/ को समय पर जारी करने के लिए उनके साथ बातचीत करने की सिफारिश करती है।
6	3.15	समिति ने पाया है कि छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निर्धारित 2.5 लाख रुपये सालाना के आय मानदंड को 2013-14 में संशोधित किया गया था। समिति का दृढ़ता से मानना है कि इस तरह के कम आय मानदंड निर्धारित किए

		गए हैं जो कई जरूरतमंद छात्रों के लिए एक गंभीर बाधा बन गए होंगे। समिति को सूचित किया गया है कि मंत्रियों का एक समूह इस मुद्दे की जांच कर रहा है और वार्षिक आय सीमा में उपयुक्त संशोधन करेगा। समिति का दृढ़ मत है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आय मानदण्डों को संशोधित किया जाना चाहिए और यह भी सिफारिश करती है कि छात्रवृत्ति की राशि में आवधिक संशोधन के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। समिति इस मामले की स्थिति से अवगत रहना चाहेगी।
7	4.12	समिति ने पाया है कि दो अलग अर्थात् योजनाओं अलग- और योजना छात्रवृत्ति पूर्व मैट्रिक लिए के जातियों अनुसूचित लगे में व्यवसाय अशुद्धलोगों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, का 2021-22 से लिए के अन्यों और जातियों अनुसूचित" दिया कर विलय में योजना एक नामक "छात्रवृत्ति पूर्व मैट्रिक है। गया समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि 2022-23 के लिए किया गया बजटीय आवंटन ₹500.00 करोड़ है जो 2021-22 के लिए ₹725.00 करोड़ और 2020-21 के लिए ₹700.00 करोड़ के बजटीय आवंटन की तुलना में बहुत कम है। समिति के पास 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन को कम करने का कोई तर्क नहीं है जब दो योजनाओं का विलय कर दिया गया है और विभाग 2021-22 के दौरान 33 लाख लाभार्थियों को शामिल करने की उम्मीद कर रहा है। इसलिए, समिति का मानना है कि लाभार्थियों में 23-2022 है सकती आ कमी में संख्या की, क्योंकि पिछले वर्ष के दौरान भी केवल कर 596.33 को व्यक्तियों लाख 32.98ोड़ रुपये के व्यय के साथ शामिल किया जा सका था। समिति विभाग द्वारा दिए गए बजट के साथ निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई पद्धति में किसी भी सुधार के बारे में अवगत होना चाहेगी। जहां तक डीबीटी मोड के

		माध्यम से निधियों के अंतरण का संबंध है, समिति को आशा है कि यह डुप्लीकेट समाप्त को मामलों कपटपूर्ण/ बहरहाल करेगा।, समिति का अभी भी यह दृढ़ मत है कि विभाग को 2022-23 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक निधियों की आवश्यकता होगी। इसलिए, समिति मंत्रालय को के बढ़ाने को आवंटन बजटीय लिए के 23-2022 सिफारिश की करने कार्यवाही आगे पर स्तर आरई लिए को लाभार्थियों अधिक से अधिक ताकि है करतीइस योजना के तहत शामिल किया जा सके।
8	4.13	समिति यह भी पाती है कि विभाग इस शीर्ष के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 725 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से अब तक 362 करोड़ रुपये खर्च कर सका है और मंत्रालय बजटीय आवंटन का पूरी तरह से उपयोग करने का प्रयास करेगा क्योंकि राज्यों से लंबित यूसी प्राप्त होने की उम्मीद है। समिति विभाग द्वारा जारी योजना के अंतर्गत अपनाए गए नए दृष्टिकोण सहित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल को फिर से डिजाइन किए जाने के बावजूद निधियों के पूर्ण उपयोग के बारे में आशंकित है, जब तक कि विभाग द्वारा छात्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों के समक्ष आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। समिति का दृढ़ विश्वास है कि विभाग ने दो योजनाओं के एक में विलय करने के पक्ष ताकि होगी की जांच से तरह पूरी की विपक्ष-म कार्यान्वयन के योजना गई की विलयेे समाज के दोनों वर्ग एक न प्रभावित से रूप प्रतिकूल से उपस्थिति की दूसरे-पास के विभाग कि है करती सिफारिश समिति इसलिए हों। से बारीकी इसकी लिए के कार्यान्वयन सफल के योजना और चाहिए होना तंत्र अंतर्निहित एक लिए के करने निगरानी एनएसकेएफ कि जाए किया सुनिश्चित यहडीसी को सौंपे गए समन्वय कार्य को उनके द्वारा पूरी लगन से किया जाए।

9	5.8	समिति ने पाया है कि तीन स्वतंत्र योजनाओं नामत : (पीएमएजीवाई) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष के-ंद्रीय सहायता एससीएसपी के लिए) एससीएऔर बाबू जगजीवन राम (का (बीजेआरसीवाई) छात्रावास योजना2021-22 से प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना में विलय (पीएम अजय) कर दिया गया है। समिति को यह जानकर आश्चर्य है कि विभाग अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय के लिए निर्धारित 21-2020 और 20-2019 सहायता के तहत सलिएलक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका था। इ, समिति को योजना के लिए विशेष -के लिए अनुसूचित जाति उप 23-2022 लाख के लक्ष्य की 10 केंद्रीय सहायता के तहत निर्धारित प्राप्ति पर भी गंभीर संदेह है। समिति प्रत्येक योजना के -विलय के बाद उनकी कार्यनिष्पादनता के बारे में भी चिंतित है क्योंकि इन तीनों योजनाओं के लिए निधियों का एकीकृत आबंटन किया जाता है बशर्ते कि निष्पादन की मात्रा निर्धारित न की गई हो, सफलतानिष्पादन का आकलन नहीं किया जा / सकता। इसलिए समिति चाहती है कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि तीनों योजनाओं को समान महत्व दिया जाए क्योंकि ये अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि एक योजना के अंतर्गत कम प्रस्ताव हैं, तो निधियों का उपयोग अन्य योजना पर नहीं किया जाना चाहिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए कि पिछड़ रही योजना पर उपयुक्त रूप से ध्यान दिया जाए।
10	5.9	समिति यह जानकर प्रसन्न है कि प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति योजना के तहत, मंत्रिमंडल द्वारा 2021-22 से 2025-26

		तक अगले पांच वर्षों के लिए विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक पर 3 से 10 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है। समिति को आशा है कि स्वीकृत निधियों का विवेकपूर्ण उपयोग इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। समिति का मानना है कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रीतियों को तैयार किया गया होगा कि निधियां अप्रयुक्त न रह जाए। समिति की इच्छा है कि विभाग द्वारा इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि विभाग को पर्याप्त प्रस्ताव मिल सकें। समिति निधियों के लाभकारी उपयोग के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अवगत होना चाहेगी।
11	6.15	समिति नोट करती है कि विभाग वर्ष 2019-20 और 2020-21 में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के युवा अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा की छात्रवृत्ति योजना के (श्रेयस) दायरे में आने वाली सभी चार योजनाओं पर बजटीय आवंटन की एकबड़ी राशि खर्च करने में सक्षम था, सिवाय 2021-22 के, जहां विभाग तीन योजनाओं के तहत खर्च करने में पिछड़ गया था, अर्थात्, 'अनुसूचित जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए निशुल्क कोचिंग', 'अनुसूचित जातियों के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा' और 'अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति'। समिति को आश्चर्य है कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए निर्धारित निधि का कम उपयोग चयन की तुलना में पाठ्यक्रम में शामिल होनेजारी रखने वाले उम्मीदवारों की कम संख्या के कारण / था। इसी प्रकार, उच्च श्रेणी की शिक्षा योजना के मामले में संस्थानों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण स्वीकृत निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका और

		अनुसूचित जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए निशुल्क कोचिंग योजना के मामले में पैनलबद्ध संस्थानों द्वारा पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय नहीं किया जा सका। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वीकृत निधियों का कम उपयोग न केवल निधियों को निष्क्रिय रखता है बल्कि समाज के हाशिए पर जा चुके वर्गों के छात्रों को इन छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से विभाग द्वारा प्रदान किए गए शिक्षा अवसरों को प्राप्त करने से भी वंचित करता है। समिति महसूस करती है कि किसी भी तरह की सुस्ती से 21-2020 के दौरान अनुसूचित जाति और अन्य 2022-2021 और पिछड़ा वर्ग के लिए मुफ्त कोचिंग, अनुसूचित जाति के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा और अनुसूचित जाति योजनाओं के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति के कार्यान्वयन पर और अधिक प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि विभाग द्वारा इस प्रणाली में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति न हो, फिर भी विभागएक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा / इस प्रणाली के अनुपालन और नियमितनिगरानी की पुरजोर आवश्यकता है। समिति चाहती है कि 2022-23 के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों को अनुसूचित जाति और ओबीसी छात्रों के हित में पूरी तरह से उपयोग किया जाए।
12	6.16	समिति ने पाया है कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा और अनुसूचित जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए निशुल्क कोचिंग के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य उनकी वास्तविक जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। समिति चाहती है कि विभाग को प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से पहले

		इन योजनाओं में से प्रत्येक के अंतर्गत पात्र छात्रों पर विचार करना चाहिए। इसी प्रकार, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित आय मानदंडों में बढ़ती मुद्रास्फीति के आलोक में संशोधन करने की आवश्यकता है। समिति महसूस करती है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, विदेश में अध्ययन करने का जोखिम नहीं उठा सकता है, इसलिए प्रति वर्ष 8.00 लाख रुपये की आय का मानदंड अवास्तविक है। यह आय मानदंड कई छात्रों को इस योजना का लाभ उठाने से हतोत्साहित करता है, इसलिए इसका उद्देश्य केवल तभी पूरा होगा जब आय मानदंड को संशोधित किया जाएगा। विभाग को अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा और अनुसूचित जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए निशुल्क कोचिंग के लिए पात्र छात्रों की संख्या का आकलन करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र भी बनाना चाहिए ताकि अधिकतम छात्रों को योजनाओं के तहत शामिल किया जा सके। इसलिए समिति इन योजनाओं में से प्रत्येक के तहत निर्धारित प्रत्येक वर्ष के लिए स्लॉट संख्या सहित आय मानदंडों की समीक्षा करने की सिफारिश करती है। समिति चाहती है कि विभाग इन मुद्दों पर पूरी ईमानदारी से ध्यान देने के लिए अपेक्षित उपाय करे।
13	6.17	समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि श्रेयस के तहत 2019-20,

		2020-21 और 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के बजटीय अनुमानों को काफी कम कर दिया गया है। समिति ने पिछले वर्षों में व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बजटीय आबंटन में कमी के औचित्य को सही नहीं पाया है। समिति महसूस करती है कि इसमें लाभार्थी की कोई गलती नहीं है और किसी विशेष वर्ष में योजना की विफलता का यह अर्थ नहीं है कि योजना का लाभ लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए, बजट को कम नहीं किया जाना चाहिए था। अत : के बनाने सुदृढ़ को योजना इस कि है विचार यह का समिति उसमें और अध्ययन मूल्यांकन के योजनाओं सभी इन लिए कीगई सिफारिशों आवश्यकता की जाने अपनाए को सुझावों/ इसलिए है।, समिति चाहती है कि विभाग अब इस पर कार्रवाई करे, इसके अलावा उन तरीकों और साधनों का पता लगाए जिनके माध्यम से योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या को अधिकतम किया जा सके।
14	7.13	समिति यह जानकर प्रसन्न है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग के समन्वय से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मशीनीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना स्थापित की गई है ताकि सीवर (नमस्ते-एनएएमएएसटीई) प्रणाली और सेप्टिक टैंकों की हाथों से की जाने वाली सफाई को समाप्त किया जा सके और हाथों से की जाने वाली सफाई में लगे कामगारों का पुनर्वास किया जा सके। मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए अन्तःक्षेप राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना 'स्वच्छता उद्यमी योजना' के माध्यम से

		किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी पाया है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा को रोकने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, रियायती दरों पर ऋण, क्रेडिट लिंक्ड अग्रिम कैपिटल सब्सिडी, जिसे विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जैसी विभिन्न योजनाएं हैं। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि इन सभी उपायों के बावजूद सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय व्यक्तियों की मौत आज भी हो रही है। समिति उन कारणों को समझने में असमर्थ है जिनके कारण विभाग की पहलों का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ रहा है। समिति का मानना है कि मंत्रालयों के साथ समन्वय से शुरू की गई मशीनीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना हाथ से सफाई (एनएएमएएसटीई) की समस्या को कम करने में मदद करेगी, जब सभी नगर निकायों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा और यांत्रिक सफाई को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। समिति चाहती है कि विभाग इस योजना की आवधिक जांच के लिए एक तंत्र स्थापित करे क्योंकि विभाग के प्रयासों को प्रभावित करने वाली खामियों को बिना विलम्ब के दूर करने की पुरजोर आवश्यकता है। समिति यह भी चाहती है कि योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित बजटीय आबंटन को संशोधित स्तर पर कम करने के बजाय बढ़ाया जाए।
15	7.14	समिति इस बात से निराश है कि सीवर की टैंकों सेप्टिक/ लिए के मौतों वाली होने कारण के सफाई से हाथों104

		व्यक्तियों को मुआवजा नहीं दिया गया है। समिति यह जानकर चकित थी कि महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने निधियों की कमी के कारण मुआवजे का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। समिति का मानना है कि मौत होने पर रोटी कमाने वाले के परिवार को तुरंत मुआवजा दिए जाने की जरूरत है। समिति का मानना है कि परिवार में कमाने वाले की मौत होने पर परिवार को तुरंत मुआवजा दिए जाने की जरूरत है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग सहित राज्य सरकारों की ओर से इस मामले में गंभीरता नहीं बरती जा रही है। समिति चाहती है कि विभाग उपयुक्त उपाय करे ताकि मृतक के परिवार को परेशानी न हो और उन्हें मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाए। समिति यह भी चाहती है कि मुआवजे के लिए लंबित 104 मामलों का तत्काल निपटान किया जाए। समिति मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने के अपने पहले के सुझाव को भी दोहराना चाहती है ताकि उन्हें शामिल करने वाले व्यक्तियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सके और निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उन पर जुर्माना निर्धारित किया जा सके।
16	8.10	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 और 2018 में क्रमशः अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड -वीसीएफ) और पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (एससी नामक दो योजनाएं शुरू की गई थीं। दोनों (बीसी-वीसीएफ) योजनाओं के बजटीय आवंटन और व्यय की जांच पर समिति में 22-2021 इस बात से काफी निराश है कि विभाग वीसीएफमें 22-2021 और 21-2020 एससी के तहत और-बीसी के लिए कोई व्यय नहीं कर पाया क्योंकि -वीसीएफ कंपनियों के स्वामी इक्विटी का योगदान करने में सक्षम नहीं

		थे, जो प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। चूंकि विभाग 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी जारी 50 कंपनी के स्वामी को नहीं करसकता है, चूँकि यह विभाग को उद्यम का स्वामी बना देगा, इसलिए विभाग को इस मुद्दे से निपटने के लिए समीक्षा करने और वैकल्पिक प्रावधान करने की आवश्यकता है ताकि योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि विभाग अब स्टार्ट अप पर व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है और उन्हें विश्वास है कि स्टार्ट अप बाजार या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के कारण अस्तित्व के संकट से बाहर आ जाएंगे। समिति ने यह भी पाया कि सितंबर एससी के अंबेडकर सोशल इनोवेशन -से वीसीएफ 2020 इनक्यूबेशन मिशन कंपनियों 23 के तहत (एएसआईआईएम) रोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और इस राशि में क 6.90 को दिसंबर 31 से, 0.87 कंपनियों को केवल 15 तक 2021 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। समिति चाहती है कि कंपनियों को स्वीकृत शेष राशि को अविलंब संवितरित किया जाए और समिति दोनों योजनाओं में स्वीकृत निधियों में से संवितरित कुल राशि के ब्यौरे के बारे में भी अवगत होना चाहेगी।
17	9.13	समिति ने नोट किया है कि अटल वायो अभ्युदय योजना कार्यक्रम एकीकृत लिए के नागरिकों वरिष्ठ में (एवीएवाई) श योजना कार्य राज्य लिए के नागरिकों वरिष्ठ औरामिल है, जिसमें उनकी वित्तीय सुरक्षा, खाद्य, स्वास्थ्य देखभाल और मानव संपर्क का ध्यान रखा जाता है। समिति इस बात से परेशान है कि विभाग ने करोड़ 204.00 में 21-2020 रुपये करोड़ 133.31 केवल से में आवंटन बजटीय के रुपये में 22-2021 और थे किये खर्च, विभाग रुपये करोड़ 300.00 कर खर्च रुपये करोड़ 30.13 केवल से में आवंटन बजटीय के

		-2022 कि है बाध्य लिए के करने नोट यह समिति सका। के 22-2021 और 21-2020 को आवंटन बजटीय लिए के 23 रखा बराबर के रुपये करोड़ 150.00 अर्थात अनुमान संशोधित आश और यह लिए के समिति है। गया्चर्य की बात है कि इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य कहीं भी बुजुर्गों की आबादी की तुलना में नहीं हैं और बिहार, गोवा, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे कई राज्य हैं जहां कोई तक 31.12.2021 में 22-2021 था। गया दिया नहीं धन समिति का मानना है कि विभाग देश में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए जो कुछ भी कर रहा है, उसे उससे कहीं अधिक करने की आवश्यकता है। योजनाओं के निर्माण के बाद, उन्हें अपने स्थापित तंत्रों के माध्यम से निरंतर निगरानी करके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। इसलिए, समिति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक समर्पित तरीके से कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कदम उठाने की सिफारिश करती है और यह भी चाहती है कि लक्ष्य के साथ बढ़ाया आवंटन बजटीय लिए के 23-2022 साथ-योजनाओं इन ताकि जाएगा के माध्यम से अधिकतम बुजुर्ग लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके।
18	10.8	समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि डीएनटी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने, डीएनटी के सदस्यों के लिए घरों के निर्माण , आजीविका के लिएवित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार की गई है, जिसमें 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 200 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय है और विभाग 2021-22 में कोई धन व्यय नहीं कर सका और 2021-22 के लिए 50.00 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन की तुलना में बजटीय आवंटन को घटाकर

		28.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। समिति इस बात से निराश है कि विभाग ने विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू - समुदायों के कल्याण के लिए योजना तैयार करने में पहले ही विलम्ब कर दिया है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की शिथिलता से योजना के कल्याणकारी उपायों में बाधा आएगी। समिति चाहती है कि विभाग इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करे।
19	10.9	समिति इस बात को नोट करती है कि 2017 में गठित विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू-समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड को अन्य बातों के साथ की स्थानों उन साथ-समुदाय ये जहां है गई सौंपी जिम्मेदारी की करने पहचान थे। स्थित समिति ने पाया है कि वर्तमान में ऐसे 269 विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू-समुदाय विनिर्दिष्ट हैं और इन जातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीसी श्रेणियों में रखने के लिए अब एक सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन है। समिति को यह जानकर आश्चर्य है कि विभाग आज तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है, इसलिए समिति चाहती है कि विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे ताकि इन जातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या बीसी के अधीन रखा जा सके और लाभ प्रदान किया जा सके। इन जातियों का पता लगाने में विलम्ब से उनकी परेशानी में वृद्धि होगी और वे अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित/ लाभ का योजनाओं प्रचलित गई बनाई लिए के कल्याण के करेगी सराहना इसकी समिति पाएंगे। कर नहीं प्राप्त यदि यह कार्य समयबद्ध तरीके से किया जाता है। समिति इस संबंध में निर्धारित समय चाहेगी। होना अवगत से सीमा-

20	11.12	समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि 1990 से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों को नियंत्रित और रोकने के लिए मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों होने के बावजूद, उनसे अपेक्षित उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। समिति राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से यह जानकर हैरान है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार) अधिनियम (निवारण, मामले दौरान के 2020 तहत के 1989 स्वीकृत कि है पाया ने तिसमि हैं। गए किए नहीं दर्ज और राहत गई की प्रदान तहत के नियमों से में निधियों है रहा जा किया नहीं उपयोग से तरह पूरी का पुनर्वास में 22-2021 और 21-2020 क्योंकि, विभाग क्रमशः 593.39 31) रुपये करोड़ 452.09 और रुपये करोड़दिसंबर, 2021 व्यय (तक किये हैं। बजटीय आवंटन भी स्थिर रहा है -2020 था रुपये करोड़ 600.00 आरई लिए के 22-2021 और 21 रुपये करोड़ 600.00 अनुमान बजटीय लिए के 23-2022 और में संबंध के आबंटन के निधियों से रूप विशेष समिति है। लिए के पुनर्वास और राहत को पीड़ितोंमुआवजा जारी करने के संबंध में भी इस मुद्दे से निपटने के तरीके से अत्यधिक निराश है क्योंकि पीड़ितों को मुआवजा जारी करने में पर्याप्त समय लगता है। समिति यह भी महसूस करती है कि अप्रैल, 85 निर्धारित में 2016, -/000रुपए से 8,25, -/000रुपए के मुआवजे की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि दिए गए मुआवजे का उपयोग किसी उद्देश्य के लिए किया जा सके। इसलिए समिति चाहती है कि विभाग सभी राज्य राज्य संघ/ राहत कि दे निदेश का करने सुनिश्चित यह को सरकारों क्षेत्र भी की पैमाने के मुआवजे और जाए की प्रदान पर समय जाए। की समीक्षा

21	12.11	समिति ने पाया कि अन्य पिछड़ा वर्ग क (ओबीसी)े लड़कों के लिए मैट्रिक पश्चात् और मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की लड़कियों के छात्रावासों के अंतर्गत (ओबीसी) होने वाले व्यय में गिरावट आई है क्योंकि वर्ष2019-20 से व्यय कम हो गया है। वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में विभाग क्रमश :1,521.90 करोड़ रूपए एवं 1,357.02 करोड़ रूपए व्यय कर सका तथा वर्ष 2021-22 में अब तक मात्र 180.00 करोड़ रूपए का व्यय किया जा सका है। समिति नोट करती है कि इस योजना में दो योजनाओंअर्थात् उच्च , श्रेणी स्कूल और उच्चश्रेणी कॉलेज को जोड़ा गया है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 तक अलगअलग बजटीय आबंटन - वाली दो और स्वतंत्र योजनाओं का भी वर्ष2021-22 से इस योजना में विलय कर दिया गया है। समिति यह जानकर निराश है कि विलय के बाद भी योजना के अंतर्गत बजटीय आबंटन में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। समिति महसूस करती है कि इतनी सारी योजनाओं को एक साथ लाने से योजना के अंतर्गत उपलब्ध धन का उपयोग करने में मदद मिल सकती है, परन्तु इससे प्रत्येक योजना की प्रभावशीलता और जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बजटीय आबंटन और व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए समिति चाहती है कि विभाग प्रत्येक योजना के कार्यनिष्पादन की जांच करे ताकि - प्रत्येक योजना उद्देश्य से न भटके और एक ऐसा तंत्र अपनाया जाए जिससे प्रत्येक योजना के उद्देश्य को कमजोर प्रदत्त बजट में ही योजना के प्रभावी कार्यान्वयन ,किए बिना को सुनिश्चित किया जा सके।
22	12.12	समिति ने नोट किया कि वर्ष 2020-21 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) छात्रों के लिए (डीएनटी) अधिसूचित जनजाति-और गैर छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु2.5 लाख रूपए की वर्तमान वांछनीय

		आय सीमा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पूरी पांच वर्षों की अवधि हेतु अनुशंसित है। समिति महसूस करती है कि बढ़ती महंगाई के साथसाथ वार्षिक आय सीमा की - नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए ताकि जरूरतमंद छात्र योजनाओं से वंचित न रहें।समिति का दृढ़ विश्वास है कि की अवधि 26-2025 और 22-2021के दौरान परिवार की वार्षिक आय में वृद्धि होगी जिससे बहुत से ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्र योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो जाएंगे यद्यपि वास्तविक रूप से वे अच्छे विद्यालयोंमहाविद्यालयों/, हॉस्टलों आदि का व्यय वहन करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए समिति वार्षिक आय में मुद्रास्फीति के अनुसार आय मानदंडों के नियमित समीक्षा करने की सिफारिश करती है।
23	13.8	समिति ने यह पाया है कि वंचित इकाई समूह और वर्गों को आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत अन्य (वीआईएसवीएएस) पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति समुदायों के स्वयं सहायता समूहोंलाख रुपए तक के 4.00 व्यक्तिगत सदस्यों को/ क्रेडिट पर ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। /ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं इसी तरह के वित्तीय संस्थानों से ऋण लाभ लेने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अथवा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अथवा नाबार्ड के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तिगत लाभार्थियों को कम दर पर ब्याज की सुविधा प्रदान की जाती है। समिति हैरान है कि (वीआईएसवीएएस) योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए आबंटित राशि -2022 ड़ रुपये से घटाकर वर्षकरो 100 में 22-2021 को वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वर्ष .करोड़ रु 50 में 23 में 23-2022 से घटाकर वर्ष .करोड़ रु 50 में 22-202130 करोड़ रुपये कर दिया गया है। समिति यह जानकार अचंभित

		है कि इन योजनाओं के अंतर्गत फरवरी 15, 2022 तक कोई व्यय नहीं किया गया। समिति का यह मानना है कि इस योजना की असफलता में प्रमुख कारण विभाग द्वारा बैंकों को उक्त योजना में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सहमत नही कर पाना है। समिति की यह राय है कि योजनाओं के कार्यान्वयन में विभाग ईमानदारी से प्रयास करे क्योंकि यह अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों को कठिन समय में ब्याज भार को कम करने में सहायता करेगा तथा सवर्जनकल्याण हेतु स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित- समिति चाहती है कि विभाग इस योजना की :करेगा। अत सफलता हेतु ईमानदार प्रयास करें एवं यह सुनिश्चित करें कि वर्ष के लिए जारी बजट का उपयोग हो एवं वर्ष 23-2022 की स्थिति की पुनरावृत्ति न हो। 22-2021